राजस्थान विधान सभा का कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र १९६४ का १६ वां दिवस [संख्या १३

मंगलवार, दिनांक १० मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक ८-०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, शक्ति, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा व यातायात विभाग]

प्रश्न संख्या २८९

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २९०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल।

छात्रावास पर व्यय--बांसवाड़ा

२९१. **श्री विट्ठल (बांसवाड़ा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा के बांसवाड़ा खास में समाज कल्याण विभाग की ओर से जो छात्रावास चल रहा है उसमें सरकार प्रति छात्र व छात्रा कितना व्यय करती है ?

(२) क्या यह सही है कि १९६२-६३ में कई लडकों व लड़कियों को समय पर कपडे व जूते नहीं दिये गये ? यदि हां, तो कितनों को और क्यों ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) बांसवाडे स्थित लडकों व लडकियों के छात्रावासों में भोजन, वस्त्र और बिस्तर आदि के लिए प्रत्येक छात्र-छात्रा पर ३४) रु० मासिक व्यय किया जाता है।

(२) इस काल में लडकों के छात्रावास में, प्रत्येक छात्र को एक कमीज और कन्या छात्रावास में १३ छात्राओं को एक एक कमीज व जूते नहीं दिये जा सके।

जूते नहीं दे पाने का कारण समय पर टेण्डर द्वारा जूते नहीं प्राप्त होना व कमीज नहीं देने का कारण उक्त मद में धनाभाव रहा है।

श्री विट्ठल : यह समय पर नहीं दिये गये इसी लिये में जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि समय पर उनको दिये जाएं।

Page No. 2

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्थानीय अधिकारियों की गलती से यह हुआ है। उनसे जवाब तलब किया गया है।

श्री विट्ठल : हर साल जूते और कपडे उनको समय पर नहीं मिलते क्या यह आपको जानकारी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हर साल की जानकारी तो मुझे नहीं है।

श्री विट्ठल : वहां के छात्रों को हर साल समय पर ये चीजें नहीं मिलती हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आगे उनको समय पर जरूर मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : उनको कब तक की दी गई और कब तक की बकाया चली आ रही है क्या आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जो जानकारी है वह इसी साल की है पहले की नहीं है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : क्या यह सही है कि वे यों ही समय निकाल देते हैं और लडकों को जूतों की जोडी आदि देते नहीं हैं। बजट में दिखा देते हैं, और जब छात्रावास बन्द हो जाता है तो जमा खर्च कर देते हैं, और इस तरह से इस विभाग में घोटाला होता है, क्या इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछली जानकारी मैं कर लूंगा और अगर गलती पाई गई तो जरूर एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

प्रश्न संख्या २९२

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

कुएं व मकान बनाने हेतु सहायता-जिला कोटा।

२९३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) समाज-कल्याण विभाग द्वारा जिला कोटा में सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि सन् ६० से लेकर सन् ६३ तक अनुसूचित जाति व पिछडी जाति के लोगों को कुएं व मकान बनाने हेतु दी गई है ?

(२) इन वर्षों में उक्त कार्य के लिए कितनी धन-राशि स्वीकृत थी ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कोटा जिले में इन वर्गों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् ६० से ६३ तक ४,०८,०१०) रु० स्वीकृत किये गये।

(२) इन वर्षों में उक्त कार्यो के लिए समस्त राजस्थान में ७५,८२,७५५) रु० दिये गये।

श्री दयाचन्द-सोन : आपने चार लाख की स्वीकृति दी तो बारां तहसील में कितने मकानों को बनाने के लिये रुपये दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: बारां की नगरपालिका क्या दिया गया मकानों के लिये ?

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या यह सही है कि पैसा ले लिया गया और कोई बस्तियां नहीं बनाई गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दो तरह से पैसा खर्च होता है। एक तो पंचायतों के द्वारा और दूसरा शहरों में नगरपालिकाओं के द्वारा यह खर्च किया जाता है।

श्री दयाचन्द सोन : क्या बारां में म्युनिसिपेलिटी के माध्यम से या पंचायतों के माध्यम से किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बारां की नगरपालिका के आंकडे हैं पंचायत के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आंकडे बता रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बारां में २२ मकानों की धनराशि १४,५००) १९५९-६० में दी गई थी। मगर बारां नगरपालिका ने उसका उपयोग नहीं किया इसलिये बारां नगरपालिका को रकम वापिस ट्रेजरी में जमा कराने हेतु कार्यवाही चल रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : आपने बारां में १४ हजार रुपये मकान बनाने के लिये दिये और नगरपालिका ने अभी तक मकान बनाने के लिये काम में नहीं लिये इसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नगरपालिका को पूछ कर बता दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जब मकान बनाने के लिये राज्य सरकार ने नगरपालिका को रुपये दिये उनको वापिस लेने के बजाय वह अब उन रुपयों को शीघ्र यूटिलाईज करने के आदेश म्युनिसिपैलिटी को देगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : म्युनिसिपैलिटी ने दो-तीन साल का अर्सा हो गया अभी तक उन रुपयों को काम में नहीं लिया इसलिये उनको वापिस जमा ट्रेजरी में कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री दयाचन्द सोन : पुनः नगरपालिका को अवसर दिया जावे कि अब वह एक साल के अन्दर अन्दर उस रकम को काम में ले और रकम वापिस नहीं ली जावे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर यह देखना पडेगा कि ट्रेजरी में जमा होनी चाहिये या नहीं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नगरपालिका ने खर्च क्यों नहीं किया ? जब नगरपालिका का चुनाव हुआ तो हरिजनों ने वोट नहीं दिये। उस जलन के कारण यह रुपया उनके लिये खर्च नहीं किया गया, क्या यह सही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कारण तो मैं जानकारी करके ही बता सकता हूं।

श्री भीमसेन : मैं इस संबंध में खासतौर से जानकारी चाहूंगा। क्या यह सही है कि हरिजनों को दो तीन मील की दूरी पर

(श्री भीमसेन)
जमीन बता दी गई थी और वे लोग वहां बसने को तैयार नहीं थे, वे वहां बसना नहीं चाहते थे, इसलिये यह रकम खर्च नहीं हो सकी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह माननीय सदस्य के पास जानकारी है। वहां के काम में सहूलियतें हों तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिकराय ऊंकाली सड़क

२९४. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय से ऊंकाली की घाटी तक वाया बन्ध माधोसागर सड़क बनाने का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि यह सडक अभी तक नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

उप–मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उप–मंत्रीजी को यही प्रश्न दिये जाते हैं जिनका उत्तर, 'जी नहीं' या 'प्रश्न नहीं उठता' हो।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

देवगढ़ हाई स्कूल में कमरों की कमी

२९५. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ के हाई स्कूल में कमरों की बहुत कमी है और इसलिये उद्योग कक्षाएं बाहर खुले में लगती हैं ?

(२) यदि हां, तो कमरों की व्यवस्था कब तक की जायगी ?

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। कमरों की कमी है पर फिर भी उद्योग कक्षाएं बाहर खुले में नहीं लगतीं।

(२) इसके लिये जनता को चाहिये कि वह धनराशि एकत्रित करे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : That was expected from him.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : खामोख्वाह आपने यह कष्ट किया मुझ से ही पूछ लेतीं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : यह क्या है ?

प्रश्न संख्या २९६।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

हनावरा–रेवदर रूट पर बसें

२९७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No. 5

(१) क्या यह सही है कि हनादरा से रेवदर (जिला सिरोही) तक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज चलती हैं और यह पूरा रूट इन बसेज के लिये ही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें भी चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों और कौन-कौन से ऑपरेटर्स की ?

(३) क्या यह सही है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की गाड़ियां चलने का सीधा रूट हनादरा-सीलदर होकर है ? यदि हां, तो वे हनादरा-रेवदर होकर क्यों चलती हैं ?

(४) उक्त सरकारी रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों को चलने से क्यों नहीं रोका जाता और अब कब तक रोक दी जायेंगी ? क्या इनके चलने से सरकार को नुकसान नहीं होता ?

(५) क्या यह भी सही है कि हनादरा-रेवदर 'ए' क्लास रूट है और उस पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की सन् ४० या ४२ के मॉडल की गाड़ियां चल रही हैं ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध इतने पुराने मॉडल की गाड़ियां चलने देने का क्या कारण है और इन्हें कब तक रोक दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

उत्तर

(१) रोडवेज की बसे आबू रोड से अनादरा व आबू रोड से मंडार सीधी चलती हैं और यह मार्ग राष्ट्रीयकृत है ।

(२) जी नहीं । सिरोही-सीलधर वाया हनादर रेवदरव नीमच रूट पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं ।

(३) ऐसी जानकारी मिली है कि प्राइवेट आपरेटर्स राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कभी कभी अनाधिकृत रूप से गाड़ियां चला लेते हैं जिसके लिये आर० टी० ए० को लिखा जा चुका है ।

(४) सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है ।

(५) हाई कोर्ट के निश्चयानुसार इन मोटर आपरेटर्स को नये मोडल की गाड़ियां ही चलानी पड़ेंगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जैसा कि अभी बताय गया है कभी-कभी चलती हैं । कभी-कभी नहीं । रेगुलर रूप में हमेशा प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें चलती आ रही हैं, तो इसमें आपकी राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य की जानकारी के अनुसार कभी-कभी चलाई जाती हैं, इस संबंध में आर. टी. ए. को लिखा है, उनका जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री दलपतसिंह (आबू रोड) : आर. टी. ए. का क्या रिप्लाई आया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी रिप्लाई नहीं आया है, कार्यवाही कर रहा है ।

श्री दलपतसिंह : कितने अर्से पहले आपने आर. टी. ए. को लिखा था इस संबंध में ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : महीने भर पहले जानकारी मिली थी और उनको लिखा था ।

श्री दलपतसिंह : २ वर्ष पहले से हनादरा रेवदर रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेज चलती आ रही हैं, कभी-कभी नहीं रेगुलर चलती आ रही हैं आपने महीने भर पहले आर. टी. ए. को लिख दिया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सीरियस स्टेप लेना चाहिये, प्राइवेट आपरेटर्स की बसेज इस रूट पर चलने से स्टेट को बडा भारी लोस होता है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी है तो इसको हम बहुत गौर से लेंगे । आयन्दा इस रूट पर कोई प्राइवेट गाडी नहीं चलेगी ।

Page No. 6

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब आपकी जानकारी में आ गया कि अब तक बसेज चलती हैं रेगुलर चलती हैं और सरकारी बसेज के आगे चलती हैं, और सरकारी गाडियों के आगे आगे चलती हैं, इस कारण सरकारी गाडियों को पैसेन्जर्स नहीं मिलते हैं, और इससे सरकार को बड़ा लौस हो रहा है तो आपने क्या कार्यवाही की, क्या एक्शन लिया ?

श्री दलपतसिंह : आप आज ही टेलिफोन से इत्तला करें,

the buses should be stopped to-morrow.

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बात आज के बाद रिपीट नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : रिपीट का सवाल नहीं, आज तक जो गलती हुई उसके लिये क्या एक्शन लेना चाहते हैं ? जिन अधिकारियों की जानकारी में यह सब हुआ उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर आवश्यक कार्यवाही होगी।

प्रश्न संख्या २९८।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २९९।

श्री मजलिसखां।
(अनुपस्थित)

श्री अमरसिंह दूदू।

जयपुर-दूदू मार्ग पर अतिरिक्त बसें

३००. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जयपुर से दूदू और दूदू से जयपुर तक के यात्रियों की असुविधा को देखते हुए क्या सरकार इस रास्ते पर दो अतिरिक्त बसें रोजाना के लिये चलाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जयपुर-अजमेर वाया दूदू रूट पर चलने वाली गाडियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

१.	जयपुर-अजमेर ..	१५
२.	जयपुर-अजमेर डिलक्स ..	२
३.	जोधपुर-अजमेर-जयपुर ..	४
४.	अजमेर-हरमारा	८
५.	अजमेर-किशनगढ	
	योग ..	२९

यात्रियों व बसों की संख्या को देखते हुए फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री अमरसिंह : यह सरकार को कैसे प्रतीत हुआ कि यात्रियों की ज्यादा संख्या नहीं ? क्या इसके लिये कोई आधार है कि यात्री ज्यादा है कि नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां, इसकी जानकारी करके आपको इतला दी है।

श्री अमरसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि छोटे-छोटे गांवों के जो लोग हैं उनको इन बसेज में जगह नहीं मिलती ; और इन लोगों को दिन भर बसेज का इन्तजार करना पड़ता है ?

Page No. 7

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या यह सही है कि जो बसेज चलती हैं उनमें जगह खाली होते हुए भी रास्ते के पैसेन्जर्स को नहीं लिया जाता है? और इस तरह उनको दिन भर परेशान होना पड़ता है और सरकार को लॉस होता है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी जानकारी जब कभी विभाग में आती है तो ऐसे कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। पर इस समय बिना जानकारी के ऐसा कहना उचित नहीं होगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने शिकायत की है पर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे जानकारी नहीं है; मैं जानकारी करूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने किसको शिकायत की थी?

श्री भीमसेन : मैंने कम्प्लेन्ट बुक में कम्प्लेन्ट की थी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

छोटे गावों को बिजली

३०१. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

१. (क) बिजली की लाइन जिन देहाती क्षेत्र के छोटे गांवों के पास से होकर निकल चुकी है उन गांवों को बिजली देने की व्यवस्था करने की योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं?

(ख) अगर हां तो किन शर्तों पर यह सम्भव है?

२. (क) क्या यह सही है कि ग्राम किराड़ा बड़ा, तारानगर से भादरा जो बिजली की लाइन गई है उसके ठीक ऊपर स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम को बिजली सप्लाई की व्यवस्था करेगी?

(ख) अगर हां, तो कब तक?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) (१) जी हां। जो गांव हमारी ११ के. वी. या उससे कम वोल्टेज की लाइन के समीप हैं उनको बिजली देने की योजना विचाराधीन है। किसी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व सर्वे कराया जाता है और धनराशि उपलब्ध हो तो उस योजना को कार्यान्वित करने के प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया जाता है।

(२) जी हां। इस पर विचार किया जायेगा यदि योजना लाभप्रद सिद्ध हुई और धनराशि उपलब्ध हुई तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हरदत्तसिंह : यह कार्यवाही कब तक की जा सकेगी?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने बता दिया कि सर्वे कराई जायगी और उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होगी तो उस योजना को कार्यान्वित किया जायगा।

श्री हरदत्त सिंह : उपयुक्त धनराशि कैसे उपलब्ध होती है?

श्री चन्दनमल बैद : पिछली पंचवर्षी योजना में ५ हजार की आबादी के कस्बों को बिजली देने की योजना थी। इससे कम की आबादी के कस्बों में तभी बिजली दी जा सकती है जब कि उपयुक्त धनराशि उपलब्ध हो।

प्रश्न संख्या ३०२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

ट्रैक्टर मालिकों से रोड परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट व टोकन की मांग–जिला गंगानगर

३०३. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में ट्रैक्टर मालिकों से रोड परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट व टोकन आदि मांगे जाते हैं ? यदि हां, तो मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन रूल्स के किस प्रावधान के अन्तर्गत ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : जी हां, टोकन के लिये रूल्स २४ राजस्थान मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन रूल्स, १९५१ है। परमिट व फिटनेस सर्टिफिकेट रूल १०६ व २३३ मोटर व्हिकल्स रूल्स के अन्तर्गत मांगे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

माध्यमिक पाठशाला भवन-ग्राम बांकली

३०४. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बांकली (जिला पाली) में माध्यमिक पाठशाला का भवन गत आठ-नौ वर्ष से अधूरा पड़ा है ?

(२) क्या यह सही है कि मुआफिक इकरारनामा उक्त स्कूल के निर्माण के लिये दानदाता ने आवश्यक धनराशि खर्च कर कमरे बनवा दिये थे पर राजकीय अनुदान न मिलने के कारण ही यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक २७-३-६१ को मुआफिक एस्टीमेट चीफ इन्जीनियर (पी. डब्ल्यू. डी., बी. एण्ड, आर.) के रु. २७,०००) की स्वीकृति इस अधूरे कार्य को पूरा किये जाने हेतु दिये जाने की सिफारिश की गई थी ?

(४) यदि हां, तो उक्त राशि अब तक उपलब्ध नहीं की जा सकी और अब उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर, सुमेरपुर द्वारा सन् १९५५ में शाह हजारीमल कोठारी द्वारा माध्यमिक शाला के लिये भवन बनाने के लिये १७,०००) रु० का आफर स्वीकार किया गया था इसके अलावा ७,०००) रु. की धनराशि कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर, सुमेरपुर द्वारा एवम् २०५८) रु. १० आना मन्त्री विकास मन्डल, सुमेरपुर, बांकली द्वारा खर्च किये गए जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित कमरे बनाए गये :—

Page No. 9

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(१) ४ कमरे २४'×२०'

(२) १ प्र. अ. कमरा ९'×९'

(३) १ अध्यापक कमरा ९'×९'

(४) १ पुस्तकालय कमरा २०'×९'

(३) जी हां।

(४) इस भवन में निम्नलिखित और कमरे बनाने के लिये चीफ इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा २७,०००) रु. की मांग की गई थी जिसमें से २०,०००, रु. की स्वीकृति इस भवन के लिये राज्य सरकार द्वारा २४-२-६४ को स्वीकृत हुई है :—

(१) २ अतिरिक्त कमरे २४'×२०'

(२) १ हाल ३१'×२०'

(३) बरान्डा

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी।

दौसा से लालसोट बिजली की सप्लाई

३०५. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दौसा से लालसोट तक सन् १९५२ से बिजली के खम्मे खड़े हैं?

(२) क्या सरकार इनके जरिये बिजली सप्लाई करना चाहती है ?

(३) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) ३३ के. वी. जयपुर-बस्सी-दौसा लाइन का कार्य समाप्त होने पर।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट जयपुर में बिजली की दर

३०६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर में किस किस यूनिट को कब कब से किस किस दर से बिजली के कनेक्शन्स दिये हुए हैं ?

(२) किस किस शेड में किस किस वर्ष में कितने कितने यूनिट बिजली खर्च हुई और कितना कितना रुपया जमा कराया है ? कृपया एक वर्ष वार, माहवारी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर में जो बिजली के कनेक्शन्स दिये गये हैं उनकी सूची अपेन्डिक्स 'ए' में दिखाई गई है। जिस पर कनेक्शन्स दिये गये हैं वह सूची अपेन्डिक्स 'बी' में दिखाई गई है।

(२) किस किस शेड में कितने कितने यूनिट बिजली खर्च हुई यह सूची अपेन्डिक्स 'सी' में दिखायी गयी है।

उपरोक्त तीनों सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

प्रश्न संख्या ३०७

श्री अध्यक्ष : श्री मत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

लाखेरी में अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था

३०८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी में सीमेंण्ट उद्योग होने के कारण व अन्य कार्यों के लिए अधिकतर सरकारी अधिकारी निरीक्षण करने हेतु दौरे पर जाते रहते हैं ?

(२) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के ठहरने व रहने की व्यवस्था के लिए डाक बंगला या कोई अन्य राजकीय स्थान है या नहीं ?

(३) यदि नहीं, तो दौरे में उन्हें कहां, किस स्थान पर रहना पड़ता है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) इस विभाग को इसकी आनकारी नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या मतलब हुआ इसका ? मैंने इतनी मेहनत की प्रश्न पर और आपकी समझ में नहीं आया ? मैं पूछता हूं कि आपके जितने भी अधिकारी लाखेरी जाते हैं तो कहां जाकर ठहरते हैं, कहां खाते हैं, इसकी जानकारी दी जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दुबारा दे दीजिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी हां । •

(२) जी नहीं ।

(३) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** : मैंने पूछा है कि अधिकारी कहां ठहरते हैं ? आपने बताया नहीं । किसी सरकारी इमारत में जाकर ठहरते हैं या वहां के मैनेजर के डाक बंगलों में ठहरते हैं और मुफ्त की रोटियां खाकर चले आते हैं । कुछ तो बताइये ।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बादवार ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आने दें ।

श्री अध्यक्ष : आपने बता दिया कि कहां ठहरते हैं ।

प्रश्न संख्या ३०९

श्री दुर्गालाल बादवार ।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१०

श्री हरिराम चौहान ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

बी० एड० ट्रेनिंग सेण्टर, कोटा

३११. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में बी० एड० ट्रेनिंग सेण्टर खोलने की योजना सन् ६३-६४ के लिए स्वीकृत हो चुकी है ? अगर हां, तो सेण्टर क्यों नहीं खोला गया ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि सन् १९६०-६१ के अन्दर सरकार ने नान्ता में ट्रेनिंग कालेज खोलने का निर्णय किया था और आदेश दिए थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा नहीं है । पत्र व्यवहार जरूर हुआ था लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं लिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय उपमंत्री का ध्यान उनके डिपार्टमेंट के पत्र संख्या एफ० २० (४) एज्यूकेशन।सेल।६१५९, दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ लैटर फाम दी एज्यूकेशन सेक्रेटरी टू दी डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन बीकानेर, इस पत्र के द्वारा यह तय किया गया था कि ट्रेनिंग कालेज, नान्ता में खोला जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है । आपने कोटा नगर का पूछा है नान्ता का अलग प्रश्न है ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबडा) : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेनिंग कालेज खोलने की योजना कोटा में थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कोटा के लिये नहीं थी, नान्ता के लिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोटा के लिए ।

श्री अध्यक्ष : इसे कुछ दिन बाद रखा जाय । आप पूछ कर बताइये इसके बारे में ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोटा के लिए स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष : नान्ता के लिये भी स्पष्ट कर दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां ।

प्रश्न संख्या ३१२

श्री अध्यक्ष : श्री रामसहाय ।
(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल ।

सड़कों की मरम्मत—जिला सवाई माधोपुर

३१३. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बनाई हुई सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि उन सड़कों की देखभाल सरकार की ओर से नहीं होती है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इन सड़कों से ग्रामीण जनता को काफी सुविधा रहती है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इन सड़कों को बनाने व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों में मिलाने के बारे में क्या सोच रही है ?

(५) इन सड़कों को कब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों में मिला कर इनकी मरम्मत कराई जावेगी ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) ये सड़कें इस विभाग की मरम्मत सूची में शामिल नहीं हैं।

(२) जी हां।

(३) सड़कों से सुविधा स्वाभाविक है।

(४) अर्थाभाव के कारण सड़कों का बनाना संभव नहीं है तथा १० मील तक की सड़कें क्षेत्रीय पंचायत समितियों द्वारा कराई जाने को है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से धनराशि मिली है, वह खर्च कर दी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार को कोई धनराशि नहीं देता।

श्री भीमसेन : कम से कम एक लाख रुपये मिले हैं।

श्री भवणलाल : जैसे मंत्री महोदय ने बताया, सड़क बहुत खराब हो चुकी है और दूसरे में बताया है कि इस पर सरकार की देखभाल नहीं होती है। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने की यह सड़क बनी हुई है। आजकल उसकी बहुत खराब हालत है। उसमें दो दो फीट के गड्ढे पड गए हैं और ग्रामीणों को आने जाने में और अनाज ढोने में बहुत परेशानी होती है। उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। यदि इसकी मरम्मतो करने के लिए इसको निर्माण विभाग की सड़कों में शामिल किया जाय तो उसकी देखभाल हो सकेगी।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैं आपसे निवेदन करूं कि १० मील सड़क की मेन्टीनेनस पंचायत समिति करती है।

श्री भवणलाल : पंचायत समितियों की खुद की जो सड़कें हैं उनकी ऐसी हालत है कि वे और भी अधिक गई बीती हैं। वे अपनी सडकें ही ठीक नहीं रख सकती तो वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों के लिए क्या करेंगे ?

प्रश्न संख्या ३१४

श्री अध्यक्ष : श्री चौथमल वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१६

श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल

Page No. 13

रोडवेज की बस सर्विस, जिला बांसवाड़ा

३१७. **श्री बिट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिला बांसवाड़ा में राजस्थान रोडवेज की बस सर्विस चलाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं। फिलहाल अजमेर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से उदयपुर व उदयपुर से डूंगरपुर व डूंगरपुर से रतनपुर मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद ही बांसवाड़ा जिले के मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो सकेगा।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : कब तक वहां बसें चलने लगेंगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीयकरण का प्रोग्राम टेक–अप नहीं किया जा रहा है। बसों के चलाने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री बिट्ठल : बांसवाड़ा में सरकारी बसें चलाने में क्या दिक्कत आ रही है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह इतना लम्बा रूट पड़ता है कि इसके बीच में जब तक कोई वर्कशाप न हो तब तक इन बसों का चलाना सम्भव नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने बताया कि उदयपुर से डूंगरपुर, और डूंगरपुर से रतनपुर मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है बसें कब चलेंगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी डूंगरपुर और उदयपुर का जो रूट है वह अण्डर कन्स्ट्रक्शन है। अगले साल तक बन जायगा। उसके बाद होगा।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार ने गत सत्र में आश्वासन नहीं दिया था कि उदयपुर के मार्ग का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जायगा?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो उदयपुर का मार्ग था वह लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के यहां से रिजेक्ट हो गया। इसलिये इसका दूसरा रूट टेक अप किया जायगा और उसकी सारी कार्यवाही होने के बाद ही इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : कौनसा? वाया मावली वाला?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कपासन वाला जो मार्ग था वह रिजेक्ट हो गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कौनसा मार्ग आपकी राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत आता है? एक तो भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौडगढ और दूसरा भीलवाड़ा से उदयपुर वाया नाथद्वारा और गंगापुर है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ये दोनों रूट्स विचाराधीन हैं। जो सम्भव हो सकेगा टेक अप किया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपका विचाराधीन समय कब तक खतम होगा? इस हाउस में इस रूट के बारे में कम से कम

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
हम एक साल से सवाल पूछते आ रहे हैं, कुछ नक्की नहीं हुआ है । आप आश्वास दे दें कि इतने समय के अन्दर इस रूट का नेशनेलाइजेशन आप कर देंगे ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उदयपुर का जो वाया कपासन रूट था, कुछ समय पहले लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने उसको खराब घोषित किया । आल्टरनेटिव रूट को एग्जामिन करने की कार्यवाही की जा रही है तो इसमें ढील करने की आवश्यकता नहीं समझनी चाहिये ।

श्री विट्ठल : डूंगरपुर के लिए जो आपने बताया तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या फर्क है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो आपको मालूम होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने किन कारणों से खारिज किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक तो सड़क पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर नाले वगैरह आते थे जिन पर कल्वर्ट्स नहीं ने हैं । बीच में कपासन गांव आता है उसके बीच में सड़क आती है । सड़क सकडी थी । रोडवेज की बसें आसानी से पास नहीं हो सकती थीं । इसलिए उन्होंने मौके पर जाकर देखा और रिजेक्ट किया ।

श्री अध्यक्ष : आज उस मार्ग पर कई बसें प्राइवेट चलती हैं वे गांवों और शहरों के अन्दर होकर नहीं जाती हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां । प्राइवेट बसें चलती हैं । लेकिन हमारी जो बसें हैं वे उनकी बसों की साईज से बड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष : बसें तो ज्यादा इस तरह की भी हो सकती हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अन्य जगहों में कैसे रोडवेज की बसें गांवों के अन्दर होकर जाती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उन बसों के हिसाब से वे गांव ठीक होंगे लेकिन यह ठीक नहीं होगा इसलिए खारिज कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

तहसील भादरा के ग्रामों को बिजली

३१८. श्री **हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बिजली सप्लाई हेतु तहसील भादरा के ग्राम छानी बडी व गांधी बड़ी का सर्वे बिजली विभाग द्वारा किया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि ग्राम गांधी बडी व ग्राम छानी बडी (तहसील भादरा) की जनसंख्या देखते हुए यह दोनों ग्राम अपनी तहसील के क्रमशः प्रथम व द्वितीय श्रेणी के नहरी ग्राम हैं ? यदि हां, तो सरकार इन दोनों ग्रामों को बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था कब तक सम्पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) जी हां, छानी बडी का सर्वे हो चुका है परन्तु गांधी बडी का नहीं ।

(२) इस समय जिन गांवों की जनसंख्या ५,००० है या इससे अधिक हैं उनके

(श्री चन्दनमल बैद)
विद्युतीकरण की योजना है। इन गांवों की जन-संख्या ५,००० से कम है।

श्री हरदत्तसिंह : डिस्ट्रिक्ट गंगानगर के किसी भी गांव की जन-संख्या आपके निर्धारित कोटे के अन्तर्गत आती है क्या वहां बिजली सप्लाई कर सकेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : पांच हजार से ऊपर जितनी भी जनसंख्या के गांव या कस्बे हैं उन सबको तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् सप्लाई करने का है और जरूर किया जायगा।

श्री हरदत्त सिंह : मेरा प्रश्न साफ है। जिला गंगानगर में क्या एक भी ऐसा गांव है जो आपके इस कोटे के अन्तर्गत आता है ?

श्री चन्दनमल बैद : भादरा की ही पांच हजार से ऊपर जन-संख्या है।

श्री हरदत्तसिंह : भादरा कोई गांव थोड़े ही है, कस्बा है। म्युनिसिपल बोर्ड है वहां। क्या लालगढ़ गांव आपके बताये हुए कोटे में आता है ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे अफसोस है कि आपने इस गांव के बारे में नहीं पूछा। यदि आप लालगढ़ गांव के बारे में पूछते तो मैं जानकारी करके उत्तर दे देता। अभी ऑफ हैंड इसके लिए कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है।

श्री हरदत्तसिंह : छानी बड़ी की जन-संख्या पांच हजार से ऊपर है। आपने जवाब दिया कि कम है।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे जो सूचना दी गई है। उसके अनुसार दो हजार से भी कम है।

श्री हरदत्तसिंह : वहां वोटर्स की संख्या हजार से उपर है। मेरे पास लिस्ट है।

श्री चन्दनमल बैद : जो मुझे इत्तला दी गई उसके अनुसार मैंने यहां उत्तर दिया है। फिर भी है तो इसकी जांच करा लूंगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या रूरल सेक्टर में बिजली लाने का निर्णय लिया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पोजीशन यह है कि जो विलेजेज पांच हजार से ऊपर हैं वे एक्सटेन्शन टू डिस्ट्रिब्यूशन होंगे। एक्सटेन्शन टू डिस्ट्रिब्यूशन का मतलब ११ हजार की लाइन ले जाने का सवाल है, एक दफा ११ हजार की लाइन खिंच गई तो ओन दी रूट जो गांव आते हैं उनको जोड़ने का सवाल है। वहां पर्याप्त मात्रा में कुएं हैं तो उनको बिजली दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

बूंदी रेस्ट हाउस में कमरे का निर्माण

३१९. **श्री हरीप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूंदी रेस्ट हाउस में एक कमरे का निर्माण वर्ष १९६१ में करवाया गया था किन्तु वह पूरा होते ही गिर पड़ा ? यदि हां, तो उसके कारणों की जांच की गई या नहीं ?

(२) यदि जांच करवाई गई, तो

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
इसका क्या कारण मालूम पड़ा ?

(३) जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति ठेकेदार से करवाई गई या सरकार के खजाने से ? इससे सम्बन्धित ओवरसियर के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने कहा कि "यह सही नहीं है" लेकिन यदि आपके रिकार्ड से ही यह सही हो जाय तो आप क्या करेंगे ? कमरा बनाया और वह गिर गया। वह सही है। आपके रिकार्ड से सही है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो नहीं सकता। जानकारी करके ही जवाब दिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह हुआ है, अध्यक्ष महोदय। दुबारा बनाया है।

श्री अध्यक्ष : कमरा नहीं गिरा होगा पट्टी गिर गयी होगी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कमरा गिरा है, दुबारा बनाया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ऐसा खोटा जवाब सदन में नहीं आना चाहिये। डिप्टी मनिस्टिर को इसके लिये वार्निंग देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इसकी जांच करके दुबारा जवाब देंगे।

श्री मानसिंह महार : इसको दुबारा रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : (अनुपस्थित)।

श्री मुरलीधर व्यास : (अनुपस्थित)।

श्री जयनारायण सालोदिया :

बिजली के बिलों में हिन्दी भाषा का प्रयोग

२९२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार बिजली के बिलों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा का उपयोग करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) जी हां, यह प्रश्न विचाराधीन है। बोर्ड के निर्णय लेने पर उसे जल्दी ही कार्यान्वित कर दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब से विचाराधीन है बोर्ड के ?

श्री चन्दनमल बैद : बोर्ड की बैठक आज ही हो रही है उसमें इसको लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला (अनुपस्थित)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अनुपस्थित)

Page No. 17

(श्री अध्यक्ष)

श्री मजलिस खां : (अनुपस्थित)

श्री रामकिशन : (अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह : (अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार ।

जुगलजोड़ी प्राइमरी स्कूल, पुरानी बस्ती, जयपुर

३०९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पुरानी बस्ती, जयपुर में जुगल-जोडी प्राइमरी स्कूल किस कारण से बन्द किया गया ?

(२) इस प्राइमरी स्कूल में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और अब राज्य सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था की है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) बन्द नहीं किया गया, भवन की दीवार टूट जाने से दूसरे स्थान सरस्वती कुंड में बदला गया है ।

(२) इस स्कूल में १४४ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बन्द नहीं किया गया है तो शिक्षार्थी शिक्षा कहां प्राप्त कर रहे हैं ? स्कूल की बिल्डिंग टूट जाने के बाद इनका क्या हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरस्वती कुंड में बदला गया है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : पहले से ही वहां स्कूल चल रहा है और उसके लिए भी जगह पर्याप्त नहीं है तो यह सरस्वती कुंड का स्कूल चल रहा है या जुगल जोडी का स्कूल चल रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुंड में चल रहा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कुंड में कैसे स्कूल चलता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुंड तो उसका नाम है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह सरस्वती कुंड स्कूल पहले से ही चल रहा है या जुगल-जोडी के नाम से चल रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां से हटा कर सरस्वती कुंड के एक भाग में इस स्कूल को बदल दिया गया है । एक भाग में वह चल रहा है और दूसरे भाग में यह चल रहा है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : सरस्वती कुंड में मुश्किल से दो या तीन तिबारे बने हुए हैं जब कि कमरे नहीं हैं । स्कूल का प्रश्न ही नहीं उठता है जो बच्चे वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकें । जो बच्चे वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए पहले ही से वह स्थान अपर्याप्त है । यह स्कूल भवन टूट गया । इसको तीन वर्ष से अधिक का समय होगा । वहां बैठने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा । आपका यह कहना है कि इस जुगलजोडी स्कूल के विद्यार्थी भी वहां शिक्षा लेते हैं । क्या स्थिति है उसकी ? वह स्कूल एक शिफ्ट में चलता है या दो शिफ्ट में चलता है ? सत्यता तो यह है कि सारे एरिया में एक ही

(श्री दुर्गालाल बांढदार)
छोटा प्राइमरी स्कूल था। इस स्कूल को टूटे हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है, राज्य सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। इत्तला यह दी जाती है कि दोनों एक जगह पढ़ते हैं। यह कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है उसका आप निराकरण कीजिये। हम यह चाहते हैं कि शिक्षार्थियों के लिए पढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान हो। हम आपसे शिकायत नहीं करते हैं। हम तो निवेदन करते हैं।

श्री **जयनारायण व्यास**: 'हां' किया या 'ना' किया?

श्री **अध्यक्ष**: 'ना' का सवाल नहीं है।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**: इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि साल में, छः महीने में आप कर देंगे।

श्री **अध्यक्ष**: माननीय उप-मंत्री जी स्वयं मौके पर जावेंगे और कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे।

श्री **निरंजननाथ आचार्य**: स्वयं भी जाऊंगा। अर्थाभाव का प्रश्न जैसे ही हल होगा इसको ले लेंगे।

श्री **अध्यक्ष**: श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री चौथमल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नरथीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामों में खेती के लिए बिजली

१२०. श्री **रामकिशन** (वैर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के कितने जिलों में, ग्रामों में खेती के लिये बिजली दी गई है? जिलेवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बिजली देते समय प्राथमिकता किस आधार पर दी गई है?

उत्तर

(१) सूची संलग्न की जाती है।

२. राजस्थान राजकीय विद्युत् मंडल द्वारा निर्धारित आधार पर, जो निम्नांकित हैं:—

(१) आबादी ५,००० या उससे अधिक हो।

(२) ग्राम विद्युत् मंडल की ११ के. वी. लाइन से ३ मील से कम के फासले में हो और कम से कम एक मील के फासले में ५ कनेक्शन ५-५ हॉर्स पावर के हों।

(३) योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने से विधा

Page No. 19

सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

नगरपालिकाओं में विद्युत् विभाग की बकाया

१२१. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं में विद्युत् विभाग की कितनी धन-राशि बकाया है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या इस बकाया की वसूली के लिये कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उसके अनुसार कौन-कौन सी नगरपालिकाओं के साथ कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या कोटा नगरपरिषद् की संपत्ति से पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(४) विद्युत् विभाग की रकम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा की नगरपालिकाओं में कितनी-कितनी बकाया है और कब से ?

उत्तर

(१) राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं में विद्युत् की जो रकम विभिन्न दिनांक को बकाया है । उसकी सूची संलग्न है ।

(२)(क) अगर बकाया रकम बोर्ड के बनने से पहले की है तो राजस्थान ड्यूज रिकवरी एक्ट, १९६० के अन्तर्गत वसूल की जा सकती है ।

(ख) विभिन्न नगरपालिकाओं से राज्यविद्युत् मंडल ऑक्ट्राय के बाबत कोई समझौता नहीं होने के कारण निर्णय लिया गया है कि जब तक इस संबंध में राज्य सरकार से अन्तिम निर्णय की सूचना नहीं मिल जाती तब तक न तो नगरपालिका ही ऑक्ट्राय के संबंध में विद्युत् विभाग पर जोर डाले और न ही विद्युत् विभाग अपने पिछले बकाया के लिये नगरपालिका से कुछ कहे । इस पर भी कोई नगरपालिका इस नियम को न माने और चालू मास में बिजली की बकाया का भुगतान न करे जब कि कोई ऑक्ट्राय का भुगतान नगरपालिकाओं को कर रहा हो तो बोर्ड उस नगरपालिका का विद्युत्-विच्छेद करके बकाया रकम की वसूली कर सकता है ।

इस संबंध में भिन्न २ नगरपालिकाओं के साथ कार्यवाही की जा रही है । (१) किशनगढ, (२) रतनगढ, (३) जयपुर, (४) भरतपुर, (५) अलवर नगरपालिकाओं के साथ ड्यूज रिकवरी एक्ट, १९६० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

(३) कोटा नगर परिषद् से पब्लिक डिमाण्ड एक्ट के अन्तर्गत रकम वसूल करने की कार्यवाही के संबंध में तहकीकात की जा रही है । अतः सूचना बाद में भेजी जावेगी ।

(४) विद्युत् विभाग की बकाया रकम निम्न नगरपालिकाओं में इस प्रकार है:––

(१) जयपुर ७७,३३,३६५) रु० बोर्ड बनने के पूर्व से लेकर मई, १९६३ तक ।

(२) उदयपुर, उदयपुर में बल्क सप्लाई सिस्टम है और चूंकि विद्युत् शक्ति प्रत्येक उपभोक्ता को सीधे विद्युत् विभाग से नहीं दी जाती । उदयपुर नगरपालिका के जुम्मे लाइसेन्सी की बकाया रकम की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(श्री हरीप्रसाद शर्मा)

(३) बीकानेर, ५,८७,८९७) रु० बोर्ड नेबन से पूर्व से लेकर मई, १९६३ तक।

(४) जोधपुर, ३,४४,२१६) रु० बोर्ड बनने के पूर्व से लेकर अक्टूबर, १९६३ तक।

(५) अजमेर, इसकी स्थिति वैसी ही है जैसा कि उदयपुर के संबंध में बताया गया है।

(६) कोटा, ४,२१,४६३) रु० बोर्ड बनने के पूर्व से लेकर जनवरी, १९६४ तक।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

हाई स्कूल, निवाई

१२२. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हाई स्कूल निवाई में अलग २ क्लास में कितने २ छात्र हैं? कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस स्कूल में कौन-कौन सी योग्यता के कितने अध्यापक कार्य करते हैं और कब से इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं? वेतन ग्रेड सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) हाई स्कूल, निवाई की हर कक्षा के गत तीन साल के परिणामों के विवरण की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने पर विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

अध्यापकों की बकाया

१२३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शिक्षा विभाग के जयपुर क्षेत्र के उप-संचालक के क्षेत्र में कितने बी. टी. सी अध्यापकों की कब-कब से फिक्सेशन की कितनी-कितनी रकम बकाया है और क्यों? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) टी. ए. व डी. ए. की किस-किस वर्ष की कितनी-कितनी बकाया हैं?

(३) अन्य प्रकार की किस-किस वर्ष की कितनी-कितनी रकम बकाया है?

(४) इस बकाया के भुगतान के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) उप-संचालक, शिक्षा विभाग जयपुर के अन्तर्गत सिलेक्शन ग्रेड के ३९ अध्यापकों की कुल धनराशि निम्न प्रकार बकाया है :—

१—निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर. ३१,४९५रु० ६२पैसे. (३४केस)

२—उप—निक्षरीका शिक्षणालय, जयपुर .. ५,४४५ रु० ७७ पैसे (५ केस)

कुल योग .. ३६,६४१.३९ पैसे (३९ केस)

क्योंकि अध्यापकों के सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन के आदेश दिनांक १-४-५० के सन् १९५७ में निकाले गये थे, सन् १९५७ में ही इनकी बकाया धनराशि के बिल बनाये गये किन्तु ए. जी. आफिस ने ऐतराज उठाया कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से प्रमोशन दिये गये मामलों के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। साथ ही यह भी ए. जी. द्वारा चाहा गया कि राज्य सरकार इन बिलों को विदाउट इन्वेस्टीगेशन के पास करने की स्वीकृति देवे। ये दोनों प्रकार की स्वीकृतियां राज्य सरकार से दिसम्बर सन् ६२ में प्राप्त हुईं। इसके पश्चात् इन मामलों के भुगतान की बराबर कार्यवाही चल रही है और अब तक काफी अध्यापकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष ३९ अध्यापकों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

(२) टी. ए. व डी. ए. की बकाया धनराशि निम्न प्रकार है:—

	रु० न.पै०
१—निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर (सन् १९५२ से ६१)	३६५२.८४
२—निरीक्षक शिक्षणालय, अलवर (सन् १९५२ से ६१)	१०७२.६६
३—निरीक्षक शिक्षणालय, झुंझुनूं (सन् १९५८ से ६२)	३५६८.००
४—निरीक्षक शिक्षणालय, करौली (सन् १९५० से ६२)	४८५८.११
५. निरीक्षक शिक्षणालय, भरतपुर (सन् १९५० से ६२)	४,३८६.००
६. निरीक्षक शिक्षणालय, अजमेर (सन् १९५५ से ६१)	५१२.००
७. उप-निरीक्षिका शिक्षणालय, जयपुर (सन् १९५९ से ६२)	३३९.००
८. उप-निरीक्षिका शिक्षणालय, अजमेर (सन् १९५५ से ६३)	३२१.००
कुल योग ..	१८७०९.६१

(३) अन्य प्रकार की बकाया धनराशि निम्न प्रकार है:—

	रु० न. पै
१—निरीक्षक, शिक्षणालय, अजमेर (सन् १९५० से ६३)	८५५९६.००

२-निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर (सन् १९४९ से ६२)	रु० न. पै. १५८४८१.३३
३-निरीक्षक शिक्षणालय, अलवर (१९५२-६२)	११९७९.६८
४-निरीक्षक शिक्षणालय, झुन्झुनूं (१९५०-६१)	३४७०.०८
५-निरीक्षक शिक्षणालय, करौली (१९५६-६२)	५६०३९.८६
६-निरीक्षक शिक्षणालय, भरतपुर (१९५०-६१)	४६६४६.३९
७-निरीक्षक शिक्षणालय, सीकर (१९५१-६०)	४९०८.७४
८-उप-निरीक्षिका शिक्षणालय, जयपुर (१९५०-६२)	१४६२१.९५
९-उप-निरीक्षिका शिक्षणालय, अजमेर (१९५५-६३)	१३८२९.००
कुल योग ..	३९५५७३.०३

(४) निरीक्षक शिक्षणालय इस ओर अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर इन क्लेम्स के शीघ्र भुगतान करने के लिये काफी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने काफी बाधायें अपने क्षेत्र के बकाया धनराशि के बिलों को पूर्ण कर दिया है। अब उन्हें अध्यक्ष, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, के कार्यालय में जांच व काउन्टर सिगनेचर हेतु भेजकर शीघ्र जांच करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसके लिये सभी अधिकारी पूर्ण प्रयत्नशील हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पब्लिसिटी इक्विपमेन्ट तथा अन्य) सामान खरीदने हेतु एडवान्स

१२४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** : (पाटन) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५९-६० तथा ६०-६१ में नेशनल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली, को भिन्न-भिन्न समय में लगभग १ लाख रुपये के पब्लिसिटी इक्विपमेंट तथा अन्य सामान खरीदने के लिये एडवान्स दिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना एडवान्स दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि एडवान्सेज के अनुसार जिस समय यह सामान विभाग को मिलना चाहिए था, नहीं मिला ? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी कीमत का सामान कब-कब प्राप्त हुआ ?

(३) क्या इतनी भारी रकम एडवान्स देने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(१) जी हां। ७५,०००) रु० उदयपुर और जैसलमेर में प्रसारित ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के निमित्त मशीन खरीदने के लिये नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज को दिनांक ३१-३-६० को दिये गये थे। ३३,०००) रु० उपरोक्त फर्म को उसी तिथि पर पब्लिक एड्रेस का सामान खरीदने के लिये दिये गये थे।

(२) सामान प्राप्त करने के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, जितनी

Page No. 23

(श्री हरि प्रसाद शर्मा)

कीमत का सामान जिस तिथि को प्राप्त हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। ७५,०००) रु० की अग्रिम रकम में से ११,११८.१२ रु० की मशीन प्राप्त हुई। ११,०००) रु० फर्म ने लौटा दिये, ६.८८ रु० फर्म ने ११,०००) रु० की धनराशि लौटाने के लिये बैंक ड्राफ्ट का कमिशन वसूल किया है। अब फर्म में २३२४.५० बाकी हैं। तदन्तर ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेण्टर विभाग द्वारा उद्योग विभाग को स्थानान्तरित कर दिये गये थे। उद्योग विभाग द्वारा १७१३.२६ रु० की मशीनें कोटा स्थित केन्द्र को भेजने के लिये लिखा गया है। इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर फर्म को उक्त धनराशि का सामान कोटा केन्द्र को भेजने को लिखा जावेगा और शेष ६११.२४ रु० फर्म से वापिस मंगा लिये जावेंगे। ३३,०००) रु० की रकम में से फर्म को सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक कोई सामान प्राप्त नहीं हो सका। फर्म ने ५,०००) रु० की कीमत के दो जेनेरेटर भेजने की सूचना दी है। शेष रकम फर्म को लौटाने के लिए लिखा गया है।

(३) ७५,०००) रु० की अग्रिम रकम देने के लिये राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक २३-३-६० को और ३३,०००) रु० की रकम अग्रिम देने के संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक ३०-३-६० को प्राप्त की गई थी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय

१२५. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में छात्राओं के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास कब से हैं और इनमें कितनी कितनी छात्राएं हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) प्रति वर्ष इन छात्रावासों पर कितना-कितना खर्चा होता है ? प्रत्येक छात्रावास के आंकड़े पृथक २ बताने की कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

आदिवासियों एवं हरिजनों के कल्याणार्थ कार्य—तहसील सिकराय

१२. श्री लक्ष्मणप्रसाद पाण्डे (सिकराय) : क्या मंत्री, समाज-कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के लिए तहसील सिकराय में सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

(२) यदि हां, तो जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जो कार्य किए गए हैं, उनकी तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No. 24

देवस्थान की बकाया रकम

१२७. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आज तक देवस्थान की रकम किन-किन में कितनी-कितनी बकाया है और कितने समय से बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

देवस्थान की रकम ५२ व्यक्तियों में रु० ४,७४,११८-०० न० पै० बकाया निकल रही है जिसकी नामवार सूची कार्य देने के समय सहित सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीयकृत रूट्स से प्रभावित प्राइवेट बस ऑपरेटर्स

१२८. **श्री भवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में किस-किस रूट का राष्ट्रीयकरण हुआ है और उन पर कितनी स्टेट रोडवेज की बसें चल रही हैं?

(२) सरकार की इस राष्ट्रीयकरण की स्कीम के कारण कितने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को इन रूट्स से अलहदा होना पड़ा है?

(३) प्राइवेट बस ऑपरेटर्स में से कितनों को मुआवजा दिया गया है और कितनों के मुआवजे के क्लेम्स विचाराधीन हैं? कितनों के मुआवजे के क्लेम्स खारिज किये गये और क्यों?

(४) कितने ऐसे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को आल्टरनेटिव रूट्स दिये गये हैं, और कितनों को नहीं दिये गये और क्यों?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रोडवेज की बसों से आय व बसों का टेक्नीकल चेकिंग

१२९. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में कितनी रोडवेज की बसें कहां से कहां तक चलती हैं? मानचित्र सदन की मेज पर रखा जावे और उस बस नम्बर भी दर्शाया जावे।

(२) इन बसों से वर्ष सन् १९-२-६३ में कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ?

(३) वर्ष सन् ६२-६३ में इन बसों से सरकार को क्या लाभ हुआ?

(४) क्या सरकार इनकी टेक्नीकल चेकिंग भी कराती है?

(५) सन् १९६२-६३ में कितनी बसें रास्तों में खराब हुईं जिनसे सवारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी?

(६) क्या ये बसें ठीक समय पर चलती हैं?

उत्तर

(१) राजस्थान रोडवेज की गाड़ियों के चलने वाले मार्ग तथा गाड़ियों की संख्या, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सन् १९६२-६३ में राजस्थान स्टेट रोडवेज की कुल आय ९०,८३,०४९) रु० की हुई थी। कुल खर्चा इस वर्ष में छीजत, ब्याज वगैरह शामिल करके ६५,५८,५८९) रु० का हुआ।

(३) सन् १९६२-६३ में सब खर्च

(श्री मस्तीसिंह)

काट कर राजस्थान स्टेट रोडवेज् को लगभग २५,२४,४६०) रु० का लाभ हुआ ।

(४) जी हां।

(५) खराब होने वाली बसों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) कोशिश यह की जाती है कि गाड़ियां ठीक समय पर ही चलें फिर भी कभी कभी कुछ गाडियां मेकेनिकल गड़बड़ के कारण लेट भी हो जाती हैं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) ने ७ मार्च, १९६४ से ३१ मार्च, १९६४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स रेग्युलेशन्स, १९५१ में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना (सदन की मेज पर रखना)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मथुरादास माथुर ऑन बिहाफ ऑफ श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, नियुक्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १४(८)नियुक्ति (ए) ४।५६, दिनांक २५ सितम्बर, १९६३, को सदन की मेज पर रखता हूं, जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फन्क्शन्स) रेगुलेशन्स १९५१, में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : सूचना मेज पर रखी गई।

गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर से सम्बन्धित डाइरेक्टरों के प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखना

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के ३० जून, १९६२, को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टरों की रिपोर्ट एवं तत्सम्बन्धी लेखे का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पत्र सदन की मेज पर रखा गया।

आय-व्ययक १९६४-६५ पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट जिस दिन सदन में प्रस्तुत हुआ या देव-संयोग से मैं अनुपस्थित था। । बजट के समाचार मैंने रेडियो पर सुने।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) लीडर ऑफ अपोजीशन की जगह बोल रहे हैं क्या आप ?

श्री भैरोंसिंह : और उसके बाद·····

श्री मथुरादास माथुर : उनकी हिम्मत नहीं बजट पर बोलने की ?

श्री भैरोंसिंह : और वहां आने के बाद समाचार पत्रों में इस बजट के सम्बन्ध में जो कमेन्ट्स हुए, उनको भी देखा । उन सबको पढ़ने से ऐसा लगता था कि राज्य सरकार ने यह बजट पेश कर एक नयी परम्परा का प्रारम्भ किया है। जनता को राहत भी दी है नये टैक्सेज भी कम लगाये हैं, लेकिन जब इस बजट स्पीच को पढ़ा तो इसमें ऐसा लगा कि इसमें न तो जनता को राहत है न टैक्सेशन से किसी प्रकार का रिलिफ है, और न इस प्रकार की घोषणायें हैं, जिन घोषणाओं के आधार पर राजस्थान के काश्तकारों, राजस्थान में उद्योग चलाने वालों को, राज्य के मजदूरों को, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत मिली हो। किसी प्रकार की राहत किसी को नहीं मिली है। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने वित्त का ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ मेस्मेरिज्म का काम भी सीखा है। उन्होंने यह बात कहते हुए भी कि मैं सदन को आंकडों के जंजाल में फंसाना नहीं चाहता इस बात की भरसक कोशिश की है कि सदन को आंकडों द्वारा गुमराह किया जाय। उन्होने बताया है कि १९६३-६४ का बजट जिसके अन्दर ६० लाख का डेफिसिट था आगे चलकर भारत सरकार के कर्ज की अदायगी का जिसका प्रावधान बजट में नहीं रखा गया था वह किया गया। अकाल के सम्बन्ध में कुछ रेवेन्यू को ससपेन्ड करना पड़ा और उसके साथ-साथ अकाल के लिये अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ा। ये सब कुछ करने के साथ-साथ उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर यह बताया कि अगर इन सब चीजों का जोड़ लगाया जाय तो पिछले साल में लगभग ८ करोड़ रुपये का घाटा रहता है। अब उनका मेस्मेरिज्म चालू होता है और उन्होंने यह कह कर कि मेरे अपने एफर्टस् द्वारा यह आठ करोड़ की घाटा ८ लाख थी बचत में परिणित हो गया, इससे बढ़कर कोई मेस्मेरिज्म नहीं हो सकता। इसी आधार पर सरकार को पूछना चाहता हूं कि अगर आठ करोड़ का घाटा ८ लाख रुपये की बचत में परिणित हो सकता है तो क्या इस सरकार के बजट बनाने का कोई आधार है ? क्या इस प्रकार से कोई सरकार अच्छा बजट बना सकती है, इसका दावा कर सकती है ? क्या सरकार कह सकती है कि यह जनता के साथ फ्रॉड नहीं किया है ? क्या सरकार ने लेजिस्लेचर के साथ फ्रॉड नहीं किया है ? आपका बजट बताता है कि पहले आप जहां घाटा बताते हैं और अन्त में उसको लाभ में परिणित कर सकते हैं यह क्या परम्परा है ? आपने अपने बजट को ६२-६३ के बजट को उस बजट को बहबूदी का बजट बनाने का, अच्छाई, का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आपने बताया है १९६२-६३ का अनुमानित बजट का घाटा जहां १८ लाख का था वहां एक्चुअली १५ लाख का हुआ है आपने तारीफ की कैसा बजट बनाते हैं ? इन्हीं शब्दों में जहां आपने ६२-६३ के बजट की तारीफ की तो ६३-६४ में यह सारी स्थिति कैसे बनी ? यह सरकार जो अपनी तारीफ पसन्द करती है वहां क्या इस प्रकार के गंभीर मामलों में कन्डैम नहीं करना चाहिये ?

माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने पहले

(श्री भैरोंसिंह)
बजट के बारे में संकेत किया है कि चीनी आक्रमण की पृष्ठ भूमि में १९६३-६४ के बजट पर विचार कर रहे हैं। और अब की बार किस पृष्ठभूमि में विचार कर रहे हैं इसका भी उन्होंने संकेत किया है, अकाल ही नहीं, बल्कि केनेडी की मृत्यु का भी असर इस बजट पर है। बजट स्पीच के अन्दर इस बात का जो उल्लेख किया गया है। उसके उल्लेख का सीधा मतलब निकल सकता है। हमारी सरकार के आय-व्ययक की मद के अन्दर अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई उसका भी इनडाइरेक्ट कोई न कोई प्रभाव है। वह प्रभाव किस प्रकार से आया है मैं उसका इस समय उल्लेख करना नहीं चाहता। इतना अवश्य कहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री ने राजस्थान की सारी स्थिति को दयनीय बताते हुए इस बात को बताने की कोशिश की है कि मैं ने भारत सरकार से संघर्ष किया। भारत सरकार ने हमारे साथ दयानतदारी का बरताव नहीं किया, इस बात का भी उल्लेख किया है, और भारत सरकार को उलाहना भी दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर राज्य सरकार के सामने एक समस्या पैदा करदी है। उन्हें चाहिये था कि राज्य सरकार की जब तक माली हालत ठीक नहीं होती उस समय तक वेतन-वृद्धि की कार्यवाही नहीं करती। हमने मजबूर होकर-इन परिस्थितियों में इस बात को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री ने भगवान को भी उलाहना दिया है उन्होंने कहा है अपने भाषण, में, अकाल का जिक्र करते हुए कहा है। मैं समझता हूं वित्त मन्त्री ने पुराण भी पढ़े होंगे उनकी भगवान में आस्था भी होगी। पुराणों की कथाओं में विश्वास करने वाले कह सकते हैं कि इन्द्रदेव ने कुछ देर के लिये नींद ले ली। जैसे नींद लेना, सोना सरकार के ही हाथ में हो। जैसे सरकार किसी को परमिट देती है उसी प्रकार इन्द्रदेव को भी जब सरकार परिमिट देगी तभी वे सो सकेंगे और जब जागने का परमिट देंगी तभी जाग सकेंगे उन्होंने भगवान के लिये अपने बजट भाषण में कहा है--

"हकीकत यह है कि मानसून देर से आई, और वह भी कुछ जगहों को छोड़ बाकी सारे राज्य में बहुत कम बरसी दयालु भगवान के लिये यह चीज शोभा नहीं देती।"

वित्त मन्त्री ने एफर्ट् करने में कोई कसर नहीं रखी। भारत सरकार के वित्त मन्त्री भी यदि हमारे वित्त मन्त्री से सलाह लेते तो उनको पार्लियामेन्ट में यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि हमारे पास साधनों की कमी है। वित्त मन्त्री ने जहां अपने बजट भाषण में कहा भारत सरकार के पास काफी साधन हैं, अगर हमारे वित्त मन्त्री महोदय का भाषण केन्द्रीय वित्त मन्त्री पढ़ते तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलती कि हमारे साधनों का पता राजस्थान में एक महापुरुष बैठे हैं, वित्त मन्त्री की कुरसी पर, उनको सब पता है कि हमारे क्या-क्या वित्तीय साधन हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है आपका जो बजट भाषण है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं उसमें न हिन्दी है, न उसमें उर्दू है, न उसमें अंग्रेजी है, न काश्मीरी है और न हिन्दुस्तानी है सारी भाषाओं की

Page No. 28

(श्री भैरोंसिंह)

खिचड़ी है····

एक माननीय सदस्य : वही तो हिन्दुस्तानी है।

श्री **भैरोंसिंह** : इस प्रकार की भाषा में यह भाषण रखा गया है कि उसको कोई भी साधारण नागरिक नहीं समझ सकता····

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : वह महान् भाषण है।

श्री **भैरोंसिंह** : जो कोई भी इस भाषण को पढ़ेगा उसका पहला दिमाग यह होगा कि यह भाषण किसी अनपढ़ व्यकित का है····

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मन्त्री) : सब भाषाओं के ज्ञाता का है ऐसा समझेंगे।

श्री **भैरोंसिंह** : भाषण की दृष्टि से इस प्रकार का भाषण बजट में····

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : भाषा-शंकर एक अलंकार होता है उसका प्रयोग इसमें किया गया है।

श्री **भैरोंसिंह** : होगा, मैं समझता हूं यह भाषा की अनभिज्ञता का परिचायक है। इस प्रकार की भाषा थोपने के साथ साथ इसके आखिरी पेज में लिखा है—

"जिस संकट में से हम गुजर रहे हैं वह विकास का संकट है और साधनों का संकट है।"

अगर विकास का संकट है तो विकास करते क्यों हैं? मैं ने इसका अंग्रेजी का वर्शन भी पढ़ा है उसमें लिखा है वह ठीक है लेकिन इसका हिन्दी में जो अनुवाद किया गया उसकी हिन्दी करदी है। मैं ऐसा समझता हूं आप इस भाषा के सवाल को इस सदन में सीरियसली लें या न लें मैं तो इसे बहुत सीरियसली लेता हूं। आखिर राजस्थान के वित्त मंत्री का भाषण जो इस सदन में पेश किया गया है इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारी पूर्ण भाषा में पेश नहीं किया जाना चाहिये। कोई भी भाषा-विद् बैठ कर देखले। भाषा इस कदर गिरी हुई है जिसे हम बजट की भाषा नहीं कह सकते, जो बजट की भाषा के अनुकूल नहीं पडती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट-भाषण जो हो उसमें अपनी भाषा का जरूर ख्याल रखा जावे······

श्री **मथुरादास माथुर** : बजट कौनसी भाषा का लफ्ज है।

श्री **भैरोंसिंह** : बजट अच्छी भाषा का है, हिन्दी भाषा का।

श्री **मथुरादास माथुर** : हिन्दी भाषा में बजट कहीं है ही नहीं।

श्री **ज्वाला प्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) बजट का नाम थैला है।

श्री **भैरोंसिंह** : बजट कॉमन हो गया है

श्री **मथुरादास माथुर** : yes

श्री **अध्यक्ष** : Order please

श्री **भैरोंसिंह** : मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दी भाषा का प्रश्न लेकर कोई यदि यह कहे कि हम हिन्दी भाषा में बजट का भाषण अच्छा नहीं लिख सकते। यह बिल्कुल गलत है। मैंने इस सदन में देखा है। इसी वर्ष का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हम सब ने पढा है। और उनके अभिभाषण

(श्री भैरोंसिंह) ... में जिस हिन्दी भाषा का सीधी, शुद्ध हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं हुई।

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि आप हिन्दी में ही लिखें। आप चाहें तो हिन्दी लिखें, चाहें तो उर्दू में लिखें, और उर्दू भी लिखें तो सही तो लिखें। अंग्रेजी लिखें तो सही तो लिखें। आपने तो इस प्रकार का एक मिक्सचर बनाया है कि सारी भाषाओं की हत्या करदी है।

श्री मती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): भाषाओं को भाषा बोला जाता है, यह भी अशुद्ध है।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मन्त्री, उद्योग): प्रोनन्सियेशन का भी ख्याल रखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि श्रीमान् चूण्डावत साहब ने........

श्री योन्द्रनाथ हाण्डा : बजट में अगर कोई माधुर्य है तो भाषण में ही है।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमान् चूण्डावत साहब के लिये 'श्रीमती शेखावत सहाब' ने बहस में जिक्र किया है।

श्री भैरोंसिंह : 'श्रीमान् चूण्डावत साहब' ने फरमाया, मैं उनको श्रीमान् ही कहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : और आप 'श्रीमती शेखावत'?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : शेखावतजी कह दें तो भी मतलब निकल जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (श्री ज्वाला प्रसाद के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप मुखियाजी हो, श्री मती ज्वालाप्रसादजी की बात भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : Order Please order !! Yes you go at

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार की भी भाषा का प्रयोग किया जावे, वह ऐसी भाषा कम से कम अवश्य होनी चाहिये कि उसे विधान सभा के सदस्य ही नहीं राजस्थान की जनता का प्रत्येक वर्ग अच्छी प्रकार से समझ सके।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने सबसे बड़ी इस बजट में जो बात पेश करने की की है वह यह है कि इस वर्ष राजस्थान में नया कर नहीं लगाया जावेगा। जो कर लगाया जावेगा उसका असर जनता पर नहीं पडेगा। इससे शायद कोई यह समझे कि माननीय वित्तमन्त्रीजी ने बड़ी दयानतदारी दिखाई है, ऐसा नहीं है। यह दयानतदारी नहीं है। आज सरकार के सामने प्रश्न अपने एग्जिस्टेन्स का है। सरकार के सामने प्रश्न पब्लिक के एग्जिस्ट्न्स का नहीं है। सरकार के सामने प्रश्न है अपने एग्जिस्टेन्स का, और अपने एग्जिस्टेन्स के प्रश्न को सामने रखकर राजस्थान की सरकार ने यह विचार किया है कि हम यदि जनता पर टैक्स लगावेंगे अब तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा, हम खत्म हो जावेंगे। आज कोई सरकार ने, राजस्थान की इस जनता की टैक्स पेइंग कैपेसिटी है और उसके बावजूद टैक्स नहीं लगाये हैं, ऐसा नहीं मानता मैं। वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि राजस्थान की जनता पर कर भार अधिक है और यह

(श्री भैरोंसिंह)

भी उन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थानी जनता की अब अतिरिक्त कर देने की कैपेसिटी नहीं है। इन दोनों स्थितियों में हमारी सरकार के सामने कोई प्रश्न नहीं था सिवाय इसके कि हमारे वित्तमन्त्री को यह भाषण करना पड़ा कि अब कोई नया कर नहीं लगाया जावेगा।

मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि जब सरकार यह मन्जूर कर के चलती है कि हमारी जनता की अब इस प्रकार की कैपेसिटी नहीं है टैक्स देने की। कैपेसिटी नहीं है तो टैक्स देने की कैपेसिटी के लेवल तक जब जनता पहुंच गई है तो क्या जनता आपसे यह उम्मीद करके नहीं चल सकती कि अब टैक्स में कुछ रियायत की जावेगी? जनता क्या अब राहत की उम्मीद नहीं कर सकती? करती है। पर आपने राहत नहीं दी किसी प्रकार की। न एग्रीकल्चरिस्टों को दी न इन्डस्ट्रियलिस्टों को दी, और नाम मात्र की कर्मचारियों को दी, नाम मात्र की मजदूरों को दी।

पर इन सबका इफेक्ट इतना नहीं कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि पेइंग कैपेसिटी के अनुसार टैक्स की व्यवस्था आपने की है और जब पेइंग कैपेसिटी के किनारे तक आप पहुंच गए तो इसका अर्थ वित्तीय स्थिति के आधार पर यह भी निकलता है कि जनता के पास अब कोई सेविंग नहीं है, और जब जनता के पास कोई सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेन्ट की कोई व्यवस्था नहीं है और जिस राज में वहां चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हों, इन्डस्ट्रियलिस्ट हों वह चाहे बाकी के तबके के लोग हों उनके पास अगर सेविंग का प्रावधान नहीं है, इन्वेस्टमेन्ट की गुन्जाइश नहीं है तो मैं समझता हूं राज की जनता के लिये इस प्रकार की भयंकर स्थिति के अलावा और कोई स्थिति नहीं हो सकती।

राज्य सरकार उस हाइट तक चली गई है जहां किसी प्रकार के सेविंग की गुन्जाइश नहीं रह गई है। अल्प-बचत योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, स्माल सेविंग, सर्टिफिकेट की आय के आंकड़े उठाकर देखें तो पब्लिक की बचत की रकम जो पिछले सालों में जमा हुई थी, वह पिछले साल दो साल में कम हुई है। यह भी स्थिति इस दिशा की ओर संकेत करती है कि अब जनता के पास बचत करने नाम की कोई चीज नहीं रही। केवल अपना पेट भरना और भरना भी नहीं कभी-कभी तो पेट पर पट्टी बान्धकर भी जो कुछ थोड़ा बहुत बचाते हैं वह सरकार को टैक्स के रूप में जमा करा देना भर की स्थिति रह गई है।

वित्तमन्त्रीजी ने पिछले वर्ष बजट पेश किया जिसमें १.५९ लाख का घाटा था। उस घाटे में और पिछले वर्ष जो टैक्स लगाये उनमें, अध्यक्ष महोदय, यदि हिसाब लगाकर देखा जावे तो यह चीज अपने आप स्पष्ट हो जावेगी कि पिछले वर्ष जो टैक्सों के प्रपोजल थे, एस्टीमेट के वे कुल मिला कर टैक्स रेवेन्यू में ३९ करोड़ ६१ लाख के थे और आमदनी सरकार को कितनी हुई? ४१ करोड़ १७ लाख रुपये की। इसका मतलब यह हुआ कि १.५६ लाख का घाटा बताकर सरकार ने ४.४५ लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी की। ३६ करोड़ का आपका खर्चा और टैक्सों की व्यवस्था आप करें ४४॥ करोड़

Page No. 31

(श्री भैरोंसिंह)

की ओर ४४।। करोड़ हो वसूल करें, और वसूली इस बात से नहीं कि वित्त मन्त्रीजी शायद यह कहदें कि मैंने सैल्स टैक्स विभाग के और राजस्थान सरकार के अधिकारियों से मिलकर इस प्रकार की सख्ती की है कि जिसके आधार पर मेरी इन्कम बढ़ी है, पर यह इनकम यह सदन इस धोखे में न रहे कि वित्त मन्त्रीजी के एफर्ट्स से बढ़ी है। हमारी सरकार की एक नीति है कि टैक्सों की आमदनी कम बताओ, एस्टीमेट कम बताओ, इसके बाद, में जितनी आमदनी आती है, जितनी आनी है, उतनी आवेगी ही तो उसके आने के ऊपर भी अगर वह शुद्ध सेविंग या एक्सेस के रूप में रहे तो भी कोई बात है, पर उस के अनुपात से इस सरकार का एक्सपेन्डीचर भी बढ जाता है। जितनी अधिक आमदनी कर लेते हैं तो उतना खर्चा भी कर डालते हैं। फिर वही घाटे का घाटा। यह बजट बनाने का कोई तरीका नहीं है।

अब रहा प्रश्न कि आपकी आमदनी क्यों बढ़ी? टैक्स रेवेन्यू में यह बढ़ी। आमदनी हमारे प्रयास के कारण बढ़ी यह दलील अगर आप दें तो यह गलत है। आप का कोई प्रयास इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसके रीजन मैं बताता हूं। आप ने कहा कि सैल्स टैक्स में आमदनी बढ़ी। अब वह आमदनी क्या बढ़ी है? इसके लिये मैं सदन में का थोडा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान सरकार जब भी अपना बजट पेश करती है हम इस बात की आशा लेकर चलते हैं कि उस वर्ष के अन्दर किन-किन आइटमों पर टैक्स लगेगा, किन-किन पर टैक्स की कमी होगी, यह सदन को विश्वास में लेने के लिये बजट प्रस्तुत करते समय और फाइनेन्शियल बिल पेश करते समय इस दोनों के बीच में सदन को और जनता को जानकारी दे देना चाहिये ताकि बजट की सेंक्टिटी मेन्टन कर सकें। यदि हम एक बार सरकार को यह अधिकार देते हैं कि बजट के समय प्रोपोजल आते हैं, उनके अलावा आमदनी और खर्च का और सुधरा बजट पास होने के बाद उस एक वर्ष के अरसे में अपनी मरजी के आधार पर और वसूली कर सकते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि बजट की कोई सेंक्टिटी नहीं। ९.००म.पू.

क्योंकि सरकार चाहेगी उस समय टैक्स लगायेगी और जब चाहेगी तब कम करेगी, और इन दोनों प्रवृत्तियों के कारण राजस्थान की स्टेट इनकम के ऊपर डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट जो असर पडता है इसका बजट सेंक्टिटी पर असर पडता है। यह असर एक प्रकार की विधान सभा और जनता के साथ में अविश्वास प्रकट करता है। सैल्स टैक्स की आमदनी क्यों बढ़ी? हमारी सरकार ने इस अर्से में कितने टैक्स लगा दिये? चाहे वह किसी को मालूम न हों क्योंकि बजट में उनका उल्लेख नहीं, एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम में उनका उल्लेख नहीं वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में उनका उल्लेख नहीं। लेकिन आपने कुल मिलाकर १४ आइटम्स के ऊपर नये टैक्स इम्पोज कर दिये। आपने आइवरी के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने पीकाक फैदर के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने नान-फैरस मैटल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने बिस्कुट्स, केक्स और पेस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने एक्सरे एपरेटस के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने फाइबर और ऑइल सीड्स के ऊपर परचेज टैक्स इम्पोज किया, ऑइल प्रोड्यूज को और घानियों से जो तेल निकलत

(श्री भैरोंसिंह)

उससे भी आपने टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाई, कॉटन यार्न के ऊपर आपने टैक्स लगाया यह एक अलग से किस्सा है जिसका मैं आगे जाकर जिक्र करूंगा।

इसके अलावा आपने मन्थली टैक्स कलेक्शन की जो व्यवस्था थी पहले आपके हिसाब से वह व्यवस्था कुछ हाई स्टैप के ऊपर थी उसको गिराकर आपने ३ लाख रुपये के टर्नओवर के ऊपर रखी और फिर १ लाख के ऊपर कर दी, इसके कारण भी आपकी आमदनी बढ़ी और इसके साथ ही साथ आपने और टैक्स लगा दिये, सीरियल्स के ऊपर २ परसेन्ट का टैक्स लगा दिया। इसी तरह से जो भी टैक्स सेल्स-टैक्स के मातहत जहां-जहां भी आपको गुन्जाइश मिली वहां वहां टैक्सेज आपने इम्पोज किये। १ परसेन्ट की जगह सेन्ट्रल टैक्स आपने २ परसेन्ट किया उसके कारण से आपकी आमदनी बढ़ गयी। तो कहने का तात्पय यह है कि सदन यह विश्वास नहीं करे कि आपने अपने पूरे एफ़र्टस् के आधार पर सेल्स टैक्स की इन्कम को बढ़ाया है और सेल्स टैक्स की इन्कम काफ़ी बढ़ी है, वह यह स्थिति नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा करके सदन को धोखा दिया गया, जनता को धोखा दिया गया। सरकार ने बजट पेश करने के बाद लगभग १४ नये आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाकर इस बजट की सेंक्टिटी को समाप्त कर दिया और उसका उल्लेख सदन में बजट स्पीच के अन्दर, बजट के अन्दर, और बजट के एक्सप्लेनेट्री मैमोरेन्डम में नहीं करके सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि रूल्स में टैक्स इम्पोज करने का, टैक्स के एन्हान्स करने का और रिड्यूस करने का अधिकार सरकार को है। इसको मैं मानता हूं। इस बात से मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन उनका इस्तेमाल कब किया जा सकता है उसके लिये हमारी परम्पराएं हैं और उनका उपयोग करके हमें बजट की सैंक्टिटी को मेन्टेन करके चलना पड़ेगा और सदन का कोन्फिडेन्स लेना पड़ेगा।

आपको यदि रूल्स के अन्दर पॉवर्स हैं तो बजट पेश किया उस समय आपको सारी स्थिति रखनी चाहिये थी कि हम इन इन वस्तुओं के ऊपर टैक्स बढ़ायेंगे, लेकिन वह आपने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी सरकार ने १९५८ में एक नोटिफिकेशन से कॉटन यार्न को टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट किया और यह आइटम सन् ५८ से ही एग्ज़ेम्प्टेड था। अब उसके बाद हमारी सरकार ने २० नवम्बर, १९६३ को इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करने के लिए नोटिफ़िकेशन निकाला। वह नोटिफ़िकेशन ग़लत निकला इसलिये उसका शुद्धि-पत्र निकला २३ नवम्बर को। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में इतना ही उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार के टैक्स इम्पोज करने के नोटिफिकेशन गलत निकल जाय और हमारी सरकार उस पर सोई बैठी रहे। आपने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला और वह ग़लत निकला और उसको आप फिर दुरुस्त करें। आपने २० नवम्बर को तो नोटिफ़िकेशन निकाला और २३ नवम्बर को दुरुस्त कर दिया और ३१ जनवरी को उसको

(श्री भैरोंसिह)

वापिस ले लिया। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपको २० नवम्बर को कौन कान में कह गया था कि टैक्स इम्पोज़ करो और ३१ जनवरी को कौन आकर आपको कह गया कि इसको वापिस ले लो ? मुझे ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, कि इस मामले में बदबू आती है। बदबू इसलिये आती है क्योंकि यदि सरकार कोई क़दम उठाती है टैक्स इम्पोज करने का तो विचार करके उठाती है। कॉटन याने के ऊपर २० नवम्बर को टैक्स लगाती है और ३१ जनवरी को वापिस ले लेती है। तो इतने से दिनों में कैसे इल्हाम हो गया कि हमने जो टैक्स लगाया वह ग़लत है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और वही टैक्स अब फिर इस बजट के अन्दर लागू किया है। इसमें क्यों अन्तर आया ? यह दैवी संयोग से हो तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कोई लोगों को रियायत देने की गर्ज से ऐसा किया है। अगर रियायत का मामला होता तो बजट के अन्दर भी इस मौके पर होता लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।

ऐसे ही आपने स्टेट एक्साइज़ में इनकम बढ़ाई बताई ४ करोड़ ४४ लाख से ४ करोड़ ६७ लाख स्टेट एक्साइज से इनकम बताई-यानी २३ लाख रुपये की आमदनी आपकी बढ़ी है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं कि जो स्मगिलग होता है, जो नाजायज़ शराब बनाई जाती है, उसकी रोक-थाम करके और हमने इसके मद में आमदनी बढ़ाई है। लेकिन आमदनी इसमें इसलिये नहीं बढ़ी कि आपका इस ओर क़दम कोई प्रशंसनीय था, बल्कि इसलिये बढ़ी कि १-१०-६३ को आपने शराब की इश्यू प्राईज़ बढ़ाई। आप फिर कैसे तोहफा लेते हैं इस बात का कि हमने नाजायज़ शराब को रोक कर उससे स्टेट एक्साइज़ में इनकम बढ़ाई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जैसे सरकार ने इश्यू प्राईज़ को बढ़ाकर २३ लाख की अतिरिक्त आमदनी की तो इस समय यदि सरकार टैक्स इम्पोज़ करना चाहती तो मार्च में क्यों नहीं बढ़ाया ताकि सरकार को २३ लाख रुपये की और अतिरिक्त आमदनी होती ? अध्यक्ष महोदय, इस विभाग से हमारे वित्त मन्त्री महोदय ऐसा कहना चाहिए कि अपना मार्ग छोड़ चुके हैं और इस लिए छोड़ चुके हैं कि जिस समय एक्साइज़ का मामला पिछली बार आया था हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हम गारन्टी सिस्टम के पक्ष में हैं, हम डी-कन्ट्रोल के पक्ष में हैं। पिछले सितम्बर के अधिवेशन में वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम डी-कन्ट्रोल के पक्ष में हैं और इसके पक्ष में हम इसलिये हैं कि इससे आमदनी बढ़ती है और करप्शन रुकता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही कन्ट्रोल कर दिया गया और कन्ट्रोल किया गया नये टेन्डर्स मांगे गये उसमें फिर डी-कन्ट्रोल कर दिया गया। पता नहीं सरकार नीति बनाती है या घर बनाती है बरसात के दिनों में। जब चाहा तब बना दिया और जब चाहा तब ढा दिया। आपकी नीति है कि सरकार डी-कन्ट्रोल करना चाहती है आपने क्यों नहीं उसके ऊपर स्टिक किया ? सितम्बर में आप डी-कन्ट्रोल करते हैं अक्टूबर के अन्दर आप फिर कन्ट्रोल करते हैं और फिर नये टेन्डर्स

(श्री भैरोंसिंह)

फरवरी या मार्च में मांगे जाते हैं उसमें आप फिर डी-कन्ट्रोल कर देते हैं। यह क्यों ? मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे राज़ है और वह राज़ इस बात का है कि किस प्रकार ठेकेदारों को मुनाफ़ा दिया जाये। मुनाफ़ा किस प्रकार का? मुनाफ़ा इस प्रकार का कि डी-कन्ट्रोल और कन्ट्रोल के नाम पर टेन्डर्स मांगे जायें उसके अन्दर यदि रद्दोबदल होती रहे तो ठेकेदार उससे लाभ उठायें और उस गर्ज से यह व्यवस्था, नीतियों में परिवर्तन, इस प्रकार का चलता आया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने कहा कि हमने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के अन्दर आमदनी वढ़ाई है। उसका उल्लेख पहले आ चुका है। एन्टरटाइज़मेन्ट टैक्स के नाम पर, लैण्ड रेवेन्यू के अन्दर कहना चाहता हूं कि अकाल के कारण जो रेन्ट सस्पेन्ड किया उससे कमी आई है और स्टाम्प ड्यूटी जिसका उल्लेख इसमें आया कि इससे हम अतिरिक्त १० लाख रुपये की इनकम करना चाहते हैं उस स्टाम्प ड्यूटी के लिये खुद आपने एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम के अन्दर लिखा है कि स्टाम्प ड्यूटी की जितनी इन्कम होनी चाहिये वह इसलिये नहीं हुई है कि हैवी टैक्सेशन के कारण इस टैक्स से बचने की लोग कोशिश करते हैं।

आप स्वयं महसूस करके चलते हैं कि हैवी टैक्सेशन है। इस हैवी टैक्सेशन पर आप १० लाख और एक्स्ट्रेक्ट करना चाहते हैं। आखिर आप क्या छोड़ने वाले हैं पब्लिक के पास ?

इसी प्रकार से इन्ट्रेस्ट का सवाल है। रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट आपका बढ़ा है। चार परसेन्ट की जो रेट थी वह चार परसेन्ट से बढ़ाकर आपने ५ परसेन्ट की है। उससे आपकी अतिरिक्त आय होगी। अतिरिक्त केवल आपके एफर्ट्स से नहीं हुई है।

इसी प्रकार आपके, अध्यक्ष महोदय, मिसलेनियस सैक्शन के अन्दर आपकी कुछ इन्कम बढ़ी है। उसमें आपकी कोई एफिशियेन्सी नहीं है। आपने जो डाक बंगलों और सर्किट हाउसेज़ का चार्ज है उसको आपने चेन्ज किया है। आपने वेट्स एण्ड मेज़र्स की स्कीम जो थी उसको आपने गांवों में भेजा है राजस्थान शुगर, खाण्डसारी और गुड कन्ट्रोल के ऑर्डर के अन्दर कुछ लाइसेन्स दिये हैं। उसका पैसा आपको मिला है। इसमें आपने अपनी तरफ से मेहनत क्या की है? बल्कि आपने तो नई चीजों पर टैक्स लगाये हैं, उसके कारण से इन्कम हुई है।

पब्लिक हैल्थ में आय का स्रोत बढ़ा है वह क्यों बढ़ा है? जयपुर के अन्दर आपने एक रुपये से एक रुपया ५० नये पैसे पर हजार गैलन की रेट बढ़ा दी है। तो उसमें भी आपने मेहनत करके टैक्स बढ़ाया हो, आमदनी बढ़ाई हो, यह स्थिति नहीं है।

यह हाल जो सारा चल रहा है, उस हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने पीछे के रास्ते से जितने भी टैक्सेज इम्पोज किये जा सकते हैं, वे इम्पोज किये हैं और ऐसे इम्पोजिशन का यह कारण है कि जहां आपका १ करोड ५४ लाख का घाटा अनुमानित था वहां पर ४ करोड ४५ लाख की अतिरिक्त आय टैक्सेज के रूप में होती है।

अब यदि टैक्सेज की आमदनी का अनुपात नॉन-टैक्स रेवेन्यू से बिठायें तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इस ओर कोई एफर्ट्स नहीं किये हैं। यदि नॉन-टैक्स

(श्री भैरोंसिंह)

रेवेन्यू इसी अनुपात में बढी हो तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि हमारी सरकार ने नॉन-टैक्स रेवेन्यू के मामलों में कुछ कोशिश की है। फॉरेस्ट के मामलों में और पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के बजट को देखने से उस हिसाब से २ करोड ४९ लाख की आमदनी होनी चाहियें थी, वह केवल २ करोड ३२ लाख हुई है। टैक्सेज में आपकी आमदनी बढती है और नॉन-टैक्स में आपकी आमदनी गिरती है। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आप शायद कह दें कि टोटल इन्कम बढ़ी है। फॉरेस्ट में आपकी इन्कम गिरे, इरिगेशन में आपकी इन्कम गिरे, लेक्ट्रि-सिटी में आपकी इन्कम होती नहीं। मेरे खयाल से इसमें जितने सारे मद हैं, उनकी आमदनी गिरी है, सिवाय इसके कि जो ग्रान्ट-इन-एड की रकम भारत सरकार से मिलती थी वह बढी है। बाकी नॉन-टैक्स रेवेन्यू सरकार की पूर्णतया फेल हुई है और फेल इसलिये हुई है कि हमारी सरकार इनएफिशियेन्ट है। आज राजस्थान सरकार के १९६१ के बेसिस पर चलें तो १९६०-६१ के अन्दर २,२२,००,००० रुपये की नॉन-टैक्स रेवेन्यू थी वह ६३-६४ में २,३२,००,००० रु. है। उसमें केवल १० लाख रुपये की आमदनी बढी है पांच वर्ष में और टैक्स रेवेन्यू जहां १८३६ लाख रुपये की थी वह बढकर ६३-६४ में २८१८ लाख होगई। टैक्सेज की रेवेन्यू बढती जारही है और नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ नहीं पाती है और आप कहते हैं कि सरकार एफिशियेन्ट है। जहां एफिशियेन्सी का नाम नहीं है ऐसी सरकार को अपने आपको एफिशियेन्ट बताने की हिमाकत नहीं करनी चाहिये। जो सरकार नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढा नहीं पाये, नॉन-टैक्स रेवेन्यू की जो मदें हैं, उनमें निरन्तर घाटा खाती जाय, और टैक्सेज के जरिये जो सरकार जीवित है, वह सरकार यह कहकर नहीं चल सकती है कि हमने एफिशियेन्टली एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया है और उसके आधार पर हमारी कुछ इन्कम हुई है।

मैं इसलिये कहना चाहूंगा कि आप अपनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू की जितनी भी मदें हैं, उन मदों के ऊपर आप थोडा सा ध्यान दें। आपने जो पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट कर रखा है उनका रिटर्न आपको पूरा नहीं मिलता है। आपने जिन लोगों को लोन्स दे रखे हैं, उन लोन्स का पूरा उपयोग नहीं होता है। आपने जिन लोगों को एडवान्स कर रखा है उन एडवान्स की सही भुगतान नहीं होती है, आपको सही इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। इस सब आधार पर आज आवश्यकता इस बात की है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू किस प्रकार से बढे उसकी कोशिश की जाय, लेकिन यह नहीं होता है।

हमारी सरकार का इसी हालत के अन्दर खर्चे का प्रश्न आता है। हमारी सरकार ने कुछ खर्चे पर कन्ट्रोल किया है यह भी मुझे नहीं लगता है। इकॉनोमिक डेवलपमेन्ट पर ६५ लाख रुपया था और सोशियल सर्विसेज पर १३२ लाख का था और नॉन-डेवलपमेन्ट सर्विसेज के ऊपर १६४ लाख का खर्चा हुआ। कुल मिलाकर ३६१ लाख का खर्चा आपका बढा है और बढा भी तो नॉन-डेवलपमेन्ट साइड पर आपका खर्चा बढा है। यह दूसरा कारण है कि जो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी सरकार इन-एफिशियेन्ट है। जो सरकार नॉन-टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढा सकती

(श्री भैरोंसिंह)

जो सरकार नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर को कम नहीं कर सके वह सरकार दावा नहीं कर सकती है कि इस सरकार में १ परसेन्ट भी एफिशियेन्सी है, बल्कि उस सरकार को कन्डेम किया जाय कि यह सरकार १०० परसेन्ट इनएफिशियेन्ट है। दो मदें होती हैं जनता की, एक तरफ तो खर्चे को रोकें और दूसरी तरफ हमारी नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ायें। दोनों चीजें आप कन्ट्रोल नहीं कर सके, तो बजट के आंकड़े इधर-उधर देने से काम नहीं चलने वाला है। यह खर्चा कन्ट्रोल्ड नहीं होता है। १९६०-६१ में आप उस पर कन्ट्रोल नहीं कर सके, ६१-६२ में नहीं कर सके, ६२-६३ में नहीं कर सके और कन्ट्रोल नहीं कर पाने की प्रवृत्ति ६०-६१ से ६३-६४ तक लगातार बढ़ती जा रही है और आपकी इनएफिशियेन्सी एक्युमुलेट होती जा रही है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बजट के अन्दर और कुछ बातें लिखें या न लिखें, लेकिन इस बात का प्रयास करके चलिये कि हमारी नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है और नॉन-डेवलपमेन्ट आइटम्स में खर्चा कम हुआ है। बजट की आमदनी बढ़ती है और खर्चा बढ़ता है तो तीन करोड़ का खर्चा बढ़ा है और चार करोड़ की आमदनी बढ़ी है। यह किस बात का बजट है जिस बजट में बजट के साधनों के ऊपर आपका कन्ट्रोल नहीं है, उसको आप बजट कह कर नहीं चल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की नेशनल इन्कम इन सारी स्थितियों के अन्दर गिरी है और वह कितनी गिरी है, उसका यदि थोड़ा सा अन्दाज लगायें कि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के पीरियड में ६.९० परसेन्ट बढ़ी है, ६१-६२ में ७.३० बढ़ी है, और ६२-६३ और ६३-६४ में हमारी इन्कम नहीं बढ़ी है। इस बात का उल्लेख करने की हिम्मत राज्य सरकार की नहीं होती है। राजस्थान सरकार यह कहकर बचना चाहती है कि बरसात की कमी के कारण से फसलों की पैदावार कम हुई और स्टेट की इन्कम के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ा है। विपरीत असर नहीं पड़ा है राजस्थान की नेशनल इन्कम कम हुई है। इस बात को आप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। पर-केपिटा इन्कम का भी यही हाल है। ६१-६२ तक पर-कैपिटा इन्कम आपकी बढ़ती रही। ६२-६३ और ६३-६४ के अन्दर सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि राजस्थान की जनता की पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम घटी है। आप अन्दाज लगाइये कि राजस्थान में पर-कैपिटा इन्कम घटे, राजस्थान स्टेट की इन्कम घटे और राजस्थान में १४ आइटम्स पर अतिरिक्त कर लगाया जाय, राजस्थान की नॉन-टैक्स रेवेन्यू जितनी होनी चाहिये थी यदि नहीं होती है तो और घाटा खाया जाय और राजस्थान में टैक्स रेवेन्यू छुट-पुट करके चार करोड़ रुपया बढ़ जाय, तो आप इसको बजट कहेंगे? मैं समझता हूं कि नहीं कहेंगे। मैं कहूंगा कि बजट के नाम पर पब्लिक के साथ में क्लेवर्ली एक फ्रॉड किया जाय। वह फ्रॉड है और इस फ्रॉड के लिए और कोई धन्यवाद दे सकता है, मैं नहीं दे सकता हूं। इस प्रकार का फ्रॉड हो, पब्लिक में इस प्रकार का फ्रॉड हो, विधान सभा के साथ में हो और आप कहते हैं कि मैंने बहुत ही स्पष्ट पिक्चर

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान विधान सभा के सामने रखी है। वह कौनसी पिक्चर रखी है? क्या आपने एफर्ट्स किये हैं? उस हालत के अन्दर में कहना चाहूंगा कि अब हमारी सरकार कहेगी कि हमने ऐसी स्थिति पैदा की, कैसी स्थिति पैदा की? आज तक हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये बहुत कुछ रुपये बढ़ाये लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका गिरता जा रहा है। यह आपको मालूम है और गिरने का कारण आप अकाल बताते हैं और वित्त मंत्रीजी यह भी स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में खेती की पैदावार मानसून के ऊपर डिपेन्ड करती है और जब तक यह मानसून पर डिपेन्ड करती रहेगी तब तक हमारे खेती का प्रोडक्शन अनिश्चित रहेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सन् ५१ से ६४ तक आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये, माइनर इर्रिगेशन के नाम पर, मीडियम इर्रिगेशन के नाम पर और मेजर इर्रिगेशन के नाम पर खर्च कर दिये लेकिन आज आप १ परसेन्ट भी विश्वास नहीं दिला सकते कि आप मानसून से लड़ सकते हैं ....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): इससे प्रोडक्शन बढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह: निश्चित रूप से सिंचाई के साधन जुटाने के नाम पर हमने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और इतना खर्चा करने के बाद भी राजस्थान की हालत यह है कि मानसून से किसी भी सीमा तक काश्तकार नहीं बच सकते। यह आपकी योजनाओं की सफलता का नमूना हमारे सामने है।

उसके बाद वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण में कहते हैं कि जो भी योजनाओं पर पैसा खर्च हो रहा है उसका रिटर्न चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल में मिलेगा। जो भी रुपया खर्च किया गया है उसका रिटर्न दो तीन वर्षों में नहीं मिल सकता बल्कि चौथी योजना के अंत में मिलेगा। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी माली हालत से राजस्थान की हालत क्या होगी? राजस्थान में जो भूखमरी, बेकारी, मंहगाई बढ़ी है उससे राजस्थान को आप किस सीमा तक बचा पायेंगे, इसका आपने कोई आश्वासन नहीं दिया और आप कोई आश्वासन दे भी नहीं सकते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़े। आज हमारे यहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये बीज, खाद, मेडबंदी आदि का कार्यक्रम शामिल किया है और इर्रिगेशन फैसिलिटी भी कुछ बढ़ी हैं और सिंचाई के नीचे ज्यादा भूमि आई है इस कारण से पैदावार बढ़ी है। लेकिन पर एकड़ ईल्ड नहीं बढ़ी है............

श्री मथुरादास माथुर: बढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह: इस हालत में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को आप क्या रिलीफ देते हैं? आपका बजट राजस्थान के ७२ परसेन्ट काश्तकारों को किस प्रकार रिलीफ देता है, सदन के कोई भी माननीय सदस्य मुझे बतावें। राजस्थान का बहुसंख्यक किसान उसको कोई रिलीफ नहीं। किसान आज इस बात के लिये तबाह है। राजस्थान सरकार जो लैण्ड रेवेन्यू लेती है वह हिन्दुस्तान में आसाम स्टेट को छोड कर सबसे ज्यादा है।

(श्री भैरोंसिंह)

आपने एक्सपेरिमेन्ट कराया है इस बात का कि एक एकड में खेती करने पर कितना खर्चा आता है। वह खर्चा भी आपका बाकी स्टेट से ज्यादा है। राजस्थान सरकार लैण्ड रेवेन्यू सबसे ज्यादा लेती है और किसानों के ऊपर सरचार्ज अलग। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि खेती करने में इनवेस्टमेन्ट जरूरी है और इनवेस्टमेन्ट करने के लिये सेविंग जरूरी है। आप यह मानकर चलते हैं कि किसान और राजस्थान की जनता टैक्स के भार से संभल नहीं सकती। उसकी हालत यहां तक पहुंच गई है कि अब वह टैक्स नहीं दे सकती। किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वह अधिक कर नहीं दे सकता। किसान उम्मीद करता था कि सरचार्ज से उसको राहत मिलेगी, लेकिन सरकार उनको राहत नहीं देना चाहती है। आप अपने तरीके से अतिरिक्त आमदनी बढा सकते हैं, दुनियां भर के टैक्सेज आपने लागू किये हैं। क्या आप इतना काम नहीं कर सकते कि जिससे किसानों पर सरचार्ज नहीं लगे और किसान को राहत मिले ?

इतना ही नहीं, किसान आज बिजली के लिये तडप रहा है। कौनसा किसान तडप रहा है ? वह किसान जिसका नेशनल इन्कम में कॉन्ट्रिब्यूशन ४८ परसेन्ट है। ७२ पर्सेंट किसान करीब आधी नेशनल इन्कम को कॉन्ट्रिब्यूट करते हैं उनको आप बिजली सस्ते दर से नहीं दे सकते मंहगी दर से देते हैं। लेकिन वह इण्डस्ट्रीज जो नेशनल इन्कम का १ परसेंट कॉन्ट्रिब्यूट करती हैं उनको आप बिजली सस्ते भाव से देते हैं। आप यह कहते हैं कि वेरिएशन्स दूर करना चाहते हैं और खेती के आधार पर चलते हैं। लेकिन आप खेती के आधार पर कहां चलते हैं ? जब कि ७२ परसेन्ट लोगों ने आधी नेशनल इन्कम कॉन्ट्रिब्यूट की है और २८ परसेन्ट ने बाकी किया है। इन्कम का वेरिएशन इतना रहा है। यह साबित करता है कि आपने असमानता दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की, किसान को सहूलियत देने की चेष्टा नहीं की। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सरचार्ज के मसले पर सोचें। जिन लोगों से राष्ट्रीय इन्कम में कम सहयोग मिलता है उनको तो रियायत दी जाती है तो उनको भी सहयोग दिया जाय जिनसे राष्ट्रीय इन्कम में ज्यादा सहयोग मिलता है। हमारी सरकार उन लोगों को कोई राहत नहीं देती।

हमारी सरकार तनख्वाह बढाती है और हमारे वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि भारत सरकार को हमसे विचार करना चाहिये था। क्यों करना चाहिये था ? आप कहते हैं कि यदि वे वेतन बढाते हैं तो हमसे मिलजुल कर बढाना था। एक प्रकार से यह भारत सरकार पर आक्षेप है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ५) रु० दिये और सिटी कम्पेनसेटरी एलाउन्स दिया, यह सब कुछ दिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का ५) रु० बढाने का बेसिस क्या है ? आपने किस बेसिस पर केल्कुलेट किया कि ५) रु० पर्याप्त हो सकते हैं और यदि पर्याप्त नहीं हो सकते तो किस सीमा तक अपर्याप्त हैं। आप यदि प्राइस इण्डेक्स देखें तो वह काफी बढा है, जयपुर में और अजमेर में काफी बढा है, जहां का आप प्राइस इन्डेक्स तैयार करते हैं। उनके हिसाब से होल सेल प्राइसेज बढी हैं, रिटेल प्राइसेज बढी हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

कन्ज्यूमर्स बढे हैं । प्राइसेज इतनी बढी हैं कि टिकने की कोई गुंजायश नहीं है ।

आप यह कहेंगे कि हमारे वित्तीय साधन नहीं हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने बजट में करोडों रुपयों के भवन बनाने की व्यवस्था की है, बंगले बना रहे हैं। बंगले बनाने और मकान बनाने की व्यवस्था आपके बजट में है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे मकान बनाने जरूरी हैं क्या ? वे मकान बनाने किस हालत में जरूरी हैं ? आप किसी तहसील का भवन बनाना चाहते हैं, किसी कलेक्टोरेट का भवन बनाना चाहते हैं, रहने के लिये बंगले बनाने चाहते हैं । जिस राजस्थान में इस प्रकार का आर्थिक संकट है वहां की सरकार करोडों रुपये भवन बनाने में खर्च करे, मैं समझता हूं यह सरकार के लिये शोभा नहीं देता । इन भवनों में क्या आप भूखे आदमियों को बैठाना चाहते हैं । पेट भरे हुए बैठें तो बात दूसरी है । लेकिन आप भवन बना कर भूखे आदमियों को वहां पर बैठाना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का पेट जिसमें भर सके, उस पर खर्चा करें ।

सर्विसेज के बारे में पिछली साल प्रश्न आया था कि सेक्रेटेरियट में काम करने वाले अधिकारियों को २५ लाख रुपयों का एलाउन्स मिलता है । आज सरकार सभी खर्चों में कमी करना चाहती है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या जस्टिफिकेशन है इन २५ लाख रुपयों को खर्च करने का ? क्या आप यह समझते हैं कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसरों को स्पेशल एलाउन्स नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वे स्पेशल एलाउन्स के भरोसे काम करने के लिये नहीं आये हैं बल्कि वे वेतन के भरोसे काम करने के लिये आये हैं । यह लाजमी नहीं है कि उनको स्पेशल एलाउन्स दिया जाय । आप यदि वेरिएशन दूर करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन में और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में कितना वेरिएशन है, आपने क्या कभी इसकी जांच की है ? इसमें १ और २० का अन्तर नहीं है बल्कि राजस्थान में १ और ३५ का अन्तर है । १ और ३५ का अन्तर यदि इस प्रकार हो तो मैं इसमें समाजवाद का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि लोगों के वेरिएशन को दूर करने की कोशिश करेंगे । मैं सरकार से कहना चाहता हू कि आप बाकी लोगों में जो वेरिएशन हैं उसको तो छोडें लेकिन राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में कितना वेरिएशन है ? छोटे अधिकारियों का वेतन आपने बढाया है तो बडे अधिकारियों का भी बढाया है । एलाउन्स बढाने के कारण जो वेरिएशन कम होता वह भी न हो सका । वेतन के हिसाब से स्टेटिस्टिक्स आपने तैयार किये होंगे ।

तो इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वह समाजवाद लाने का, असमानता को दूर करने का प्रयास सारे का सारा कहां चला गया ? आप कहेंगे कि हमने कुछ टैक्नीकल सर्विसेज के वेतन ज्यादा किये हैं । मैं उस साइड को छोड देता हूं कि टैक्नीकल सर्विसेज को आप ज्यादा वेतन देते हैं लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अन्दर राजस्थान में ज्यादा वेतन पाने वाली सर्विसेज में और कम वेतन पाने वाली सर्विसेज में भारी अन्तर है और उसको सरकार कम नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यह है कि असमानता दूर करने का आपका लक्ष्य है उसको आप पूरा नहीं कर सके। इस सरकार ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि घाटे की पूर्ति करने के लिए कुछ इकॉनोमिक मेजर्स अडॉप्ट किये हैं। इस वर्ष उन्होंने कह दिया कि इकॉनोमी केवल १७ लाख की है और उसके लिए भी कह दिया कि १७ लाख की इकॉनोमी तो हुई लेकिन वह इस मद में से उस मद में चली गई और इस प्रकार एक्चूअल कोई कमी नहीं हुई। फिर आप लम्बी लम्बी घोषणायें क्यों करते हैं? राजस्थान में इतनी मितव्ययता करने वाले हैं, यह घोषणा करते हैं वह इसलिए करते हैं कि जब जनता को कहते हैं कि जनता अपनी कमर पर पट्टी बांधे तो उसे आप बता सकें कि हम भी बांध रहे हैं। जनता की कमर पर पट्टी बांधी तो उससे उसकी आंतें पिस गई लेकिन आपने अपनी कमर पर पट्टी बांधी तो आपकी आंतें फैल गई। आपने पिछले साल ५० लाख की इकॉनोमी करने का वायदा किया और उसमें से १७ लाख की इकॉनोमी इसमें दिखाई लेकिन वह भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और फिर आगे के लिए कह दें कि कमी करने के बाद भी राजस्थान के बजट पर असर पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक जो कमी करने की भावना थी, वह भी अब समाप्त कर दी कि आगे कुछ आप इकॉनोमी करने वाले हैं। असल में इकॉनोमी आप नहीं कर सकते। इकॉनामी वह गवर्नमेंट कर सकती है जो एफीशियेण्टली ब्युरोक्रेसी को कंट्रोल करे। जब आप इकॉनोमी नहीं कर पाते हैं तो यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो ब्यूरोक्रेसी की नेचुरल थीसिस है कि वह अपने आपको एक्सपेण्ड करती है, उसका एक्सटेंशन होता जा रहा है और उसको हमारी सरकार अपनी अयोग्यता के कारण कंट्रोल नहीं कर सकती। आप इसके रीजन्स नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि इस मद का पैसा इस मद में लिया गया है। लेकिन मद बदलने से हमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी है। वित्त मंत्री कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि लोगों में सट्टेबाजी की लत पड गई है और उसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि छिपा कर रखा हुआ रुपया दर पर्दा ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कमाने में लग रहा है, माल बनाने में ज्यादा खर्चा बैठता है, इसलिये तैयार माल की लागत बढ़ जाती है, चीजों का वितरण ठीक ढंग से नहीं होता।

आपने इन बीमारियों की ओर तो ध्यान दिया है लेकिन बजट भाषण में शुरू से लेकर अंत तक आपने यह जरूरी क्यों नहीं समझा कि यह बतायें इन चीजों की रोकथाम करने के क्या उपाय किये जा सकते हैं क्या उपाय किये जा सकते हैं, आपने इसका उल्लेख करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए जरूरी नहीं समझा होगा कि आप भी यह समझे होंगे, कि जो पड़ा हुआ धन है जो ब्लेक मनी है वह ब्लेक मनी व्हाइट मनी में बदलने की

(श्री भैरोंसिंह)

मनोवृत्ति पब्लिक में समाप्त कर देंगे तो हमारा क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): हमारा किसका ?

श्री भैरोंसिंह: हमारा मेरा।

अब उस हालत में सरकार को चाहिए था, जब सरकार यह मान कर चलती है कि ब्लेक मनी है और उससे भावों के उतार चढ़ाव पर असर पड़ता है उसके कारण एक्सप्लोइटेशन होता है, लोगों में मुनाफा कमाने की मनोवृत्ति चल रही है तो सरकार ने क्या एक्शन लिया कि ब्लेक मनी बाहर न निकले और व्हाइट मनी में न बदला जाय इसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किये। हैं और इस कारण अध्यक्ष महोदय मैं यह कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने जो यह बजट पेश किया है यह बजट एक इस प्रकार का बजट है जिससे जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं होगी। आपने पेन्शनर्स की पेंशन में बढ़ोत्तरी करने की ओर बाकी की यह जो सारी घोषणायें की हैं ये घोषणायें बहुत पहले हो जानी चाहिए। आपने आज यह कर के श्रेय लेने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के साथ जब आपने अन्तरिम काल में टैक्स इम्पोज़ किये उस समय पेन्शनर्स की पेंशन, वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाता तो वह ज्यादा अच्छा होता। वह आपने किया नहीं, अब ऐसी हालत में यदि इस बजट को कोई यह समझ कर चले कि यह कोई रिलीफ देने का बजट है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह रिलीफ का बजट नहीं है। इसमें समाज के किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का कोई इनसेन्टिव नहीं मिला है और इनसेन्टिव न मिलना, टैक्सेज के भार को बढाना, नान-टैक्स रेवेन्यू का कम होना मितव्ययता न कर पाना—यह इस बात का सबूत है कि बजट पर आपका कन्ट्रोल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब कई मदें ऐसी आती हैं जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा है और उस खर्च को कंट्रोल करने की सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मैं आज सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ इस प्रकार की संस्थायें हैं जो अर्द्ध—सरकारी रूप में काम करना चाहती हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलने वाली कई संस्थायें हैं। भारत सेवक समाज है, इस प्रकार की जो आपने नॉन-गवर्नमेंटल बॉडीज़ बना रखी हैं, उनको जो आप करोड़ों रुपये की सहायता देते हैं तो आपने कभी इस बात की कोशिश की है कि जो करोड़ों रुपये की सहायता दी जाती है उसका उपयोग सही रूप से होता है या नहीं, इसको देखने के लिए उनके हिसाब को देखें।

आपके ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स हैं, उनके अनुसार दूसरी साल की ग्रान्ट देने से पहले उनको हिसाब देना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। क्या वे आती हैं? इन संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती हैं जिससे सरकार को और जनता को जनाकारी मिल सके कि सरकार से इतना पैसा लिया, जनता से इतना चन्दे का पैसा लिया और उसका इस प्रकार उपयोग हुआ। मैं कहना चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह)

कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड घोटालों का जन्म स्थान है, वह भारत सेवक समाज भी घोटालों का जन्म-स्थान है। आप यह कह सकते हैं कि इन संस्थाओं में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता काम करते हैं और क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता काम करते हैं उन्हें सहायता देनी भी जरूरी है। अगर ऐसा है तो यह सहायता आप राजस्थान सरकार के बजट से, राजस्थान सरकार के फंड से क्यों देते हैं? वह सहायता यदि आपको देनी है तो सहायता आप कांग्रेस के बजट से दें

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : कहां कांग्रेस कार्यकर्त्ता हैं ? भारत सेवक समाज में और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं तो कुछ रिटायर्ड आदमी भी हैं और जनसंघ के भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : देवीशंकर तिवाडी जनसंघ के नहीं हैं, हरिभाऊजी भी जनसंघ के नहीं हैं........

श्री मथुरादास माथुर : वे इन संस्थाओं के कार्यकर्त्ता नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक भारत सेवक समाज के अध्यक्ष हैं और दूसरे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

श्री भैरोंसिंह : खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष.....

श्री मथुरादास माथुर : खादी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध काम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका भ्रम है।

श्री मथुरादास माथुर : भ्रम नहीं है आप लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछ लीजिए वे क्या कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा कहना है, उसकी मंशा है कि खादी बोर्ड और इन संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति हो वह इस बिना पर कन्सीडर नहीं होना चाहिए कि वह कांग्रेस का व्यक्ति है, या जनसंघ का है, या रामराज्य परिषद् का है। मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री और सरकार से कहना चाहूंगा, अगर आप में दम है तो पब्लिक के रुपये को बचाने की कोशिश कीजिये। ये संस्थाएं जो करप्शन की जडें हैं, घोटालों की जडें हैं गरीब जनता की गाढी कमाई को खाने की षडयन्त्र करने वाली हैं--इसको रोकने की कोशिश कीजिये। यह तभी हो सकता है कि आज तक जितना रुपया दिया गया है, और उसमें जो घोटाला हुआ है उसके लिये सरकारी अधिकारियों की कोई जांच कमेटी बैठाई जाय..........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : घोटाला कमीशन !

श्री भैरोंसिंह : घोटाला कमीशन !

श्री मथुरादास माथुर : उसके अध्यक्ष आप बनें !

श्री भैरोंसिंह : मैं बनूंगा तो आप रहेंगे नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : घोटाला कमीशन के तो आप बनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं बनूंगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार का, जनता की गाढी कमाई का करोडों रुपया लड कर, आंतों को पीस कर निकलवा लूंगा...

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : म्युनिसिपैलिटी में पॉवर में आये थे वहां दिखा देते।

श्री भैरोंसिंह : वहां करके दिखाया है......

श्री फूलचन्द जैन : म्युनिसिपैलिटी में आये वहां दिखा देते।

श्री भैरोंसिंह : म्युनिसिपैलिटी में जहां आये हैं वहां हमने दिखाया है, और जहां तीन लाख की आमदनी चुंगी की होती थी वहां ग्यारह-ग्यारह लाख की हुई है। हमने चोरियों को रोका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार हिम्मत करे, मेरी चुनौती को स्वीकार करले, मैं जांच की बात नहीं करता, मैं जांच की रिपोर्ट सब्मिट करने की बात नहीं कहता, मैं जांच करके उसकी गुप्त रिपोर्ट आपको देने को तैयार हूं। मैं साबित करने को तैयार हूं कि इन संस्थाओं में लाखों नहीं, करोडों रुपये का घोटाला होता है जिसका कोई इलाज आज नहीं है।

मैं कोई एलाउन्स नहीं लूंगा, कोई गाड़ी भाड़ा नहीं लूंगा और राजस्थान सरकार के......

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास ऐसे कई थानेदार फिरते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर से १००) और देंगे, आप हमें थानेदार बनादो। हम बनाते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह बिलकुल सही है कि आप बनाना नहीं चाहते। मगर आप भी आज यह चाहते हैं कि होम मिनिस्टर बनादें। ५ हज़ार रुपये खज़ाने में जमा करा दूंगा। आप भी इसके लिये तैयार बैठे हैं, ५ हज़ार की जगह आप कहेंगे १० हज़ार लेलो।

श्री मथुरादास माथुर : आपके दिल की बात जानते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: मैं यह कहूंगा कि इस सरकार ने कब इन्कार किया आपका सहयोग लेने से। आप तो यह चाहते हैं कि सरकार आपको पॉवर दे। सरकार ने आपका सहयोग लेने से कब मना किया? मैं तो यह कहूंगा घोटालों की बात आप यहां कहते हैं और बाद में बन्द कर देते हैं। मैं पिछले सात साल से देखता आ रहा हूं कि बजट के समय आप कहते हैं और बजट के बाद खुद ब खुद बन्द कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी जनसंघ के नेता ने कहा कि भारत सेवा समाज, खादी बोर्ड आदि में काफी घोटाले हैं. घोटालों का मतलब मैं गबन से लेता हूं....

श्री भैरोंसिंह : 'घोटाले' का मतलब गबन नहीं, मिसएप्रोप्रियेशन से है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उन्होंने कहा कि वे करोड़ों का घोटाला इसमें साबित

(श्री मोहन लाल सुखाडिया)

कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई भ्रम रखना नहीं चाहता। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी मन्शा यह नहीं है कि घोटाले हों उन पर विचार नहीं हों। हम इस बात का स्वागत करेंगे और इसके लिये मैं एक कमेटी नियुक्त करूंगा कि यह कमेटी इस चीज़ की जांच करे और विशेष तौर से माननीय सदस्य को उसमें नियुक्त करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : अब तो आप राजी।

श्री भैरोंसिह : मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्य मन्त्रीजी ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जांच करने का कमेटी को अधिकार दिया और सरकार का को-आपरेशन मिल कागज़ात आदि का तो मैंने जो सदन को आश्वासन दिया है करोड़ों रुपयों के घोटाले निकाल कर रखूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने कह दिया है कि इसके लिए एक समिति नियुक्त की जावेगी।

श्री भैरोंसिह : मैं एक आश्वासन चाहता हूं। जिस प्रकार पहले की समितियों की रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट में जाकर जमा हो जाती हैं कम से कम इस कमेटी की रिपोर्ट के साथ यह नहीं होना चाहिए। बल्कि यह हो कि उसे सदन की मेज पर रखें और उस पर सरकार इमीजियेट एक्शन ले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब मैंने सदन में आश्वासन दिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि उसकी रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखी जावे।

श्री भैरोंसिह : अब दूसरा सवाल आता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कमी हो· · · ·

श्री अध्यक्ष : समय बहुत हो गया है।

श्री भैरोंसिह : सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर राजस्थान का खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है। स्टेटों को छोड़ कर राजस्थान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे में किस प्रकार की कमी की जावे इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से ज्यादा बढ़ता गया तो राजस्थान में अधिक आय करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। अन्त में यह अपील करते हुए कहूंगा कि राजस्थान अपने इस खर्चे में कटौती करे। नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करे। जो इरिगेशन की पोटेन्शियेलिटी सरकार ने क्रीएट की है उसका पूरा उपयोग किस तरह हो—इसकी व्यवस्था की जावे।

एग्रीकलचरिस्टों को किस प्रकार की राहत दे सकते हैं? उनको राहत देकर एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को बढ़ाया जावे। इसके लिये उनको बिजली सस्ती दी जाए ताकि वे अपने खेतों में कुओं आदि से पानी दे सकें।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्तर और एलाउन्स में कमी बताई, वह आर्थिक सिद्धान्तों में उचित है; इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वेतन स्तर में ५) रु० का एलाउन्स बढ़ाया है वह और

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ाया जावे और वह प्राइस इन्डेक्स के अनुपात में बढ़ाया जावे, अन्यथा सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

एक बात मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि बजट जब पास करते हैं और फाइनेन्स बिल पास हो तो अगले साल के लिये जितने भी टैक्स लगे हैं उसका स्पष्ट चित्र पेश करके बताना चाहिये। एक बार बजट पास होता है उसके बाद किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाये जावें। उनको नहीं लगाने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बजट की सारी सेंक्टिटी खत्म हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन सब बातों को कहते हुए मैं अपना बजट भाषण समाप्त करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, बजट १६६४-६५ का जो सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है उसमें आय ७२,१८०,५०,००० रु० निर्धारित की गई है और व्यय ७२,८० ६०,००० रु० कूता है, इस हिसाब से घाटा ६२ लाख ३६ हजार का बताया गया। यह राजस्व खाते का लेखा-जोखा है। पूंजी खाते के लेखे-जोखे में घाटा १ करोड़ ३८ लाख का बताया गया है। यानी कुल घाटा २ करोड़ ३६ हजार का आंका गया है। हर साल सरकार घाटे का बजट पेश करती है, और अन्य राज्य भी घाटे के बजट पेश करने के आदी हो गये ह। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बजट के सवाल पर राजस्थान सरकार के संबंध में कहा जाय—घाटे का बजट पेश करने के मंत्री महोदय शौकीन हैं, उन्हें यह लत पड़ चुकी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। टैक्स की नीति के संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। केन्द्रीय करों का हिस्सा १६५१-५२ में जहां १२,५३,००० रु० था अब वहां १६६४-६५ में जाकर १२,४०, १८,०००रु० हो गया है। इसी तरह से इस श्रोत में सेन्ट-परसेन्ट शत-प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। राजस्व आय में १६५१-५२ में ११,५१, १६,००० रु० की आमदनी हुई है। तखमीना सन् ६४-६५ में ३०,३३,६०,००० रु० का बताया जाता है, इस मद में भी तीन गुणा बढ़ोत्तरी हो चुकी है। इसका ब्रेक-अप, इसका विभाजन, यदि देखा जावे तो भू-राजस्व, बिक्री कर, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन में आमदनी तीन गुना बढ़ी है।

वाहनों पर टैक्स, विहिकल्स टैक्स ६ गुना और अदर टैक्सेज एण्ड ड्यूटीज के सीगे में टूहन्ड्रेड टाइम्स, दो सौ गुना, बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से टैक्सेज के द्वारा डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज के द्वारा, इस राज्य को ४२,७३,७८,००० रु० आमदनी होती है और शेष नॉन-टैक्स आय २६,४४,७२,००० रु० है। ज्यों ज्यों इस राज्य की आमदनी बढ़ती है त्यों त्यों खर्चा आमदनी से अधिक बढ़ता जा रहा है। हमारे इखराजात में, हमारे खर्चों में कमी करने की सरकार के द्वारा कोई चेष्टा हो या कोई ठोस कदम उठाया जाय, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इन टैक्सेज के लगाने के फलस्वरूप राजस्थान की जनता उत्पीड़ित है, राजस्थान की जनता का शोषण हो रहा है, और राजस्थान की जनता के पास अब इतने टैक्सेज बर्दाश्त करने की, इतने टैक्सेज देने की गुंजायश भी नहीं रही है, यह बात मैं स्पष्टतया अनुभव करता हूं। इसका मूल कारण हमारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

योजना है । यह योजना हम समझते हैं ऊपर से थोपी गई है हम पर । यह योजना स्वस्थ जनतन्त्र के विपरीत है, ऐसा हम मानते हैं । यह सुपर-इम्पोजिशन लोक सभा जिसके अन्दर सारे देश की जनता की प्रभुसत्ता निहित है, उस लोक सभा के ऊपर यह सर्वोपरि प्लानिंग कमीशन नाम की संस्था नॉमिनेट की गई है । उसके निर्णय लोक सभा पर भी लागू होते हैं । अन्य विधान सभाओं पर भी लागू होते हैं । और यह निर्णय इस रूप से विधान सभाओं पर लागू होते हैं कि मैं समझता हूं अब इस सदन की और इस सरकार की स्वतन्त्रता एक नाम मात्र की स्वतन्त्रता रह गई है । मन में सरकार, संभवतः वित्त मंत्री भी, समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन द्वारा थोपी हुई योजना जनता के लिये हितकर संभवतः न हो तदुपरान्त भी उन्हें चुप्पी साध कर उनको कार्य रूप में परिणत करना पड़ता है । मैं समझता हूं यह प्लानिंग कमीशन एक सुपर इम्पोजिशन है, इसका विरोध सिद्धान्ततः हम करते आये हैं और हम मानते हैं कि यह जनतन्त्रात्मक स्वस्थ परम्पराओं के विपरीत होने के कारण प्लानिंग कमीशन का विरोध हम करेंगे और अवश्य करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : You are opposing the Planning Commission or the Plan itself.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : We are opposing the both the Planning Commission and the Plan as well.

श्री मथुरादास माथुर : The concept of the plan or the major plan or a particular item of the plan.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम प्लान जैसी चीज के विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु जो प्लान है उसमें बड़ी भारी कमियां हैं । हम समझते हैं कि यह प्लान कागजों पर है । हम समझते हैं कि यह प्लान महत्वाकांक्षी प्लान है । हम समझते हैं कि यह प्लान हमारे बूते के बाहर का प्लान है । हम समझते हैं कि यह प्लान यदि हम इसे कार्यरूप में परिणत करने जांय तो भी हम नहीं कर सकते । इसलिये इस प्लान में जो प्रायोरिटीज हैं उनके अन्दर भी हमारा मतभेद है, इस प्लान में जो महत्वाकांक्षा और बड़े भारी खर्च निहित हैं, उनका भी हम सिद्धान्ततः विरोध करते हैं, प्लानिंग कमीशन का हम विरोध करते हैं । हम समझते हैं कि लोक सभा ही सर्वोपरि संस्था है, सर्वोपरि शक्ति है जिसके द्वारा देश भर की योजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय होना चाहिये ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : समझने का आधार बता दें तो अच्छा रहेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आधार तो है ही.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन कर दूं कि आज भी इस प्लान को लोक सभा ही एप्रूव करती है, प्लानिंग कमीशन तो प्लान तैयार करके लोक सभा के सामने रख देता है, प्लान को एप्रूव लोक सभा ही करती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : थ्योरी में लोक सभा भले ही एप्रूव करे पर हमारे सिद्धान्त आपके सिद्धान्तों से अलग हैं, हम नहीं मानते कि लोक सभा स्वेच्छा से मानती है । वहां भी व्हिप है उसके द्वारा आपको

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मनाया जाता है । हमारी यह मान्यता है कि यह एक सुपर इम्पोजिशन है इसलिये यह जनता की स्वतन्त्रता के खिलाफ है ।

श्री मथुरादास माथुर : May I have the pleasure to know from the Leader of the Opposition, the alternative method of the Plan. He said, Lok Sabha is the final authority. I agree. But he does not want Planning Commission, while Loksabha or say 500 members thereof cannot talk out the Plan. Should the Government take up the Plan or a body of the Lok Sabha should take the initiative ?

श्री अध्यक्ष : We should leave it to him.

श्री मथुरादास माथुर : What are his views ? Let the House know, if there is any alternative.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The Plan must have its origin from the Lok Sabha. It should be a creation of the Lok Sabha. Members are elected to the Lok Sabha and they should be associated with it. There may be a few technical experts.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह समझायेंगे कि प्लानिंग के प्रोसीजर और तरीकों से आपको मतभेद है या प्लानिंग इकॉनोमी के द्वारा हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उस प्लानिंग इकॉनोमी से मतभेद है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : प्लान इकोनोमी के द्वारा कोई योजना बनती है उससे हमारा मतभेद नहीं, पर प्लानिंग कमिशन के द्वारा योजना बन कर आती है और जिस रूप में कार्य रूप में परिणत होती है उसके सम्बन्ध में हमें आपत्ति है, उसका हम विरोध करते आये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह राजस्थान स्वतंत्र पार्टी की नीति है या केन्द्रीय पार्टी की, केन्द्रीय पार्टी की तो नीति यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Order please.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी और केन्द्रीय पार्टी दोनों की ही यह नीति है । इस सम्बन्ध में हम अभी बैंगलोर में प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं । हमने स्पष्ट कहा है, प्लानिंग जैसी वस्तु का हम विरोध नहीं करते । मैं प्लानिंग प्रायोरिटीज के सम्बन्ध में प्रकाश डालूंगा, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है और प्लानिंग कमीशन की कुछ और है ।

इस योजना का अधिक से अधिक प्रभाव खेती पर पड़ा है । हम मानते हैं कि इस देश में और खास कर के राजस्थान में खेती मुख्य उद्योग है और यदि खाद उत्पादन के सम्बन्ध में हम स्वावलम्बी नहीं बन पाते तो हमारी आर्थिक स्थिति जो अभी भी डांवाडोल है वह और भी गिर जायगी । इस सम्बन्ध में बजट स्टडी में जो विवरण है वह भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । पेज ४८ पर कहा गया है कि स्टेट का प्रोडक्शन :—

(१०.०० म. पू.)

'A study of production of different crops indicates that the production of bajra, wheat, barley

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

and small millets in cereals and gram in pulses declined during the year 1962-63 by 11.85 percent, 14.42 percent, 21.12 percent, 27.03 percent and 25.73 percent respectively as compared to the preceding year."

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ खाद्यान्न का उत्पादन घटता जा रहा है और दूसरी तरफ इस योजना का हमें पेट भरना पड़ता है, टैक्सों के द्वारा, कर्जों के द्वारा और माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस योजना को कैसे भी सफल बनाना है, और इसे सफल बनाकर ही रहेंगे । मुझसे पहले भाषण देने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं और उसके समर्थन में मैं यह भी कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम कोई लाभ की आशा नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, कितने दिन तक हम लाभ का इन्तजार करें ? हम ऐसे आश्वासनों में विश्वास नहीं करते, हम इस योजना के अन्दर विश्वास नहीं करते और इसका स्पष्ट कारण यह भी है कि हम दिन ब दिन, शनैः शनैः साधनहीन होते जा रहे हैं। हमारी सरकार गरीब होती जा रही है, उसके पास धन का अभाव निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है। अभी ही हमारी योजना २३६ करोड़ की थी उसको घटाकर कोर ऑफ दी प्लान २०९ करोड़ किया गया, यह स्पष्टतया इस बात का परिचायक है और द्योतक है कि यह योजना महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे बूते के बाहर है और अदूरदर्शितापूर्वक हमने इस योजना के सम्बन्ध में निर्माण करने का फैसला लिया है । यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो कर्जा और सूद, मैं समझता हूं, इतने बढ़ जायेंगे कि निकट भविष्य में एक समय आ सकता है कि कर्जा तो दरकिनार रहा लेकिन सूद भी हम नहीं चुका सकेंगे और हमारी स्थिति चिरकाल तक, बहुत वर्षों तक, एक दीवालिया स्थिति बन जायगी। इस तर्क और तथ्यों के प्रमाणों में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी ही केन्द्र के कर्जे की किश्त, सेन्ट्रल लोन का इन्स्टालमेन्ट, जो कि ९ करोड़ और एक लाख था, वह नहीं चुका सके । केन्द्र से निवेदन किया कि कर्जे का चुकारा स्थगित किया जाय किन्तु केन्द्र ने यह अस्वीकार किया और हमारे आंसू पोंछने के लिए २॥ करोड़ का विशेष एड कहें, विशेष सहायता कहें या आप उसे एक्सेलरेटेड असिस्टेन्स कहें लेकिन वह है कर्जा और वह हमें कभी न कभी चुकाना ही पड़ेगा ।

दीर्घकालीन योजनाओं में, अध्यक्ष महोदय, बड़ी पूंजी लगाने से, लोंग टर्म प्लानिंग में वास्ट इन्वेस्ट्मेन्ट्स करने से आर्थिक संकट उत्पन्न होता है । यह कई अन्य देशों में प्रतिक्रिया देखी गई है और लाभ की आशा मृगतृष्णा मात्र रह जाती है । यह समाजवादी शासन व्यवस्था का तरीका है कि उज्वल भविष्य की आशा में जनता को अटकाए रखा जाय । मेरी मान्यता में प्लान की सफलता एक द्योतक मात्र है, मृगतृष्णा मात्र है या मैं समझता हूं कि कागज पर है और अन्यत्र कहीं नहीं । अभी तक योजना में कोई विशेष लाभ प्रतीत होता हो यह भी मेरी नजर में नहीं आता । कहा जाता है कि देश के अन्दर चौमुखी विकास होगा । १६-१७ वर्ष से जनता इस चौमुखी विकास के लिए उत्सुक है कि आज आया, कल आया, अब आया, किन्तु १६-१७ वर्ष के दीर्घकाल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तक यह आशा करके जनता बैठी रहे कि चौमुखी विकास हो। अब धीरे-धीरे मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास इस योजना के अन्दर नाम मात्र रह गया है और कोई ताज्जुब नहीं कि मंत्री महोदय, जो मेरे सामने विराजमान हैं, मन में यह भ्रम रखते हों कि शायद यह योजना सफल हो या न हो।

आज राजस्थान, अध्यक्ष महोदय, अकालग्रस्त है। अकाल के संबंध में आपने क्या किया ? मैं अभी ही बीकानेर गया था। वहां पर देखा कि घास और गेहूं का एक भाव है। हजारों की तादाद में वहां पर गायें आई हैं और बीसियों की तादाद में गाएं रोजाना मर रही हैं। आप जानते हैं कि हर तीसरे चौथे साल राजस्थान के पश्चिमी विशाल क्षेत्रों में अकाल दुष्काल आता रहता है। यह जानते हुए भी आप कुछ नहीं करते। मैंने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और आज भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आप घास का संग्रह क्यों नहीं करते ? उदयपुर डिवीजन की बडी-बडी पहाडियों में, बडे-बडे जंगलों में फलासिया, वरियावद, लसाडिया, सलूम्बर और भींडर में आप घास का संग्रह आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप जानबूझ कर इस संबंध में कोई विचार नहीं करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से चाहे कोई चीज आए वह बुरी बात नहीं है लेकिन घास तक हम यूनाइटेड स्टेट्स से लें, गेहूं तो दरकिनार रहा, तो मेरे ख्याल से सरकार के लिये एक शर्मिन्दगी की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : यह घास नहीं हैं जो अमेरिका से लिया है यह कैटल-फीड है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फीड है या फाडर है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसमें बहुत फर्क है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप फीड और फाडर खिला कर कितने मवेशियों को जिलायेंगे ? मैं समझता हूं कि आप घर की चीज के संबंध में विचार नहीं करते। बगल में छोकरा और शहर में ढिंढोरा। यूनाइटेड स्टेट्स से जाकर फीड और फाडर लाए ये सब फन्स और फेंसिंग हैं, आर्फ़ी पॉलिटिक्स हैं। मैं समझता हूं कि बिना घास के हमारा पशुधन दुनिया के अन्य उपायों से जीवित नहीं रह सकता। चाहे कितना फीड और कितना ही फाडर आप फॉरेन से मंगवाएं, मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूं कि भूतपूर्व राज्यों में गंजिगों की व्यवस्था से लाखों मन घास इकट्ठा करते थे। आप क्यों नहीं ऐसा करते ?

अध्यक्ष महोदय, ट्यूब वेल्स के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने कल जो आश्वासन दिया, मैं समझता हूं, जहां तक वह आश्वासन है वहां तक मैं उसे ठीक समझूंगा, उसे बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन यह भी देखना बाकी है कि वह आश्वासन किस हद तक कार्य रूप में परिणित होता है। मेरा यह अनुभव है कि सरकार के आश्वासन कभी-कभी, अधिकांश रूप में नहीं कहता, तथ्यहीन भी हुआ करते हैं। हमारी विचारधारा के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। मवेशियों के पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। आप यदि ७२ करोड़ की आय में से १ करोड़ और केवल ८७ लाख ही राहत कार्य के अन्दर खर्च करना चाहते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूं तो मेरे ख्याल से आप कोई फेमिन रिलीफ के संबंध में तुरन्त विचार करके इस फेमिन को आप फाइट आउट करना चाहें ऐसा मुझे लक्षण नहीं दिखता है । १ करोड़ ८७ लाख एक नगण्य रकम है । आप पहले की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखें । मारवाड़ में भी अकाल पड़ा । अन्य भूतपूर्व राज्यों में भी अकाल पड़ा । उस संबंध में भी वहां के तत्कालीन शासकों ने विचार करके कोई न कोई व्यवस्था जो की होगी उससे भी संभवतः मैं समझता हूं, सरकार लाभ ले सकती है । सर्वप्रथम जल के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिये मवेशियों के और शुद्ध पीने के पानी के संबंध में । उसके साथ-साथ मैं समझता हूं, खाद्य उत्पादन की समस्या हल होनी चाहिये। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अगर पेट भरा हुआ है किसान का और वह झोंपड़ी में भी बैठा है तो संतोष से बैठा है लेकिन भूखे पेट अगर महल के अन्दर भी बैठा है तो असंतुष्ट है । मेरे ख्याल से यह आज की दुर्दान्त और दुर्गम समस्या है ।

खाद्यान्न के संबंध में मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के बहस के दौरान में काफी कह चुका हूं और मैं सदन का समय विशेष नहीं लेना चाहूंगा । मैं उस संबंध में विशेष निवेदन नहीं करूंगा । लेकिन टॉप प्रॉयोरिटी सरकार को देनी चाहिये कि सरकार खाद्यान्नों के भावों पर काबू पाये । मगर सरकार यह नहीं कर पाती है, तो सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉयोरिटीज़ का प्रोग्राम नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अगर खाद्यान्नों के भावों की फरवरी और मार्च में यह दशा है तो जून और जुलाई में क्या होगी, इस संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिये और इस संबंध में सरकार को अवश्य उचित कदम उठा करके रोक-थाम करने की चेष्टा करनी चाहिये ।

नेशनलाइजेशन के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने ट्रांसपोर्ट और बिजली का नेशनेलाइजेशन किया । यदि आप नेशनेलाइजेशन करें और नेशनेलाइजेशन के द्वारा जनता को राहत पहुंचाये, जनता के लिए सस्ती दर किराये की निर्धारित करें, बिजली सस्ती दें तो मैं समझता हूं वह नेशनेलाइजेशन है और सफल नेशनेलाइजेशन है । किन्तु आप नेशनेलाइजेशन का नाम लें और किराये की दरें बढ़ायें, जनता को कोई राहत न दें, बिजली की रेट बढ़ायें, करंट महंगा करें तो मेरी मान्यता में वह कोई सफल नेशनेलाइजेशन नहीं, नाम मात्र का नेशनेलाइजेशन है । इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम जब तक हमारे यहां आर्थिक अस्थिरता है, जब तक यह संकटकालीन स्थिति है तब तक आपने जो कोई नेशनेलाइजेशन किया है उसको सुचारु ढंग से चलाने की कोशिश करें । अगर सुचारु ढंग से उस नेशनेलाइज्ड प्रॉजेक्ट या इंडस्ट्री को नहीं आप संचालित कर पाते तो मैं समझता हूं, सरकार की नीति दूषित है और उसकी आलोचना हम अवश्य करेंगे । हम समझते हैं कि यह असफल नेशनेलाइजेशन है जिसके द्वारा संभवतः राज्य की आय कुछ बढ़े लेकिन जनता का उसके अन्दर कोई हित नहीं है, न कोई सहूलियत या राहत जनता पाती है तो वह नेशनेलाइजेशन नहीं है वह महत्वाकांक्षी

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

स्ट्रेटिज्म है । राज्य सब कुछ काम करना चाहता है पर वास्तविक रूप में सफलता-पूर्वक राज्य नहीं कर पाता उसे हम स्ट्रेटिज्म कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, नये टैक्स लगाने के संबंध में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की और ५८ लाख के नये टैक्स लगाने की उनकी योजना है । इन टैक्सों के द्वारा भी घाटा पूरा नहीं हो पाता है । हमें यह अन्देशा है कि इस सदन के अधिकारों का हनन कर, सदन के अधिकारों को विफल कर, जैसा कि हमें कटु अनुभव अभी हो चुका है, वित्त मंत्री आर्डिनेन्स के द्वारा टैक्सेज लागू करके तथाकथित इस घाटे को पूरा करने की चेष्टा करेंगे । मैं यह तो नहीं कहता कि सरकार को ऑर्डिनेन्स के द्वारा यह अधिकार नहीं है लेकिन मैं इस हद तक कहूंगा, आलोचना करूंगा और मैं कहूंगा कि यह बड़ी भद्दी और बुरी चीज है । इस प्रयोग को कम से कम काम में लिया जाय । इस उपाय को कम से कम सरकार अपनाये तो मेरे खयाल से जनतन्त्र की स्वस्थ प्रणाली के अनुकूल होगा ।

खाली प्लॉट्स के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, जिन शहरों में दस हजार से अधिक जन संख्या होगी वहां पर वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रॉस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दो साल से जो प्लॉट्स खाली रहे हों, और दो साल तक जिन प्लॉट्स के खाली रहने की संभावना हो, उन पर वे टैक्स लगाने का विचार रखते हैं और इस संबंध में बिल इस सदन के समक्ष लाने की व्यवस्था की जायगी । मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्ततः आमदनी नगर-पालिका की होनी चाहिये । सरकार को इस आमदनी के अन्दर से एक पाई भी नहीं लेनी चाहिये । किन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारी भूखी दीवालिया सरकार शायद इस पैसे को भी अपने उपयोग में लेना चाहे तो यह टेम्प्टेड मनी है । यह म्युनिसिपेलिटी का मनी है । यह दूसरी संस्था के अधिकार का जो धन है वह अगर सरकार ले तो यह सरकार की जिद् है । किन्तु मैं सरकार को अनुरोधपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह आमदनी ले तो उसका कुछ हिस्सा, कम से कम आधा हिस्सा भी म्युनिसिपेलिटी को इस आय का देना चाहिये । अगर बहुत सारे प्लॉट्स किसी एक व्यक्ति के पास हैं तो उन पर टैक्स लगाना, मैं समझता हूं, कोई बुरी बात नहीं है । किन्तु यथासंभव एक प्लॉट को उसके मालिक के मकान बनाने के लिये छोड़ दिया जाय तो यह एग्जम्प्शन मैं अनुचित नहीं समझता ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है । मेरा निवेदन यह है कि जमीन की कीमतें बेतहाशा क्यों बढ़ी ? किस वजह से बढ़ी ? क्या इनफ्लेशन द्वारा या और कोई प्रक्रिया द्वारा ? आज एक रुपये की कीमत सन् ६४ में सन् ४४ के तीन आने के बराबर है । यह आप ही के कारनामे हैं, जिनका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है ।

स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि हर साल वित्त मंत्री स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाते हैं । मैं समझता हूं यह एक निन्दनीय काम है । दिन प्रतिदिन इन्साफ महंगा होता जा रहा है । आज यह स्थिति हो गई है कि एक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

साधारण या गरीब किसान के लिये इन्साफ का दरवाजा बिल्कुल बन्द हो चुका है। इतना महंगा इन्साफ हो गया है कि उनसे इन्साफ सौ कोसों परे जा चुका है। जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली के और समाजवाद की स्वस्थ प्रणाली के यह कतई विपरीत है। आज क इन्साफ केवल मालदार व तवंगर लोगों के लिये है, जो समाजवाद क्या एक प्रकार का भ्रष्ट अधिनायकवाद है।

जमीन की तब्दीली के संबंध में और इसके विकास का प्रश्न है, उससे जो आमदनी होने वाली है उसका एक हिस्सा म्युनिसिपेलिटीज को दिया जाना चाहिये। यह न हो कि सरकार ही सारी की सारी आमदनी हड़प करके बैठ जाय।

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : आप इस टैक्स के खिलाफ तो हैं नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सोना चांदी पर जो सेल्स टैक्स लगाया है उसके संबन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सेल्स टैक्स सन् १९५५ में लागू हुआ था इसको लागू हुए दस वर्ष हो गये। इन दस वर्षों के अन्दर यह सेल्स टैक्स सोने के ऊपर २२ गुना बढ़ाया गया है और चांदी के ऊपर यह चौबीस गुना बढ़ाया गया है। गत वर्ष सोने के बुलियन के पाट पर आधा पर्सेन्ट टैक्स था और जेवर के ऊपर दो पर्सेन्ट। चांदी के बुलियन पर आधा पर्सेन्ट और ज़ेवर पर एक पर्सेन्ट और अब बुलियन पर दो पर्सेन्ट और और जेवर पर दो पर्सेन्ट कर दिया गया है चांदी और सोना दोनों पर। अर्थात् यह दोहरा टैक्स लगाया गया है। एक चीज पर दोहरा टैक्स है, इसमें मैं समझता हूं सरकार और जनता दोनों को नुकसान है। इससे आपकी आमदनी घटेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपरेट करेगा।

उदाहरण की तौर पर आपसे निवेदन करूं एक सर्राफ ने मुझे यह कहा कि स्वर्ण नियंत्रण कानून लागू होने से पहले वह ६ हजार रुपया सालाना सेल्स टैक्स का राज्य के खजाने में जमा कराता था उसकी जगह आज वह केवल १०० रुपया अदा करता है। जनता पाट लेकर जेवरात बनाती है। कारीगर जेवरों में मिश्रण करता है। जेवर बाजार में बिकते नहीं और इस तरह से सरकार को सेल्स टैक्स मिलता नहीं। वह सब जमीनदोज होता जा रहा है। इस तरह से सोना और चांदी अण्डर ग्राउण्ड होता जा रहा है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि ऐसा करने के बजाय आप ऐसा कानून ही क्यों न पास कर देते कि सोना और चांदी रखने का किसी को अधिकार नहीं है, उसे उठा कर सबको जब्त कर लिया जाय। लेकिन उस व्यवस्था से मेरे ख्याल से, इन रूल्स और कानून के द्वारा, सरकार जनता को बेईमानी सिखाती है और उसमें सफलता के बजाय नुकसान भुगतती है।

ट्रेक्टर्स के टायरों पर दो पर्सेन्ट से ६ पर्सेन्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मैं समझता हूं यह तीन गुनी ड्यूटी बढ़ाना अन्धाधुन्धी है। आप एक तरफ चाहते हैं कि खाद्य-उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, दूसरी तरफ इस तरह का ट्रेक्टर्स के टायरों पर टैक्स लगाते हैं, जिससे खाद्यान्न के लाने ले जाने में प्रोत्साहन नहीं मिलता। हम तो आशा करते थे कि माननीय वित्त मंत्री महोदय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ने जो सरचार्ज ऑन लैण्ड रेवेन्यू गत वर्ष लगाया था उसको छोड़ दें। इस संबंध में वे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, धीरे-धीरे जनसाधारण में यह प्रक्रिया फैलती जा रही है कि आज जो अमुक मात्रा में लगान अदा करते हैं उन पर सरकार ने जो सरचार्ज ऑन लैण्ड रेवेन्यू लगाया है। वह आज या कल, कल नहीं तो परसों सब पर सरचार्ज ऑन लैण्ड रेवेन्यू अवश्य लगाया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): यह किस्सा तो आप फरमा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमें यह कहने का अधिकार है। आपको इसकी तरदीद करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं आप गुनहगार हैं। पक्की खालों के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पक्की खालों पर खर्चा होता है, महनत पड़ती है। अगर आप कच्ची और पक्की खालों की दर के अन्दर कोई भी अन्तर नहीं रखते तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और अन्याय भी। पक्की खालों पर अगर एक प्रतिशत से दो प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है तो उसका भी मैं विरोध करूंगा। मैं समझता हूं कि यह अनुचित और अनसाइन्टिफिक है।

पर-कैपिटा टैक्स के संबंध में १८.१६ रुपया पर-कैपिटा टैक्स आपने आपके आंकड़ों के अनुसार बताया है। यह बिहार, जम्मू-काश्मीर और यू. पी. से अधिक है और जब हम यह समझते हैं कि १।३ हिस्सा हमारे राज्य का रेगिस्तान है तो हमें सोचना चाहिये कि इतनी ऊंची टैक्स की दरें हमने जो लगाई हैं वे किस हद तक उचित हैं? किसान राजस्थान का टैक्स के रूप में जो धनराशि देता है उतने टैक्स शायद देश का किसान किसी अन्य क्षेत्र में नहीं देता। यह भी मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का किसान के प्रति जो सच्चे रूप में देश का अन्नदाता है, एक अनुदार देन है।

पर-कैपिटा इन्कम बताई गई है कि बढ़ी है, लेकिन इस इन्कम का अगर निर्धारण सन् ६१ की सैंसश के आंकड़ों के आधार पर किया गया है तो २.५ प्रतिशत जनसंख्या हर साल बढ़ती है। इस दो साल की बढ़ोतरी का आपने इस पर-कैपिटा इन्कम के निर्धारण करने में समन्वय नहीं किया, इसलिये मैं समझता हूं कि पर-कैपिटा इन्कम के आपके आंकड़े भी गलत हैं।

पॉपूलेशन, जनसंख्या के संबंध में अध्यक्ष महोदय, बजट स्टडी में उल्लेख है :—

"Rajasthan, the second largest State of the Indian Union, accounts for 11.2 percent of the total land area of the country and 4.6 percent of total population. The rate of growth of population increased from 15.20% in the decade 1941-51 to 26.20% in 1951-61. The rate of growth of population in the State was higher than the all India which stood at 21.50 percent during the decade. The rural and urban distribution of population now stands inthe ratio of 5:1. The birth rate during the decade 1951-60 was 42.7 per thousand and death rate 19.4 per thousand in the State as against birth-rate of 41.7 per thousand and death rate of 22.8 per thousand in India."

Page No. 54

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
आपको इस बढ़ती हुई जनसंख्या के के सम्बन्ध में भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

आपके प्लान के अन्दर यदि आप प्रायोरिटी दें तो मैं समझता हूं उत्पादन, पीने के पानी की समस्या और बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में आपको प्रायोरिटी देनी चाहिये।

राजकीय कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि का आदेश जो आपने दिया, वह मैं समझता हूं ठीक है। लेकिन आपने जो कुछ भी यह किया है वह आप की मजबूरी से किया है। महंगाई इतनी बढ़ने के पश्चात् मजबूर होकर आपने राज कर्मचारियों की अलाउन्स और वेतन में वृद्धि की है। मैं समझता हूं यह अलाउन्स में वृद्धि और वेतन में वृद्धि अब के बजाय दो साल पहले की जानी चाहिये थी।

पेन्शन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक वर्ष की सेवा करने के बाद यदि कोई कर्मचारी मर जाय और दस वर्ष की सेवा करने के बाद मरे तो दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करना मैं उचित नहीं समझता–इस सम्बन्ध में भी मैं अर्थ मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

ओल्ड एज पेन्शन के सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि सरकार इस योजना को कार्यरूप में परिणित करते समय पक्षपात नहीं करेगी और मैं आशा करता हूं कि अपने पिट्ठुओं के पोषण करने के लिये इसको भी एक विशेष जरिया नहीं बनाया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इतने बुड्ढों का क्या करेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनको अरेबियन सी (Arabian Sea) में फेंक दीजिये।

कर्मचारियों के अलावा ९७,९८ प्रतिशत जो जनसंख्या रहती है उसके लिये आपने क्या किया ? अगर आप कर्मचारियों को प्रिविलेज्ड क्लास मान कर चलते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करता, पर जन-साधारण के संबंध में भी कोई न कोई आपको उपाय करना चाहिये जिसके द्वारा उनको भी राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करके यह कहूंगा कि यह बजट एक निर्दयतापूर्ण तथा निराशाजनक कदम है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि बहस का काम इस तरह से हो कि सामान्य तौर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर जो बोल चुके हों, कृपया वे इस पर बोलने की कोशिश न करें तो ज्यादा से ज्यादा अन्य सदस्य, जो उस समय रह गये हैं, पर बोलना चाहते हैं, उनको अवसर मिल सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, समय की कमी को देखते हुए समय पार्टी के लिये भी सीमित है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बहस का काम चलाया जावे तो यह मेरे ख्याल से उचित होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट सन् ६४-६५ का...

श्री **अध्यक्ष** : मैंने तो माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दी । केवल आपका ध्यान आकर्षित करते हुए समय के बारे में ध्यान रखते हुए बहस के लिये निवेदन किया था । आपके दल ही के सदस्य कहते हैं कि हमें पहले भी बोलने की आज्ञा नहीं दी । ऐसी स्थिति में फिर आपत्ति हो जाती है कि किसको बोलने दिया जावे और किसको नहीं । तो ऐसी हालत में दल के नेता ऐसा समझते हैं कि उनके दल के अन्य सदस्य नहीं बोलेंगे और दल का समय दल के नेता को मिले तो मुझे स्वयं को व्यक्तिगत तौर से कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : अगर कमेटी में ऐसा तय कर दिया हो तो मुझे टाइम की इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष** : टाइम की व्यवस्था पहले भी बताई जा चुकी है । सामान्य तौर से पार्टी के सदस्यों की जो तादाद होती है उसको ध्यान में रखते हुए समय मुकर्रर किया जाता है और इसमें आम तौर से छोटी पार्टियों को अनुपात से बड़ी पार्टी के मुकाबले में अधिक समय मिलता है । यह उचित भी है, मैं समझता हूं । अधिकतर समय का बंटवारा किसी न किसी आधार पर हुआ है और होता रहा है और आगे भी होता रहेगा ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : तो मैं ऐसा समझूं कि मेरी पार्टी का भी समय मुकर्रर कर दिया गया है ?

श्री **अध्यक्ष** : अनुपात को ध्यान में रखते हुए समय निर्धारित किया जाता है सामान्य तौर से । वह इसमें भी लागू होगा ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : आपने इस बार एक दो दिन का समय भी बढ़ाया है । दूसरे टाइम भी आधा-आधा घंटा डिस्ट्रिब्यूट किया था । अगर इस बार दिन बढ़ा दिये हैं तो हम अपनी पार्टी का समय आपस में डिस्ट्रिब्यूट कर लेंगे । जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, हम वैसा कर लेंगे, फिर आपने दिन बढ़ाये हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : इसमें बहस की बात नहीं । जो भी समय हमारे पास है चाहे चार दिन हो या पांच दिन हो, पार्टियों के अनुपात से बंट जावेगा । यह मेरा कहना है । पांच दिन हो गये तो उस अनुपात से बंट जावेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए बोलें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : मैं नहीं बोला हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री **अध्यक्ष** : आपको समय मिलेगा । श्री भीमसेन !

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् ६४-६५ का बजट प्रस्तुत किया है । उस संबंध में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह बजट जनता को सुविधा देने वाला नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे वर्तमान बजट में काफी रिलीफ जनता को दिया गया है और खास तौर से जो ओवर एज पेन्शन की व्यवस्था की है और दूसरी रियायत उनको दी है तथा साथ ही राज्य कर्मचारियों को जो वेतन में सहूलियतें दी हैं, पेन्शन में उनको जो सहूलियतें दी हैं, उनसे जनता में उत्साह बढ़ा है ।

(श्री भीमसेन)

वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां साइक्लोजिकल पोइण्ट ग्रॉफ व्यू से भी लोगों में संतोष और उत्साह है कि नये टैक्स नहीं बढ़ाये गये हैं। इससे साइक्लोजिकली जनता ने संतोष महसूस किया है। यह सही बात है कि मंहगाई बढ़ी है और राजस्थान में बेकारी भी बढ़ी है। इन बातों को लेकर हम कह सकते हैं कि जनता में तकलीफें हैं। पर फिर भी नये टैक्स नहीं इम्पोज किये गये हैं इससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा असर पड़ा है, जनता राहत फील करती है।

वैसे मंहगाई को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतन में पांच रुपये की वृद्धि को उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने जगह जगह चीप ग्रेन शॉप खुलवा कर इस कमी को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया है। और भी इस दिशा में जो कदम सरकार ने उठाये हैं वे सराहनीय हैं।

(१०.३८ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, बजट को देखते समय हम तीन बातें ध्यान में रखते हैं। एक तो डाइरेक्ट टैक्सेशन। इस की पॉलिसी की तरफ हम धीरे-धीरे जावें, इसका ध्यान रखना चाहिये। हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों को देखें तो वहां भी डाइरेक्ट टैक्सेशन का पर्सेन्टेज बहुत कम मालूम होगा। हमारे यहां भी यही है। दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखें तो उनके मुकाबले में हमारा डाइरेक्ट टैक्सेशन का पर्सेन्टेज बहुत कम है। जैसा अभी कहा गया कि यू. के. में डाइरेक्ट टैक्सेशन ५४ पर्सेन्ट आता है। जब कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर डाइरेक्ट टैक्सेशन २९ पर्सेन्ट आता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बजट राज्य सरकार बनाये और समाजवाद की तरफ हम जाना चाहते हैं तो सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि हम धीरे-धीरे डाइरेक्ट टैक्सेशन की तरफ प्रोग्रेस करें और जितना कम इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन हो उतना ही हम कहेंगे कि जनता पर उसका बर्डन कम पड़ता है। आज हमारे राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर जो इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन की पॉलिसी है उसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए और उसके ऊपर दुबारा विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम डाइरेक्ट टैक्सेशन लगा सकते हैं उसकी तरफ हम आगे अधिक बढ़े और जनता पर जो इन्डाइरेक्टली टैक्स इम्पोज करते हैं उसमें धीरे धीरे कमी करनी चाहिए। वैसे तो जहां तक राजस्थान का प्रश्न है ऑल इन्डिया जो फिगर्स हैं वे २९ पर्सेन्ट हैं

(श्री भीमसेन)

डाइरेक्ट टैक्सेज का राजस्थान में ३७ पर्सेन्ट डाइरेक्ट टैक्सेशन का फिगर आता है। तो जहां तक राजस्थान का प्रश्न है हम ऑल इन्डिया लेवल से कुछ आगे बढ़ रहे हैं और यह संतोष की बात है कि हम डाइरेक्ट टैक्सेशन की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां डाइरेक्ट टैक्सेशन के अन्दर जो लैण्ड रेवेन्यू का टैक्स का सोर्स है वह भी बहुत अधिक है और जिस तरह से हमारे हिन्दुस्तान में दूसरे राज्यों का मुकाबला करते हैं तो राजस्थान के अन्दर लैण्ड रेवेन्यू का इन्सीडेन्स है पर-कैपिटा वह बहुत अधिक है और खास तौर ऐसे जिले हैं राजस्थान के अन्दर कि जहां लैण्ड रेवेन्यू का बोझ बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार का जब लैण्ड रेवेन्यू इतना अधिक है तो सरचार्ज जो लगाया हुआ है उसके ऊपर सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए कि जहां लैण्ड रेवेन्यू का पर-कैपिटा इन्सीडेन्स इतना अधिक है तो सरचार्ज लगाना क्या वाजिब है? इसकी तरफ सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए और इसके लिए मैं कहूंगा कि जो लैण्ड रेवेन्यू के अलावा सरचार्ज लगाया गया है उसको तुरन्त वापिस लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लैण्ड रेवेन्यू का जहां तक ताल्लुक है इस संबंध में हमारा राज्य अग्रणी रहा है और भूमि सुधार के अन्दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहां तक कि केरल के अन्दर जो काम्युनिस्ट रिजीम थी उससे भी अधिक हमारे यहां प्रोग्रेसिव लैण्ड रिफार्म्स हुए हैं। केरल के अन्दर लैण्ड रेवेन्यू का जो असेसमेन्ट किया जाता है जो बंटाई वगैरह की जाती है वहां ९।४ लेते थे और हमारे यहां राजस्थान में ९।६ पर हमने सैटलमेन्ट का असेसमेन्ट किया है। तो इस तरह से जो कॉम्युनिस्ट रिजीम नहीं कर सकी वह भूमि सुधार के क्षत्र में हमारे यहां राजस्थान में किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी तरफ सरकार का ध्यान दिया जाना वाजिब है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अनइकॉनोमिक होल्डिंग्स के ऊपर लैण्ड रेवेन्यू छोड़ दिया गया, वह आपके खाते में नहीं लिखा गया है?

श्री भीमसेन: मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के बारे में। राजस्थान नहर के अन्दर राज्य सरकार ने जो सीलिंग रखी है उससे वहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़म्प्ट रखा है। अगर भूमि का सीलिंग लागू किया जाता और अगर हमारे वहां जमीन कम कर दी जाती तो काश्तकारों को बहुत परेशानियां होतीं। इसलिए सरकार ने किसानों को भूमि सीलिंग से वहां दूर रखा है। इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान नहर क्षेत्र में दफा १५ के तहत खातेदारी राइट्स दिये हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला है और हमारी सरकार क्योंकि काश्तकारों का इन्ट्रेस्ट था उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची। हालांकि कुछ ऐसी लीगल बातें थीं जिनकी वजह से राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट तक अपील में जा सकती थी लेकिन क्योंकि काश्तकारों का एक हक था और उनका इन्ट्रेस्ट था इसलिए सरकार ने अपील नहीं करके काश्तकारों को खातेदारी हक देने

(श्री भीमसेन)

के लिए निर्णय किया। यह बड़ी खुशी की बात है और उससे उस इलाके के लोगों को काफी राहत मिलेगी और लाभ मिलेगा और वहां के लोग अधिक उत्पादन की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। खास तौरसे हमारे डेजर्ट एरिया के अन्दर अभी सरकार ने जो अलॉटमेन्ट की नीति निर्धारित की है उसके बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जो नियम भूमि अलॉटमेन्ट के सन् ५७ में बने हैं उनके मुताबिक अलॉटमेन्ट आरजी काश्त को १० साल के लिए करते हैं और उसके बाद वहां के काश्तकारों को अपने आप खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जहां तक डेजर्ट एरिया का प्रश्न है वह भूमि केवल मात्र ३ साल के लिए अलॉट करते हैं और उसके ऊपर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से ५७ से राज्य के दूसरे हिस्सों के नियमों के मुताबिक जो भूमि अलॉट की जाती है और १० साल बाद उनके खातेदारी अधिकार हो जाते हैं उसी तरह से डेजर्ट एरिया के अन्दर जो इसका एग्जम्मशन रखा है उसके ऊपर पुनः विचार करने का आवश्यकता है। वहां के काश्तकारों को भी १० साल के लिए भूमि का अलाटमेंट होना चाहिए और उनको खातेदारी हक प्राप्त होने चाहिए।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर सरकार ने एक मालिकाना टैक्स लगा रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विशेष सोचने की बात हैं कि जिस क्षेत्र के अन्दर जहां लैण्ड रेवेन्यू है वह एक आना या २ आना प्रति बीघा के हिसाब से है और जहां वर्षा के ऊपर पूर्ण तया निर्भर करते हैं और जहां कि ४ साल के अन्दर ३ साल में ऐसे आते हैं जिनमें अकाल पड़ता है और फसल कम पैदा होती है ऐसी हालत में जो ४ आना प्रति बीघा के हिसाब से मालिकाना टैक्स लगा रखा है उसके ऊपर दुबारा विचार करना चाहिए। वहां पर जो काश्तकार लैण्ड रेवेन्यू के रूप में १ आना प्रति बीघा देते हैं क्यों कि कागजों में राजस्थान की नहर बना ली इससे काश्तकारों की पैदावार नहीं बढी और जो लैंड रेवेन्यू १ आना देते हैं और उनसे ४ आना प्रति बीघा के हिसाब से एडीशनल और लेना चाहते हैं तो ४ आना प्लस १ आना याने ५ आना प्रति बीघा के हिसाब से लेना चाहते हैं—वह कहां से देंगे? तो इसके बारे में जो मालिकाना टैक्स लगाया है इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में दुबारा विचार करे और इस टैक्स को जहां तक हो सके समाप्त किया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो लैंड रेवेन्यू है वह हम पटवारियों के द्वारा वसूल करेंगे और जो नम्बरदारी सिस्टम है उसको सरकार ने समाप्त किया। जहां तक नम्बरदारी सिस्टम को समाप्त करने का प्रश्न है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन हमारी इच्छा यही थी और शायद सदन की इच्छा यही थी कि जो लैण्ड रेवेन्यू की वसूली है वह पंचायतों की मार्फत हो ताकि पंचायतों उसका कुछ हिस्सा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की इच्छा है

(श्री भीमसेन)

विपरीत सरकार ने निर्णय लिया कि हम पटवारियों की माफत लण्ड रेवेन्यू वसूल करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इससे किसानों के सामने कई दिक्कतें पैदा होंगी और खास तौर से क्योंकि पटवार सर्किल के हैड क्वार्टर्स पर काश्तकारों को जाना पड़ेगा और पटवारियों की जो स्थिति है इसके बारे में सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत हैं और सरकार भी जानती है कि किस तरह के पटवारी लोग होते हैं और किस तरह से वे काश्तकारों को परेशान करते हैं और उनको तकलीफ देते हैं। इसके लिए कोई भी किसान पटवारी के पास जायेगा उसको दिक्कतें उठानी पड़ेगी । एक तो आज जो वसूली का तरीका है वह गांवों में ही जाकर वसूली करते हैं उसके बाद पटवार सर्किल के हैड क्वार्टर्स पर किसान को जाना पड़ेगा और पटवारी क्या कहेगा ? वह कहेगा कि मुझे फुर्सत नहीं है और वह उसको टालने की कोशिश करेगा और उसकी नियत यह रहेगी कि किसान से एडीशनल पैसा किस तरह से एक्सट्रेक्ट किया जाये । इससे दिक्कतें बढेंगी । तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पटवारियों की मार्फत ही लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया जाये उसके ऊपर दुबारा विचार किया जाये और मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के माध्यम से अगर वसूली की जायेगी तो इससे पंचायतों की माली हालत ठीक होगी और जो किसानों को परेशानियां होने वाली हैं उससे भी वह बच जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर क्षेत्र के अन्दर और राज्य के दूसरे हिस्सों में इस साल भयंकर कहतसाली है । इतनी बड़ी कहतसाली है कि जो पिछले १५-२० वर्षों में हमने नहीं देखी और सरकार अपने साधनों से काफी सहायता काश्तकारों को पहुंचा रही है । जगह जगह रिलीफ कैम्प्स शुरू किये जा रहे हैं, गायों के लिए तरह तरह की घास बाहर से मंगवाई जा रही है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी जो कुछ भी उस इलाके में किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है । सरकार को अधिक और स्थानों पर रिलीफ कैम्प्स खोलने पड़ेंगे और घास का इन्तजाम जिस तादाद में होना चाहिए उस तरह से अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक अप्रेल, मई और जून यह ३ महीने हैं वह और भी भयंकर स्थिति के होंगे । इसलिए सरकार इस बारे में पूरी सजगता से कार्य करे जिससे किसानों को रिलीफ मिल सके । अभी तकावी और फॉडर तकावी के रूप में काफी रुपया सेंक्शन किया है लेकिन जिस तादाद में जो अकाल की समस्या है उसको देखते हुए अभी जो कदम उठाये गये हैं वह इतने पर्याप्त नहीं हैं कि जिससे कि लोगों का पूरा रिलीफ मिल सके, इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर में एक बीकानेर जिप्सम कम्पनी है उसमें सरकार के भी शेयर हैं । वह कम्पनी जिस ढंग से काम करती है उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि वहां पर जो माइन्स वह छोड़ती है जिप्सम निकालने के बाद उनको माइन्स एक्ट के बाद पूरा करना चाहिए, बराबर लेवल पर करना चाहिए । वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं ।

(श्री भीमसेन)

इसके साथ-साथ ही सरकार को यह चाहिए कि आये दिन उस इलाके में फेमिन कन्डीशन्स होती रहती हैं इसलिए वहां के जिप्सम के अन्दर वहां के लोगों को भी काम दिया जाना चाहिए जिससे कि वे जिप्सम निकाल सकें और अपनी उदर-पूर्ति कर सकें। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जिप्सम के साथ-साथ हमारे लूनकरण-सर में सेल्यलाईड नाम का पदार्थ निकलता है। उसकी कम्पनी के साथ एग्रीमेंट था कि वह प्लास्टर आफ पेरिस की फैक्ट्री वहां पर लगाई जाय, और सरकार ने उस एग्रीमेंट के मुताबिक निर्णय लिया था कि सेल्यूलाईड एक्सपोर्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट का जो क्लॉज १६ है वह मैं यहां पढ़कर सुनाता हूं—

"....the liberty and power and the sole exclusive right to raise and use celuloid from Lunkaransar required for manufacture of plaster of paris. Celuloid in its raw stage will, however, not be exported outside Bikaner State by the lessee without obtaining prior sanction of the Government in writing."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कन्डीशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री के लगाने के लिए इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वहां के लोगों को मजदूरी मिल सके, और फैक्ट्री एस्टेब्लिश होने से सरकार की दूसरी आमदनी भी बढ़ेगी। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर जो यह कन्डीशन है उसको इम्पोज किया जाय।

राजस्थान नहर के क्षेत्र के बारे में...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : Which clause of the agreement did you refer.

श्री भीमसेन: क्लॉज १६।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहरी क्षेत्र में हमारे यहां के मजदूरों को भेजा गया और सरकार ने यह एलान किया था कि मजदूरों को हर तरह की सुविधाएं दी जायेंगी हालांकि जहां तक सरकार का प्रश्न है मजदूरों को रेल-किराया दिया गया, लेकिन आगे जाकर वहां पर मजदूरों को जो ट्रीटमेन्ट मिला, राजस्थान केनाल के ऑफिसर्स को जो उनका ध्यान रखना चाहिए था वह नहीं रखा और सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए थीं वह नहीं मिलीं। उनके लिए पानी का इन्तजाम नहीं किया गया, उनके लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था नहीं की गई, और सारे मजदूर जितने भी गये थे वापिस बुरी हालत में आये। उनको पैदल आना पड़ा। तो यह सरकार का फर्ज होना चाहिए था कि जब कि सरकार ने एलान किया था कि मजदूरों को भेजा जाय तो उससे पहले सरकार को ऐसे स्टप्स लेने चाहिए थे कि मजदूरों को मजदूरी बराबर मिलती जाय और उनको किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन राजस्थान नहरी क्षेत्र में वहां पर गये हुए मजदूरों के साथ आपने बुरा बर्ताव किया और सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे.....

श्री परसराम मदेरणा : क्या बुरा बर्ताव हुआ? उनको मजदूरी मिली है हजारों आदमी गये हैं और राजस्थान नहर पर काम कर रहे हैं। बर्ताव बताइये कि किस तरह से बुरा हुआ है?

श्री **भीमसेन**: उनको मजदूरी टाइम पर नहीं मिली चार-चार दिन बाद में मिली। पानी का इन्तजाम नहीं हुआ, सस्ता अनाज नहीं मिला। लोग वहां से वापिस आये और सरकार उनसे किराये की वसूली कर रही है।

सरकारी आंकड़ों से आपको मालूम होगा कि उनको जाने का जो किराया दिया गया था उसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अगर मजदूर वापिस आ गये तो क्यों आ गये? उनको शिकायत थी। अगर पूरा इन्तजाम होता, अगर उनको मजदूरी बराबर दी जाती तो उनके वापिस आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के काफी हिस्सों में हर साल अकाल पड़ता रहता है। इसके लिए सरकार ने माइनर इर्रीगशन, मीडियम इर्रीगेशन या मेजर इर्रीगेशन की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन जहां तक बीकानेर डिविजन का प्रश्न है या नागौर जिले का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, इन जिलों के लिए राज्य सरकार को जो पंजाब सरकार जिस तरह से घग्घर में पानी छोड़ती है अपने वाटर-लागिंग के प्रॉब्लेम को सोल्व करने के लिए, और बरसात में सारा पानी घग्घर में डाल देती है जिससे कि हर साल गंगानगर जिले का काफी हिस्सा पानी में डूब जाता है और इससे फसल को नुक्सान पहुंचता है, इसके लिए सरकार को पंजाब सरकार से बात करके इसके बारे में तत्काल कदम उठाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस घग्घर का जितना भी पानी सरकार को मिले उस पानी को ओटा हैड से लेकर चेनल के द्वारा इधर लाकर, सरकार इन्जीनियरों की राय से ऐसी कोई स्कीम बनाये जिससे कि यह पानी चूरू, बीकानेर और नागौर जिलों के लोगों के काम में आ सके जो कि अकाल से हमेशा पीड़ित रहते हैं उनकी सहायता के लिए और अकाल से उनको मुक्ति मिल सके। अगर इस प्रकार से पानी का उपयोग किया जा सके। तो इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार योजना बनाये जिससे लोगों को कम से कम खरीफ की क्रॉप अगर मानसून की वजह से खराब हो जाय तो रबी की क्रॉप के लिए घग्घर का पानी काम में लिया जा सके। तो इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सरकार अकाल जैसी समस्या का मुकाबला नहीं कर सकती है, एक कन्सर्टेड-वे में एक्शन नहीं ले सके तो यह सोचने की बात है। तो सरकार को इसके बारे में गम्भीरता से प्रयत्न करना चाहिए।

अभी मैंने सरकार के सामने एक सुझाव रखा था कि हमारा जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है उसको पानी के बारे में पूरी तरह से सर्वे करनी चाहिए। आज राजस्थान में बहुत से हिस्सों में पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता है। प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्र के लिए करीब ५ करोड़ रुपया खर्च किया और देहाती क्षेत्र के लिए करीब १ करोड़ रुपये का ही प्रावधान दूसरी योजना में रखा गया था। अब तीसरी योजना में जब कि हम ७ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में जब कि देहाती क्षेत्र के लिए केवल दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जहां तक गांवों

Page No. 62

(श्री भीमसेन)

में पीने के पानी की समस्या का सम्बन्ध है, यह बहुत बड़ी समस्या है और उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । सरकार को कम से कम पीने के पानी की समस्या को तो हल करना चाहिए क्योंकि जहां तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेण्ट का प्रश्न है गांवों के लोगों को कम से कम पीने का पानी नहीं मिले तो यह शोभा की बात नहीं है । और इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिये । तो इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पीने के पानी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

अब हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे स्थान हैं हमारे यहां करोड़ों एकड़ जो जमीन है वह बेकार पड़ी हुई है । यह सारी जमीन भूमिहीन काश्तकारों को एलॉट की जानी चाहिए । उसके लिए हमारी सरकार को भूमिहीन लोगों को बसाने के लिए भूमि रिक्लेम करने के लिए केन्द्रीय सरकार भी सहायता देती है । तो इसके बारे में सरकार को जो भी सहायता केन्द्रीय सरकार से मिलती है और जो वह पड़त भूमि पड़ी है सरकार उसको भूमिहीन लोगों को एलॉट करके उसके बारे में लोगों को राहत देनी चाहिए जिससे हमारा उत्पादन फूड का बढ़ सके । खास तौर से राजस्थान नहरी क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बाहर के लोग काफी तादाद में आते हैं और वे यहां के अफसर और स्टाफ से मिल कर या और किसी तरह से यहां की जमीन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं । अभी जो सन् ६१ की सेन्सस रिपोर्ट है उससे मालूम पड़ता है कि केवल अकेले गंगानगर जिले में ६४ पर्सेन्ट पॉपुलेशन बढ़ी है तो यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ६४ पर्सेन्ट पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ी है । साफ बात नजर आती है कि पंजाब के लोग काफी तादाद में गंगा नगर जिले में आये हैं ।

(११.०० म० पू०)

और वहां के लोगों ने यहां आकर भाखरा नहर क्षेत्र, गंगनहर क्षेत्र और राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन प्राप्त की है । यह सरकार के सोचने की बात है कि किस तरह से बाहर के लोगों को यहां जमीन प्राप्त हुई जब कि यहां के लोग बेकार बैठे हैं । हजारों भूमि हीन काश्तकार ऐसे हैं जिनको भूमि प्राप्त नहीं हुई और बाहर के लोगों को हुई । सरकार सोच सकती है कि किस तरह से यह समस्या हल की जा सकती है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर, चूरू, नागौर के डेजर्ट के लोग है जहां प्रायः साल फेमिन रहता है । राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसे लोगों को भूमि दी जाय जिससे वे लोग अकाल से छुटकारा पावें और खेती से उत्पादन बढ़े और पिछड़े एरिया में जो जमीन रहेगी उस पर एनिमल हस्बेन्डरी का काम चल सकेगा । अब भी एनिमल हस्बेन्डरी से राजस्थान को ११ पर्सेन्ट इन्कम मिलती है और वह सारी इन्कम डेजर्ट एरिया से हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां के लोग हैं उनको नहरी एरिया में जमीन देंगे तो वे वहां पर अच्छी तरह से खेती कर सकेंगे और डेजर्ट एरिया में जो जमीन बचेगी उस पर एनिमल हस्बेन्डरी को बढ़ावा देने से राज्य की इन्कम बढ़ेगी । मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं उम्मीद करता हूं उन पर राज्य सरकार गौर करेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान एक बड़ा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछले १३ सालों में इस राजस्थान के विकास के लिये राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाये गये हैं वे काफी सराहनीय कदम थे, और विरोधी पक्ष के नेताओं ने उनके बारे में निराशा प्रकट की और यह बताने की कोशिश की कि पिछले वर्षों में जो भी हुआ है वह कुछ नहीं हुआ। स्वतंत्र पार्टी की ओर से तो यह कहा गया कि प्लानिंग में उनको विश्वास नहीं है।

एक माननीय सदस्य: यह नहीं कहा गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उन्होंने यह कहा कि प्लानिंग यूजलेस है और जो पैसा खर्च किया जाता है वह इस रूप में खर्च किया जाता है कि उसका कोई रिटर्न नहीं आता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े उठाकर यदि देखें पिछले सालों के तो पता चलेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना में जिस सीगे को भी हम देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ प्रगति जरूर नजर आती है। हालांकि बेकवर्ड स्टेट के लिये जिस तेजी से विकास किये जाने की जरूरत थी उस रूप में नहीं हो पाया क्योंकि यहां के रिसोर्सेज तेजी से एक्सप्लॉइट नहीं किये जा सकते। हमारे राजस्थान की कुछ छोटी-छोटी स्टेट्स-बहुत ही पिछड़ी हुई थीं और कुछ बड़ी स्टेट्स आगे बढ़ी हुई थीं-के एकीकरण के बाद यहां के रिसोर्सेज को देखते हुए सारे राजस्थान में एक समान प्रगति होना संभव नहीं था इसलिये कुछ इलाकों में विकास तेजी से हुआ है और कुछ में कम हुआ है। इस हिसाब से देखने से यह महसूस जरूर होता है कि सारे राजस्थान में जिस तेजी से हर जिले का विकास होना चाहिये था उस तेजी से नहीं हुआ है, लेकिन हर जिले में पिछले १३ सालों में विकास के जरिये कुछ न कुछ हर क्षेत्र में जरुर तरक्की हुई है। कृषि में उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई के साधन बढ़े हैं, बिजली का उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और एज्युकेशन के आंकड़े देखने से पता चलता है कि सैकड़ों की संख्या में हायर सेकेण्ड्री और प्राइमरी स्कूल्स की संख्या बढ़ी है और हर गांव से दो तीन माइल के फासले पर प्राइमरी स्कूल मिलती है जब कि पुराने जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का इन्तजाम नहीं था। आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है और इस प्लानिंग के जरिये राजस्थान भी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में अग्रसर होता रहा है और होता रहेगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने में मुझे संकोच नहीं है कि विकास के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे राज्यों से होड़ करने या मुकाबला करने में सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि राजस्थान एक बेकवर्ड स्टेट है और दूसरे राज्यों के मुकाबले में यदि टेक्सेशन के जरिये लोगों पर ज्यादा भार डाल कर राजस्थान विकास करने की कोशिश करेगा तो यह भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि यहां सामान्य लोगों की हालत, यहां के काश्तकारों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी यू० पी० के काश्तकारों की या पंजाब के काश्तकारों की है। इसलिये जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं और जो भी सामर्थ्य टैक्स देने की है उसको मद्देनजर रखते हुए इतना टैक्स बढ़ाने की नीति का भी परित्याग करना पड़ेगा क्योंकि हर सीगे के लोगों पर समानरूप से टैक्स का भार पड़ना जरूरी है। तभी प्रजातान्त्रिक समाजवाद की नींव डाली जा सकती है। इसलिये मैं आपके

Page No. 64

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जरिये राज्य सरकार से इस ओर इशारा करना चाहता हूं कि राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले टैक्सेशन हर सीगे पर, हर तरह के लोगों पर टैक्स लगा कर उनका विकास किया जाय, यह भी अच्छी नीति नहीं होगी, क्योंकि कुछ गांवों के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि वे लैण्ड रेवेन्यू चुकाने में भी असमर्थ हैं और दूसरे इण्डाइरेक्ट टैक्सेज ऐसे हैं जिनके कारण उनकी हालत और भी गिर गई है, हालांकि कुछ इलाकों में खुशहाली आई है लेकिन समान रूप से नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में १०० में से ७५ पर्सेन्ट लोग गांवों में रहते हैं और केवल १५ पर्सेन्ट लोग शहरों के निवासी हैं । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ७५ पर्सेन्ट लोगों की पिछले सालों में शहरों के मुकाबले में प्रगति हुई है, विकास कार्य हुए हैं उनमें किस प्रकार का अनुपात रहा है, इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिये पुरजोर शब्दों में दिलाना चाहता हूं कि ७५ पर्सेन्ट लोगों की हालत अच्छी करने के लिये जिस अनुपात से खर्चा किया जाता है उसे अगले सालों में यदि ज्यादा नहीं किया गया तो वहां के लोगों की हालत जो कि अभी है शहरी लोगों के मुकाबले में नहीं लाई जा सकेगी, यह अच्छी बात नहीं होगी । इस बारे में मैं कुछ तथ्य रखने की कोशिश करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में पीने के पानी की समस्या के बारे में इस सदन में कई बार कहा गया है और पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो पैसा खर्च करने का एस्टीमेट है रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स, और अरबन वाटर सप्लाई स्कीम्स पर, यदि इन दोनों का मुकाबला करें तो दोनों में बहुत भारी अन्तर मिलेगा । जब कि गांवों में ७५ पर्सेन्ट लोग रहते हैं, कुछ इलाके जैसे सांचोर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे इलाके हैं जहां पानी की गंभीर समस्या है । जोधपुर के कुछ इलाके जैसे ओसियां तहसील, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे इलाके हैं जहां १०-१२ मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है और लोग पानी के लिये तड़पते रहते हैं और बैलों और ऊंटों के जरिये खींच कर पानी लाना पड़ता है और पीने के पानी के लिये दिन भर बेरे पर लगा रहना पड़ता है । इसलिये मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम पीने के पानी के लिये ग्रामीण लोगों को जो बहुत दूर से पानी लाकर बच्चों को नहीं पिला सकते और आज जो बहुत भारी खर्चा करना पड़ता है इस बारे में राज्य सरकार को निकट भविष्य में बहुत ज्यादा एलॉटमेंट ऑफ फण्ड्स उपलब्ध किया जाना चाहिये ताकि पीने का पानी उपलब्ध किया जा सके ।

राज्य सरकार ने कुछ ट्यूबवैल्स बनाने के लिये या कुछ इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर वेल्स खोदने की योजना जरूर बनाई है लेकिन फंड्स को देखते हुए महसूस होता है कि जिस पर्याप्त मात्रा में और जिस गति से इस प्रोब्लम को हल करने की राज्य सरकार की नीति है वह सराहनीय नहीं है । इस रूप में सरकार को तेजी से कदम उठाना जरूरी है क्योंकि सबसे गंभीर समस्या पीने के पानी की है । जो भी ऐसे क्षेत्र हों जहां

Page No. 65

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बहुत ज्यादा विषम स्थिति है वहां ज्यादा फंड्स लगा कर पीने का पानी सुलभ कराया जा सके इस ओर राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना निहायत जरूरी है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड है उसका काम अण्डर ग्राउण्ड से बोरिंग के द्वारा पानी निकालने का है और उसके द्वारा कूओं को गहरा कराने का प्रयत्न राज्य सरकार की ओर से होता है । जहां तक मेरा अनुभव है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का मशीनों का काम होता है । जिन इलाकों में उनको मशीनें पड़ी रहती हैं वहां थोड़ा काम कराने के लिये, मामूली सा काम कराने के लिए तीन-तीन, चार-चार मशीन पड़ी रहती हैं, उनका समय पर उपयोग नहीं किया जाता है और उसके अधिकारियों की, काम करने वालों की लापरवाही देखने को मिलती है । उदाहरण के तौर पर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वाटर बोर्ड की जो मशीनें हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, जिन पर लाखों रुपये व्यय हुए हैं उनके द्वारा जिन इलाकों में काम होता है उसकी गति बड़ी शिथिल होती है और मशीन उचित समय पर उपयोग में नहीं लाई जाती हैं । यह बड़ी शोचनीय बात है । एक-एक ट्यूबवैल के लिए साल-साल भर मशीनें पड़ी रहना और दूसरी जगह मशीनों का उपलब्ध न होना एक बड़ी शोचनीय स्थिति है । इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की बोरिंग मशीनें हैं उनका समय पर सदुपयोग हो । उसके पास मशीनें कम हों और उनका भी समय पर उपयोग नहीं हो, यह बड़ी शोचनीय स्थिति है । माननीय उपाध्यक्षजी जो मशीनें हैं उनका चैकिंग का कोई प्रबंध नहीं है और चैकिंग न होने की वजह से और उनकी ओर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से काम एकदम ठप्प पड़ा रहता है और उसके अधिकारी मोटर में फिरते रहते हैं । इसलिए इस विषय में सतर्कता बरती जानी चाहिये और जो कठिन समस्या पानी की है उसको सॉल्व करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने चाहिये ।

इस बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की दो-तीन चीजें बतलाना चाहता हूं । शुरु में जो बोरिंग किया जाता है उस समय पता नहीं लगता है कि कितना बोरिंग करना है कहां तक बोरिंग करने से पानी मिलेगा मीठा और कहां से खारा पानी शुरु हो जायगा । टैस्ट बोरिंग हुए, परन्तु मैं आपके जरिये, माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस गहराई पर बोरिंग होना चाहिये उसकी बनिस्बत ज्यादा गहरा कर दिया जिससे जो मीठा पानी उपलब्ध होने की संभावना थी उसकी जगह खारा पानी मिला । इसलिए हमको महसूस होता है कि राज्य सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिससे पता लग सके कि फलां जगह बोरिंग हुआ, टैस्ट होकर बोरिंग हुआ तो मीठा पानी निकलेगा । ऐसे साधन उपलब्ध हों तो राज्य सरकार का पैसा वैस्ट नहीं जायगा और यह भी पता लग सकेगा कि मीठा पानी कहां तक मिलेगा, कहां तक खारी पानी मिलेगा । मैं समझता हूं कि इसके लिये टैस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राज्य सरकार का व्यय फालतू

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

न हो और नतीजा ठीक निकले। वहां सांचोर में तीन-चार बोरिंग हुए, उनमें खारा पानी निकला जब कि यह कह दिया गया था कि इतने फीट से ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एटरेंडम बोरिंग किया और खारा पानी निकला। इसलिए टेस्ट बोरिंग के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। पानी का समय समय पर टेस्टिंग हो और उसके बाद बोरिंग आगे बढ़े तो नतीजा ठीक निकल सकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अपने राजस्थान में वूल रिसोर्सेज और राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हैं। इसलिए जहां वूल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अभी तक राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया है। बाड़मेर और जालोर जिले में वूल रिसोर्सेज हैं लेकिन अभी तक उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए कदम नहीं उठाया है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन जिलों में वूल रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कदम उठाना निहायत जरूरी है ताकि लोगों की हालत सुधर सके।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा पशु-पालन और कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने प्रोग्रेस जरूर की है परन्तु विशेष तौर से जालोर जिले, बाड़मेर, सिरोही वगैरह में पशु-पालन के लिये, इसके विकास के लिये डेअरी फार्म व कैटल ब्रीडिंग फार्म के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया है। सांचोर की ब्रीड हिन्दुस्तान में अच्छी ब्रीडों में से है। उसको सुधारने के लिये कदम नहीं उठाया है। मैं समझता हूं कि अब उठाना जरूरी है। क्योंकि वहां का कैटल बहुत इम्प्रूव्ड कैटल है और एक जोड़ी की कीमत दो हजार ढाई हजार तक आती है। यह सब होते हुए भी अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। यह उठाना निहायत जरूरी है।

इसके अलावा नामेडिक कैटल ब्रीडर्स बहुत संख्या में पाये जाते हैं। जब अकाल पड़ता है वैसे वहां तीन साल से स्केअरसिटी है, पिछले साल भी थी, तो वे अपने मवेशी लेकर गुजरात साइड में जाते हैं और वहां फिरते रहते है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और! थोड़ा टाइम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up within two minutes.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं तो पहली बार बोला हूं। पहले तो चान्स नहीं मिला था।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं होता........

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी थोड़ा टाइम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue, but that will take the time of your party.

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैसे तो आधा घंटा बोल सकता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : Let him speak. He is giving suggestions.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां के नोमेडिक कैटल ब्रीडर्स के संबंध में गवर्नर साहब के भाषण में भी संकेत मिला है कि नोमेडिक कैटल ब्रीडर्स के विकास के लिए राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है । इस संबंध में माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सांचोर में नोमेडिक कैटल ब्रीडर्स को अभी तक कोई पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं दी गई है । इसलिये वह एरिया भी उस स्कीम में लिया जाय ताकि नोमेडिक कैटल ब्रीडर्स को बसाने के लिये और पशुओं को सुधारने के लिए कार्यवाही की जा सके और पशुओं को चराने के लिए गोचर भूमि वगैरह की सुविधायें दी जा सकें । इसलिए इस एरिया को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है ।

माननीय उपाध्यक्षजी शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सेकेण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल की व्यवस्था रूरल क्षेत्र में बड़ी धीमी गति से चल रही है । मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोगों को जितना फायदा होना चाहिये उतना नहीं होता है । इसके साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से शहरों में छात्र-होस्टल की व्यवस्था होती है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों के साथ-साथ होस्टल्स की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें । माननीय उपाध्यक्ष जी गांव के लोगों को मिडिल स्कूल बनाने में सहयोग देना पड़ता है और होस्टल के लिए प्राइवेट किराये के मकान में रह कर शिक्षा ग्रहण कराने में उनका इतना पैसा खर्च होता है कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है । इसलिये इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस बारे में शीघ्र कदम उठायें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती शिक्षा मिल सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि एम्प्लॉयमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड लेस मजदूर की समस्या है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है, भूमि की समस्या का दिनों दिन विकास होने की वजह से लैंडलेस मजदूर शहर की ओर आते हैं और उनको बसाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने न तो गांवों में की है और न शहर में । हाउसिंग प्रोब्लम के लिए दूसरे तबकों के लोगों को जो मदद दी जाती है उसी प्रकार प्राइमरी हाउसिंग प्रोब्लम सॉल्व करने के लिए नई स्कीम बना कर इनको राहत देनी चाहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : बहुत अच्छे !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति काफी शिकायतें केसेज को डिस्पोज ऑफ करने के संबंध में हैं । केसेज में डिले होती है और काफी दिनों तक केसेज पैंडिंग रहते हैं । लोगों की डिले करने की शिकायतें आती हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं । इसलिए आज जो शासन-तन्त्र है उसको थोड़ा खींचा जाना चाहिए जिससे कि कम से कम शिकायतें हों । साथ ही एन्टीकरप्शन में भ्रष्टाचार के केसेज चार-चार, पांच-पांच साल तक पड़े रहते हैं और बहुत से आफिसर्स सस्पेण्डेड पड़े रहते हैं और उनको एग्जॉनरेट करने के बाद रीइन्स्टेट करने के बाद पैसा देना पड़ता है ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिये इसमें राज्य सरकार की ओर से सतर्कता बरती जानी निहायत जरूरी है। हम यह देखते हैं कि आज तक एण्टी-करप्शन में छोटे गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स हैं उनको ही सजा मिलती रही है और जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सबूत होने पर भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि इस संबंध में आंकड़े देखे जावें तो यह मालूम होता है कि एण्टी-करप्शन विभाग बड़े-बड़े ऑफिसर्स को सजा दिलाने में नाकामयाब रहा है। इससे लोगों को इसमें अब आस्था नहीं रही है। इसलिय मैं यह निवेदन करूंगा कि करप्शन मिटाने में सभी पार्टीज का सहयोग होना निहायत जरूरी है। यह नहीं कि यह राज्य सरकार की पार्टी का ही फर्ज हो। यह केवल राज्य सरकार की पार्टी का ही फर्ज नहीं है कि करप्शन दूर हो बल्कि सभी पार्टीज का भी फर्ज है। अगर सभी पार्टीज मिल कर सहयोग दें तो करप्शन मिट सकता है। इसके लिये लोगों को मोरल ट्रेनिंग और समझाइश की जरूरत है। इसलिये इसमें राज्य सरकार के साथ दूसरी सभी पार्टीज का पूरा सहयोग होना बहुत जरूरी है। आज कल लोगों की यह भावना है और साधारण से साधारण व्यक्ति की यह धारणा बनती जा रही है और उनके दिलों में आस्था सरकार के प्रति कम होती जा रही है। इसके लिये People should not loose faith in clean administration, otherwise there is a danger to the democratic form of Government.

इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कहूंगा कि जो लोगों में करप्शन को मिटाने के लिये को-ऑपरेशन की टेण्डेन्सी और भावना है उसको मजबूत की जाना बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिये कि जो कोई करप्ट हो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जावे और उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जावे ताकि और लोगों की आस्था बढ़े।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जुडिशियल सबोर्डिनेट कोर्टों में भी करप्शन घुस रहा है। अभी श्री गजेन्द्रगड़कर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि सबोर्डिनेट जुडिशियल कोर्ट में करप्शन आ रहा है। यदि धीरे-धीरे इसमें करप्शन बढ़ता गया तो बहुत हानि होगी और लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी। हायर-स्ट्रेटा ऑफ जुडिशियरी में तो करप्शन नहीं है लेकिन लोअर कोर्टों में करप्शन की टेण्डेन्सी बढ़ गई है। इस ओर भी सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिये ताकि लोगों की आस्था बनी रहे।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह बोडी है जहां all sorts of inefficient and corrupt officers should not get shelter. तो इस तरह से इनएफिशियेन्ट और करप्ट ऑफिसर्स हों और उनके खिलाफ करप्शन की कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट हो तो उनको या तो रीमूव किया जावे या उनको रिटायर किया जावे और उनके एवज में यंग ब्लड जो भी उस जगह फिट हो सकें उनको काम करने का मौका दिया जावे। जिनका काम ठीक नहीं है और जिनका डिस्पोजल पुअर है उनको छांट दिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दूसरे, ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट हों और जिनका काम बहुत अच्छा हो उनको राज्य सरकार की ओर से रिवार्ड मिलना चाहिये। ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट आफिसर्स के साथ एक तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिये। यदि आप सिविल सर्विसेज में कुछ इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे तो लोगों के होसले बढ़ेंगे और काम अच्छी तरह से करेंगे। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक की निगाह में ऑनेस्ट हो तो दूसरे नजर में डिसऑनेस्ट हो सकता है, क्योंकि उनका इन्ट्रेस्ट जो होता है उसमें वह व्यक्ति फिट नहीं होता। तो इसी इन्ट्रेस्ट की बात को लेकर ऑनेस्टी और डिस-ऑनेस्टी को देखेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस क्राईटेरिया के आधार पर किसी ऑनेस्ट व्यक्ति की ऑनेस्टी को डाउट करें तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी पार्टीज को मिल कर करप्शन रोकने के लिये प्रयत्न करने चाहिये और सरकार को चाहिये कि वह ऑनेस्ट व्यक्तियों को रिवार्ड दे और करप्ट और इनएफिन्शियट ऑफिसरों को रीमूव करे। मैं यह कहूंगा कि जनता के मोरल को ऊंचा उठाने के लिये और सुधारने के लिये सभी पार्टीज के लोगों को मिल कर काम करना चाहिये और करप्शन को मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। यदि ऐसा सभी करेंगे तो प्रजातन्त्रवाद को मजबूत बनावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी पार्टीज का सहयोग होना निहायत जरूरी है। बाकी कन्डक्ट ऑफ जुडिशियरी व एक्जीक्यूटिव के संबंध में माननीय राष्ट्रपतिजी ने अपने २६ तारीख के संदेश में साफ कहा है कि हिन्दुस्तान में राज्यों में there is favouritism nepotism and corruption, और इसे मिटाने के लिये सब पार्टीज का सहयोग होना जरूरी है।

करप्शन धीरे-धीरे इस ओर बढ़ता जा रहा है इसकी तरफ राष्ट्रपतिजी हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिये समाज के ढ़ाचे को ठीक करना, निपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बहुत ही बोल्डनेस से रोकने के लिये आपको स्टेप लेना चाहिये और जितने भी पार्टीज के लीडर्स हैं उनका सभी का सभी तरह से सहयोग मिलना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) सारी पार्टीज ने क्या इसमें सहयोग देने से कभी इन्कार किया है ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) सभापति महोदय, बजट पर जो बहस हो रही है उसमें भाग लेने के लिये मैं भी खड़ा हुआ हूं। हमारे बजट के खर्चे का आधार है, हमारे कानून की प्रगति और इसके लिये तीन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये तीन मुद्दे हैं जिनको सरकार भी मानती है। राजस्थान की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार इस बात को मानती है कि ये तीन मुद्दे पंचायत, सहकारी समिति और स्कूल हैं। कामराज का विचार है कि यह तीनों संस्थाएं हमारे गांवों में सही तरीके से चलें तभी हमारी आजादी का जो लक्ष्य है वह पूरा हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : मसानी का क्या मत है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उनका इससे भी ऊपर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें ।

एक माननीय सदस्य : आपकी समझ में आगया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : धीरे धीरे सबकी समझ में आ जावेगा । ये तीनों संस्थाए जिनका ग्रामीण जनता से सीधा संपर्क है, इनकी राजस्थान में क्या हालत है इसके संबंध में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवस्था को जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है लेता हूं ।

(शिक्षा मंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय के सदन में प्रवेश पर)

शिक्षा मंत्री महोदय, दा साहब पधार गये हैं । मुझे इनकी अनुपस्थिति बहुत अखर रही थी । इनके साथ यदि उप मंत्री, शिक्षा भी होते तो ठीक रहता क्योंकि दा साहब को तो कहना और किसी दीवार को कहना बराबर है । दा साहब तो इधर सुनते हैं और उधर निकाल देते हैं ।

श्री ल शर्मा : एक जिन्दे आदमी को दीवार कहना उचित नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : आपको मालूम होना चाहिये कि दीवार के भी कान होते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : दा सहाब को तो कहना मैं समझता हूं कि अपना समय खराब करना होगा । लेकिन हाउस की जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member it is a mis-statement of facts.

श्री जयनारायण सालोदिया : देहातों में स्कूलें, कालेजेज और जो भी इस तरह की संस्थाएं खोली जाती हैं वे भी दलगत आधार पर खोली जाती हैं और उसमें जो एक्शन होता है वह भी दलगत आधार पर होता है । इसके मेरे पास प्रमाण हैं । जब भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां मालपुरा कॉन्स्टीट्यूएन्सी से पधारे, उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में मालपुरा तहसील में आप देखेंगे कि दो-दो मील, चार-चार मील पर हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं और उनका फासला दो-दो या चार-चार मील से ज्यादा नहीं है । लेकिन टोंक को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां की कई तहसीलें ऐसी हैं जहां एक भी हायर सेकेण्ड्री स्कूल नहीं है निवाई तहसील भर में एक भी हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): वहां अनपढ़ ज्यादा हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अनपढ़ ज्यादा हों वहीं तो स्कूलें ज्यादा खोलनी चाहिये ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मालपुरा में जब कि पहले मालपुरा से चुने गये माननीय सदस्य यहां रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उन्होंने

(श्री जयनारायण सालोदिया)
सारे डिस्ट्रिक्ट का कोटा ले जाकर अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी मालपुरा में लगा दिया वहां मालपुरा में ४ हायर सेकेण्डरी स्कूल नजदीक नजदीक हैं जब कि उसके पास की ही निवाई तहसील में एक भी हायर सेकेण्ड्री स्कूल नहीं है।

अब मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो हाउस में सदा से चलती आई है। जब से मैं यहां आया हूं हाउस में हमेशा से यह बात कही जाती रही है और दा साहब उसका जवाब भी दे देते हैं तो उस पर पीछे जा कर कायम नहीं रहते हैं। पंचायत समिति के अध्यापकों की सीनियोरिटी के प्रश्न को ले कर इस सदन में अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि पंचायत समितियों के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाकर शिघ्रातिशिघ्र उनकी सिनियोरिटी फिक्स कर दी जायगी, पर बडे दुख के साथ कहना पडता है कि अभी तक उनकी सीनियोरिटी फिक्स नहीं की गई है, अभी तक उनकी योग्यता, सीनियोरिटी के अनुसार उनके प्रमोशन्स नहीं होते हैं। इसके लिये मैं फिर से सरकार से पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय और इनकी सीनियोरिटी फिक्स की जाय। पंचायत समिति के अध्यापकों में और शिक्षा विभाग के अध्यापकों में फर्क है। इतना ही नहीं भूतपूर्व जिला बोर्डों के अध्यापकों में और पंचायत समितियों के अध्यापकों में फर्क है। शिक्षा विभाग के अध्यापकों से और भूतपूर्व जिला बोर्डों के अध्यापकों से पंचायत समितियों के अध्यापकों में फर्क है। यह बडे आश्चर्य की बात है एक ही तरह का काम करने वाले, एक ही तरह की योग्यता वाले अध्यापकों की तनख्वाहों में इतना फर्क हो यह कदापि न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा शिक्षा विभाग में काम करने वाले, व्यक्तियों के बारे में बताऊं। मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है पर जो वस्तुस्थिति है वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। टोंक निवासी श्री अहमद अली वहां शिक्षा विभाग के इन्स्पैक्टर हैं। मैं उनके बारे में श्रीमान दा साहब को इस तरह की शिकायतें पेश कर चुका हूं पर क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये मजबूर हो कर आज मुझे हाउस में अर्ज करना पड़ रहा है। श्री अहमद अली राष्ट्र-विरोधी विचाराधारा रखते हैं और इस तरह के काम करते हैं जो राष्ट्र-विरोधी हैं। इस पर भी शायद सरकार उनको वहां पर इसलिये बैठाये रखना चाहती है कि वे वहां पर राष्ट्र-विरोधी काम करते रहें। मैं अखबार की एक खबर सदन में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, इसकी एक प्रति दा साहब के ऑफिस में भी दी है, दा साहब को दी है. इस प्रकार के खुले पत्र भी निकले हैं जो गवर्नमेन्ट के पास गये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : दीवारों के कान नहीं है तो सुनेंगे कैसे ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। १९ सितम्बर का अखबार है, लोकवाणी अखबार है, उसके तीसरे पेज पर हैडिंग है :

(श्री जयनारायण सालोदिया)

"मुस्लिम विद्यार्थियों द्वारा भारत माता की जय बोलने से इन्कार; मस्जिदों की सभाओं में भारत विरोधी प्रचार ।"

उसमें आगे जाकर लिखा गया है :

"तथा उक्त घटना उसी का परिणाम है। यह भी ज्ञात हुआ है कि जिले के शिक्षा निरीक्षक का जो कि जाति के मुसलमान हैं, इस प्रकार के प्रचार कार्य में मुख्य हाथ है । उनके स्वयं के ऐसी सभाओं में भाग लेने तथा भाषण करने के समाचार मिले हैं । गुप्तचर विभाग की भी ऐसी रिपोर्ट बताई जाती है ।"

इसी प्रकार की गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट है । शिक्षा विभाग के निरीक्षक के खिलाफ उसको उसी जगह होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों जमाये रखा जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं यह हाउस की टेबल पर रखने को तैयार हूं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : वह लटर भी सदन की मेज पर रखें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह लेटर भी मैं हाउस की टेबल पर रखता हूं । हजारों ऐसे पत्र हैं वे राष्ट्र-विरोधी भावना रखते हैं— यह मैं ही नहीं कहता गुप्तचर विभाग की इस प्रकार की रिपोर्ट है । जो राष्ट्र-विरोधी प्रचार में लगा रहता है उसको उसकी होम डिस्ट्रिक्ट में रख कर इस प्रकार की सुविधाएं दी जायं, होम डिस्ट्रिक्ट में जमा कर रखा जाय इसके पीछे सरकार की क्या नीति है, समझ में नहीं आता ।

हमारे यहां निवाई में गर्ल्स मिडिल स्कूल है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बिल्कुल थोड़ा ही बोला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल सकते हैं, मैं तो केवल संकेत करता हूं कि आपकी पार्टी के और सदस्य भी बोलने वाले हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे अभी काफी बातें कहनी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वे थोड़ा कम बोल लेंगे ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि गर्ल्स मिडिल स्कूल है निवाई में, उसमें जो स्टाफ में है, उसकी मेरे पास लिस्ट है । उसमें यह सुन कर आप ताज्जुब करेंगे कि दो अध्यापिकाएं हैं वे बी. ए. हैं और शिड्यूल्ड कास्ट की हैं अन्य अध्यापिका प्रवेशिका पास और मैट्रिक पास हैं और वहां पर प्रवेशिका पास, मैट्रिक पास अध्यापिका अर्से से प्रधानाध्यापिका है । मैंने बार-बार इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाया कि शिड्यूल्ड कास्ट की बी. ए. पास अध्यापिकाएं हैं उनमें से एक को प्रधानाध्यापिका बनाना चाहिये पर इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

कल अतारांकित प्रश्न था, गवर्नमेंन्ट ने भी माना है कि योग्य प्रधान अध्यापिका नहीं है । जहां योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, हो वहां पर अयोग्य को लगायें पर यहां, तो शिड्यूल्ड कास्ट की दो अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो बी. ए. हैं। मैंने बार-बार इस ओर ध्यान दिलाया है पर यह मान कर भी कि उस प्रधान अध्यापिका में योग्यता नहीं हैं, फिर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी ऐसी प्रधान अध्यापिका वहां रख रखी है। प्रवेशिका तो मैट्रिक के बराबर भी नहीं मानी गई है। शासन तो अलग रहा पर लडकियों की पढाई भी नहीं हो रही है। मिडिल की लडकियों को भला वह क्या पढायेंगी जो अंग्रेजी बोल तक नहीं सकती। तो इस तरह की दयनीय स्थिति शिक्षा विभाग की है।

जैसा कि मैंने पहल पहले बताया था हायर सेकेन्डरी स्कूल हमारे यहां हो यह हमारा अधिकार है। गवर्नमेंट की यह निर्धारित पॉलिसी है कि तहसील हैड क्वार्टर पर हायर सकेन्डरी स्कूल खोलेंगे पर हमारे यहां तो तहसील हैड क्वार्टर ही क्या सारी तहसील भर में एक भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है। निवाई तहसील के ग्राम झिलाय की तरफ मैं आपका वार-वार आहवान करता हूं, वहां पर बिल्डिंग भी है, फिर क्या कारण है कि आप झिलाय में हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खोलते ?

श्री हरीभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): कौनसा गांव ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): बस हो गया हायर सेकेन्डरी स्कूल।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो मैंने पहले ही कह दिया कि दा साहब से उम्मीद नहीं है। मैंने गांव का नाम बताया झिलाय।

राजस्व के बारे में थोड़ी बात कहना चाहूंगा। हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान में अकाल है और यह भी मानते हैं कि हमारे टोंक जिले में भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कल ही कह चुका हूं और उसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है टोंक के कुछ गावों को और देवली तहसील के कुछ गावों को अकालग्रस्त घोषित करने का मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू सरचार्ज है इस बारे में मैं कहे विना नहीं रह सकूंगा। यह एक बडी मुसिबत है। एक तरफ हम खेती की पैदावार बढाना चाहते हैं, एक तरफ अकाल के जमाने से गुजर रहे हं, एक तरफ कुल ७५ प्रतिशत किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम उन गरीबों पर सरचार्ज का वोझ डालना चाहते हैं जिससे न केवल उनको लगान ही देना पडेगा बल्कि टैक्स और देना पड़ेगा। ऐसी नीति समाजवाद की नीति नहीं है, यह बिल्कुल जनता के खिलाफ नीति है। किसानों का वहुत वडा अहित है। हमारे किसानों में इसके खिलाफ जाग्रति और वे जल्दी ही इसके खिलाफ कोई आन्दोलन करने वाले हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस ओर ध्यान दें। समाज के जो अन्य मालदार तवके हैं उन पर अगर ज्यादा टैक्स लगायें हो वाजिब हो सकता है। लेकिन जो राजस्थान की ७५ प्रतिशत किसान जनात है, जो अनाज पैदा करती है, आपकी अन्नदाता है, उस पर आप इस तरह का सरचार्ज लगाते हैं तो यह समाजवाद नहीं है। गांधीजी ने आपको यह नहीं सिखाया जिस टैक्स से गरीब लोग परेशान हों उन पर टैक्स लगाया जाय और मालदारों को छूट दी जाय। रबी और खरीफ की फसल राजस्थान भर में खराब हो गई और जहां जहां आपने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया वहां लगान की छूट दी लेकिन अभी जहां घोषित करना चाहते हैं वह

(श्री जयनारायण सांलोदिया)

लगान वसूल हो रही है। लगान के साथ सरचार्ज भी वसूल हो रहा है। यह किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये। यह तो मैंने आपको बताया रेवेन्यू के बारे में।

थोड़ा मैं पंचायतों के संबंध में बताना चाहता हूं। आज उनकी जो स्थिति है वह राजस्थान सरकार से छिपी हुई नहीं है। सारी पंचायतों में दलगत के आधार पर काम होता है। उसके उदाहरण में टोंक जिले के देना चाहता हूं। अमुक आदमी ने कोई जुर्म किया तो उसको फांसी की सजा हो सकती है और अमुक आदमी ने उससे भी ज्यादा जुर्म किया तो उसको छूट मिल सकती है। झिराना में एक पंचायत है टोंक तहसील में। वहां के सरपंच पर गबन के मामले हैं। उन्होंने पंचायत समिति से कुओं के लिए, तालाबों के लिए रकम लेकर और अपने निजी काम में लिया है और इसी तरह से फर्जी पट्टे बनाए। इस तरह के कई केसेज उनके खिलाफ हैं और कलेक्टर टोंक की रिपोर्ट है कि उनको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए उसके बावजूद भी मामला महीनों से नहीं वर्षों से सरकार के पास है, फाइनल डिसीजन में है-न मालूम सरकार को क्या दिक्कत है? दूसरी तरफ पिपरू के सरपंच और ४ पंचों के खिलाफ इस तरह के मामले मिले। अदालत में मुकद्दमा चला और ७५) रुपये का हरेक पर जुर्माना हुआ और अपील में भी ७५) रुपये का जुर्माना कायम रहा। ऐसे सरपंच और पंचों के खिलाफ फाइनल मिसल सरकार के पास है लेकिन न मालूम सरकार की क्या मजबूरी है कि ऐसे सरपंचों को नहीं हटाना चाहती।

उसके विपरीत उसकी दूसरी पोजीशन देखिए। यह तो रहा जो सरपंच सरकारी समर्थन प्राप्त हैं और दूसरी तरफ जो स्वतन्त्र पार्टी से संबंधित हैं ऐसे सरपंच को कैसे परेशान किया जाता है-इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां निवाई तहसील में राहोली के सरपंच थे। एक दो रुपये के मामले में उसको हथकडी लगाकर अदालत में पेश किया गया और अदालत में मामला चलने पर वह निर्दोष साबित हुआ लेकिन सरकार ने उसकी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं रखी। उसकी इज्जत तो जनता में होनी चाहिए। जनता ने भारी बहुमत से फिर उसको चुना है और आज भी वह सरपंच है। इसी तरह का एक मामला टोडारायसिंह पंचायत समिति में एक भासू पंचायत है। उसका सरपंच स्वतन्त्र पार्टी से संबंधित है। श्री राधेसिंह। उनको भी किसी एक तालाब की रकम में जो उन्होंने पंचायत से ली थी वह रकम हालांकि तहसील में जमा रही, तहसीलदार साहब ने खर्च की, नायब तहसीलदार ने बांटी लेकिन कुछ आदमियों के लिए सरपंच ने सर्टीफाई कर दिया था कि इनको पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन उनको सस्पेन्ड किया गया। फिर सरकार में जब यह मामला आया सेक्रेटेरियेट में तो अमुक पंचायत मंत्री थे उन्होंने उसको बहाल कर दिया फिर थोड़े दिनों में वह डिपार्टमेन्ट श्री सुखाड़िया साहब के बलिष्ठ हाथों में आ गया और उन्होंने इसको डिस्मिस कर दिया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और वहां उसके हक में फैसला हो गया। उनको चार्ज देने के आदेश हुए लेकिन सरकार गत चार माह से टाल रही है और चार्ज नहीं दे रही है। एक तरफ तो आप पंचायतों के विकास की बात करते हैं और एक तरफ तो ऐसा मामला है कि लोग गबन करते हैं

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कलेक्टर रिपोर्ट करता है उस कागज को आप दबाते हैं। दूसरी तरफ झूठे केसेज बनते हैं और लोगों को परेशान किया जाता है।

अब सहकारी समितियों के बारे में बताकर मैं अपना आसन ग्रहण करूंगा। हमारे यहां निवाई में क्रय-विक्रय सहकारी समिति है। मैंने गत सैशन में उस समिति के बारे में प्रश्न पूछा था और उत्तर में सरकार ने यह माना है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां के जो वैतनिक कर्मचारी हैं वे-कायकारिणी के सदस्यों के मंत्री और अध्यक्ष के सगे भाई हैं जो कानूनी तौर पर नहीं रह सकते। इतना ही नहीं उनसे गड़बड़ियां भी कराते हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं हैं उनको भी २०० रु० और १९०) रुपये की तनख्वाह देते हैं। यह सहकारी समिति का स्टैन्डर्ड है। उसमें सारा दलगत के आधार पर, भाई-भतीजावाद के आधार पर काम होता है। इससे निवाई तहसील की जनता त्राहि-त्राहि कर कर रही है। शक्कर-वितरण इस तरह से होता है जो उनके पक्ष के आदमी हैं उनको घर बैठ परमिट बनाकर शक्कर दे देते हैं और जिनको परेशान करना होता है उनको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसी तरह से गुड़ का वितरण भी होता है और गेहूं का भी। वहां की पंचायत समिति के प्रधानजी ने इस बार में लिखित दरख्वास्त दी है सरकार को कि यह सब गैरकानूनी है। अध्यक्ष का भाई, मंत्री का भाई, कार्यकारिणी के सदस्य का भाई उसमें वैतनिक कर्मचारी हैं जो कानूनन नहीं रह सकते।

दूसरी तरफ सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, टोंक में एक पोस्ट का चुनाव होना बाकी था। हमारे यहां के भूतपूर्व राजस्व मंत्री अपने दलीय आदमी को वाइस चैयरमैन बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जो हथकंडे काम में लिए वे मेरे पास जो सरकार की आडिट रिपोर्ट है उसमें अंकित हैं। आप चाहें तो रिपोर्ट को मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है इसकी प्रति आपके पास भी है। इसमें श्री रामदयाल पटेल जो देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति के प्रधान के नाते बैंक के प्रधान के रूप में आया। जिस दिन उसने बैंक के प्रधान के रूप में चुनाव लड़ा उस दिन वह उस सहकारी समिति का सदस्य नहीं था। इस तरह का एक फर्जी काम किया। न तो वे सहकारी समिति के मनोनीत सदस्य थे और न ही सहकारी समिति ने उनको प्रतिनिधि बना कर भेजा। इस प्रकार का एक रिजोलूशन भी सहकारी समिति ने पास किया था। चुनाव के बाद इसके बारे में अपील की गई। जांच कमीशन के द्वारा रिपोर्ट ली गई। उसमें भी यह साफ जाहिर है कि वह फर्जी मामला है। उनको अधिकार नहीं था इस प्रकार प्रतिनिधित्व करने का। वे सदस्य उस सहकारी समिति के नहीं थे। उनका पैसा भी कोई जमा नहीं हुआ था। सहकारी समिति के रेकार्ड में यह कहीं नहीं है कि वे सदस्य थे। फिर भी वे अब तक उस बैंक के सदस्य हैं।

श्री **अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): उन सदस्य महानुभाव ने काजू खिला दी गवर्नमेन्ट को।

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, वित्त): बैंक के लिए प्रतिनिधि आते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

सोसाइटी की तरफ से । जिस दिन बैंक के डाइरेक्टर्स का चुनाव होता है उसी दिन आते हैं । उसके बाद वे काय के मेम्बर रह गये ? प्रतिनिधि तो हमेशा रहते नहीं ।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक के लिए उस क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आना था । उसमें श्रीमान् रामदयालजी डाइरेक्टर के रूप में चुनाव के लिए आये । जिस सहकारी समिति से वे आये थे उस सहकारी समिति के वे सदस्य नहीं थे । प्रोसिडिंग्ज़ में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव भी नहीं था कि इनको सहकारी समिति की ओर से प्रतिनिधि भेजा जाता है । उनका बैंक में चुनाव हो गया । वाइस चैयरमैन के रूप में चुनाव हो गया, वे वाइस चैयरमैन चुने गये । जिला परिषद् के भी वे सदस्य हो गये । इस प्रकार से एक गलत आदमी आज की तारीख तक भी गलत रूप में तीन-तीन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसको इस गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर भी कोई अधिकार नहीं है ।

सहकारी समितियों की बात मैं कर रहा था । अब मैं उद्योग के सम्बन्ध में एक बात आप से अर्ज करूं । छोटे उद्योगों को गवर्नमेन्ट प्रोत्साहित करना चाहती है, इस तरह की बात सरकार कहती है । लेकिन जब मैंने यह देखा, सुना और भाषण से भी सुना कि पक्की खालों पर गवर्नमेन्ट ने टैक्स बढ़ाया है तो मैं नहीं समझ सका कि इसके पीछे गवर्नमेन्ट की क्या विचारधारा है ? कच्ची खालें और पक्की खालों का काम वे लोग करते हैं जिनको सरकार समझती है कि वे पिछड़े हुए लोग हैं और उनको अन्यान्य प्रकार से सहायता देकर, पढ़ा-लिखा कर समानता में लाना चाहती है । एक तरफ तो यह विचार हो और दूसरी तरफ उनके जीवनोपाजन पर, धन्धे पर टैक्स बढ़ायें-यह कहां तक उचित कहा जा सकता है । यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है । मैं नहीं समझता कि सरकार की इसके पीछे क्या तैयारी है जो इस प्रकार करना चाहती है । उन हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के पास एकमात्र यह पेशा है, जो शक्कर का व्यापार नहीं कर सकते, गुड़ का व्यापार नहीं कर सकते, कपड़े का व्यापार नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते इसकी, आपकी तरह मोटरें नहीं चला सकते, आपकी तरह परमिट नहीं ला सकते । आर्थिकस्थिति उनकी खराब होने के कारण वे पढ़-लिख कर भी किसी प्रकार नौकरियां नहीं कर सकते, वे इस धन्धे को करते हैं । आप इस धन्धे को पसन्द नहीं करते, समाज का दूसरा अंग इस धन्धे को करना पसन्द नहीं करता । उनकी हालत खराब होते हुए भी आप उनके धन्धे पर टैक्स लगाना चाहते हैं । मैं गये समय गंगानगर गया था । वहां शराब की फैक्ट्री देखी । वहां से शराब बनाने वालों से मालूम किया उन्होंने बताया कि शराब गंगानगर से १।।) गैलन में पैदा होता है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की टैक्स की हालत चरम सीमा तक पंहुच गयी है उसके उदाहरण स्वरूप मैं यह बताना चाहता हूं । मेरी यह धारणा नहीं है कि मैं शराब के प्रति यह धारणा रखता होऊं कि इस तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिये । लेकिन मैं तो इसके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के टैक्सों की हद कहां तक पहुंच गयी है । उन्होंने मुझे वहां पर बताया कि १।।) गैलन में शराब पैदा होती है । उस पर सरकार १००) गैलन का टैक्स लगाती है ।

(श्री जयनारायण सालोदिय)

इस तरह से वह शराब मार्केट में १०२।।) गैलन आकर पड़ती है । जैसा मैंने कहा कि शराब पर टैक्स न लगे यह मैं नहीं मानता । लगना चाहिये लेकिन १) पर १००) का टैक्स यह कहां तक वाजिब है यह विचार की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्यान्नों के बारे में बताना चाहता हूं । आज हम देखते हैं कि खाद्यान्नों के भाव चरम सीमा पर पंहुच गये है । गरीब तो क्या मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया है । आपको अनाज लेना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, आपको अनाज के भावों का पता नहीं । आपको इसकी परवाह भी नहीं । हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत प्रसिद्ध है "अनाज को कांई भाव छै? रावले रोटी खावां छां। घी को कांई भाव छै? चुपड़ी-चुपड़ाई आवे छै"।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : मां भी मोल लेवा छां ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : यदि अनाज का भाव ज्यादा गिर गया तो काश्तकारों की क्या हालत होगी ? आपको यह तो मालूम होना चाहिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : काश्तकारां की बात मारे सामने कही गयी छी । मैं नहीं चाऊं छु के काश्तकारां ने अनाज को पैसो कम मले । जो भाव बढ़ रह्या है वणी तरफ आपको ध्यान दिलाओ चाऊं छूं । काश्तकार ने अनाज को भाव ऊंचो होवा सुं थोड़ा पैसो मिले छै । लेकिन काश्तकार ने ९९ चीज तो बाजार सुं ही खरीदनी पड़े छै । एक चीज में पैसा बत्तो म्लयो तो कई होवे छै । ९९ चीजां तो मेंहगी ही खरीदनी पड़े छै । सरकार एक भाव लादे तो कई दिक्कत नहीं होवे छै किन्हें ही ।

मैं या बात बता रह्यो छू के मध्यम श्रेणी के लोग, किसान ही नहीं, मजदूर ही नहीं, मामूली पुलिस का सिपाही, अध्यापक, एल. डी. सी., यू. डी. सी., क्लर्क, या स्टैण्डर्ड का लोगों की भी हालत खराब छै । मंहगाई देखता हुआं, तनख्वाह देखता हुआं माहवारी बजट अच्छी तरह नहीं बनाय सके छै । आपणीं तन्दुरुस्ती ने कायम राखबा के वास्ते दूध पीबो चावे, तन्दुरुस्ती ने कायम राखबा के वास्ते आछ्यो मकान में रहवो चावे, बच्चा-बच्चियां री पढ़ाई आछी करबा चावे, वां की शादी-व्याव कराबो चावे, और भी अनिवार्य काम कराबो चावै तो या तनख्वाह में वांकों पूरा पड़वो नहीं । ईं वास्ते ईकी सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की छै । और कतई राज्य सरकार ई सूं दूर नहीं रह सके छै ।

अब मैं एक बात और अर्ज कर द्यूं । टौंक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे अब भी छः साल से वहीं पर चले आ रहे है । शिक्षा निरीक्षक से लेकर तहसीलदार, एस. डी. ओ. आदि गत छः साल से वहीं पर हैं । टोंक डिस्ट्रिक्ट में मालपुरा तहसील है वहां हर कर्मचारी पांच-छः साल से कम का नहीं है उनको वहां पर इसलिये रख रखा है कि वह इस गवर्नमेंट की रीति-नीति के अनुसार भूतपूर्व राजस्व मंत्री के इशारे पर वहां की पब्लिक को परेशान करें । उनकी परेशानियों की बहुत बड़ी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

और विचित्र सूचनायें मेरे पास हैं राज्य सरकार बराबर यह आश्वासन देती रही है कि इन सब का ट्रांसफर कर देंगे फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि क्या मजबूरियां हैं जिनके कारण आप अब तक इन आफिसर्स का तबादला नहीं कर सके क्योंकि वहां की जनता उस क्षेत्र की जनता इनके व्यवहार से परेशान है। अधिकांश किसानों पर झूठे मुकदमें बनाते हैं, झूठे तरीके से हिरासत में लेते हैं हर तरह से उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। यह रवैया टोंक डिस्ट्रिक्ट के मालपुरा तहसील के अधिकारियों का है वहां पर इन लोगों को विशेष तौर से चुन कर रखा गया है। वहां पर तहसीलदार सिलेक्टेड है, एस. डी. एम., डी. वाई. एस. पी. आदि ये इस प्रकार के अधिकारी हैं जिनका केवल मात्र जनता को परेशान करने का ही काम रह गया है। ये गत पांच-छः साल से वहीं पर टिके हुए हैं जिनके लिये जनता की बहुत शिकायतें हैं, लेकिन राज्य सरकार न मालूम क्यों और किस मतलब से, किस मंशा को हल करने के लिये उनको वहां रख रखा है। मैं समझता हूं कि इन ऑफिसरों के लिये पब्लिक को परेशानियां पैदा करने से कांग्रेस को वोट नहीं मिल सकते।

इस तरह से मेरी यह धारणा है कि यदि उनकी परेशान करने की इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही तो जो मत कांग्रेस को वहां मिले हैं वह भी आयन्दा नहीं मिल पायेंगे। इस आम चुनाव के दौरान वहां की जनता पर जिस-जिस प्रकार के अत्याचार किये गये वैसे अत्याचार राजस्थान में कहीं भी नहीं [illegible]ेंगे। वहां की जनता के लोगों को चुनाव से दो-दो, चार-चार रोज पहले हथकड़ियां बेड़ियां डाल कर घुमाया गया, उनका प्रदर्शन करवाया गया। वहां लोगों को पीटा गया, लोगों को आतंकित किया गया, पुलिस द्वारा डराया गया लेकिन पब्लिक जागरूक थी इसलिये इतना करते हुए भी उन्होंने अपने मत का सही उपयोग किया। वहां पर जो अधिकारी हैं उनको न हटाना कांग्रेस के खुद के लिये भी बहुत हानिकर है। वह इस तरह से कि कुछ जो उनकी पार्टी के समर्थक भी हैं वे भी धीरे-धीरे आपके अधिकारियों के इस रवैये से तंग आकर आपके समर्थन से दूर हटते जा रहे हैं। उनका भी आप पर से विश्वास हटता जा रहा है और इस तरह से वे भी आपके खिलाफ हो जायेंगे।

अब मैं समाज-कल्याण विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि समाज-कल्याण विभाग दा साहब के पास आ गया है, जो गांधीजी के सच्चे अनुयायी हैं.......

एक माननीय सदस्य : हाथ मिला लिया दिखता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : गांधी जी की विचारधारा को व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गांधीजी के वरिष्ठ पुत्रों में से हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह से कांपते हाथों में यह समाज-कल्याण का विभाग गया है, यह हम अपना सौभाग्य समझते हैं। समाज-कल्याण के लिये सरकारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नौकरियों में हरिजनों को बीस प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिये वह हिस्सा उनको नहीं मिल रहा है बल्कि थोड़े बहुत आदमी किसी भी तरह से सरकारी नौकरियों में पहुंच गये हैं, शनैः शनैः इस सरकार की मशीनरी से परेशान होकर सरकार से परेशान होकर शनैः शनैः या तो इस्तीफा दे रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं। इस तरह से मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आयी हैं जिनमें एक रिपोर्ट है जयपुर के तहसीलदार की जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उन्होंने किसी नेता महोदय की इच्छा के अनुसार किसी को जमीन अलॉट नहीं की, उससे नाराज होकर उनको नायब तहसीलदार बना दिया गया और मैंने यह भी सुना है कि उन्होंने इससे मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया।

एक अजमेर का वैद्य है उनको पांच साल से तंग किया जा रहा है। आयुर्वेद इन्सपेक्टर उनको तंग करता है। उनके बारे में भी मुझे इत्तला मिली है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है....

एक माननीय सदस्य : वे आपके प्रभाव में नहीं हैं क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इसी प्रकार जो हमारे यहां के एक विशिष्ट व्यक्तियों में से थे जिनका नाम मैं........

श्री उपाध्यक्ष : आप तीस मिनिट से भी ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं एक ही मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं, आप एक घंटा लें, लेकिन यह आपकी पार्टी के समय में से निकल जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : उन सज्जन की चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या कर दी गई। वे व्यक्ति हैं जिन्होंने गत आम चुनाव में श्री रामकिशोरजी व्यास के खिलाफ जयपुर से चुनाव लड़ा था। वे कोआपरेटिव इन्सपेक्टर के पद पर चित्तौड़गढ़ गये थे उनको वहां पर लोहे की छड़ से प्रहार किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। यह गवर्नमेंट जिस व्यक्ति ने उन पर प्रहार किया उसके लिये कहती है कि वह पागल था। अगर वह पागल था तो उनके सिवाय और किसी के भी प्रहार करता। आखिर उसके हाथ में लोहे की छड़ कैसे आती। ये सब बातें हैं जो हम लोगों को शंका पैदा करती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उस व्यक्ति के लिये हम १२ सदस्यों ने डा० व्यास से फोन पर पूछा है। उसके लिये उनका कहना है कि वह व्यक्ति पागल नहीं है उसको जबरदस्ती से पागल करार दिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह पागल नहीं है। जिस आदमी ने लोहे की छड़ की मारी है वह व्यक्ति भी नहीं है जो शफाखाने में दाखिल है। इसको जबरदस्ती से शफाखाने में दाखिल कर रखा है। इसके पीछे षड्यन्त्र हो सकता है। कौन लोग हो सकते हैं यह सब जानकारी धीरे-धीरे हो जायगी। लेकिन मैं तो यह बात बता रहा था, हरिजन लोगों को, अछूत लोगों को जो थोड़े बहुत पढ़-लिख कर सरकारी नौकरियों में जाते हैं उनके प्रति किस प्रकार की विचारधारा होती है उनको किस प्रकार

(श्री जयनारायण सालोदिया)
से मजबूर किया जाता है नौकरी छोड़ने के लिये । ये बातें मैंने आपके सामने रखीं ।

अब मैं एक ही मिनिट में म्युनिसिपैलिटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । निवाई म्युनिसिपल बोर्ड में जो पहले था उसमें कांग्रेस का बहुमत था उस दरमियान में जो उस बोर्ड में अनियमिततायें हुई, जो घोटाले हुए उनके बारे में मैंने कई बार प्रश्न उठाये थे लेकिन उसके लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । अभी जब दूसरा बोर्ड बना उन्होंने पहले वाले बोर्ड के बारे में ग्रोडिट करवाया और जो आडिट वालों ने रिपोर्ट दी है जैसी कि मुझे जानकारी है वह करीब १७० पेज में है । उस समय म्युनिसिपैलिटी में जिस प्रकार से काम होता था मानों वह किसी बनिये की दुकान हो.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार आपको कौनसी दुकान नजर आती है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बनिये की, लेकिन वह भी कन्जूस बनिये की ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कन्जूस तो नहीं कहूंगा, वह अपने संचय के लिये बहुत उदार है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपने पेट पर हाथ रख कर अच्छी डकार मारती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमें बहुत अनुभव है जब कभी हम सिविल लाईन्स के बंगलों में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं तो हमें मैंदे के हलुवे की सुगन्ध आती है । हम सोचते हैं कि ये मिनिस्टर लोग हमेशा हलुआ ही खाते हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : आपको खिलाया नहीं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : ये खा भी गये और खराब भी कर गये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : खाना भी दो तरह का होता है; नेकनियती का खाना होता है वह तो ताकतवर होता है और जो बदनियती का खाना खाते हैं वे दा साहब' की तरह ही रहते हैं ।

मैं भूतपूर्व बोर्ड निवाई के बारे में जिक्र कर रहा था । ऑडिट रिपोर्ट से जाहिर है । मैं ज्यादा नहीं कह कर इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट जब भी आवे उसमें जो चार्ज भूतपूर्व चैयरमैन और बोर्ड पर लगाये गये हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह घाटे का बजट देख कर अफसोस होता है । अगर हमारी सरकार सही रीति-नीति पर चले जिस योजना के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है जिस प्रशासन तन्त्र पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और जिन प्रशिक्षण शिविरों पर, सेमिनारों पर और पिछड़ी जाति के लोगों के नाम पर जो प्रकट भाई-भतीजावाद को पनपा रही है, अगर इन सबको सही रूप से चलाया जाता तो न घाटा रहता, न जनता को तकलीफें होतीं, बल्कि जनता को काफी राहत पहुंचती ।

जो योजनाएं बनी हैं जो करोडों रुपयों का हमारे पर कर्ज है वह सारा इन दो योजनाओं को लेकर है । इनमें बिजली और

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सिंचाई की योजनाएं मुख्य ह। सरकार ने इन दोनों को लेकर गरीबी, बेकारी और भुखमरी को राजस्थान से मिटाने का नारा लगाया है। मैं बताना चाहूंगा कि यह सरकार अपने इस नारे में कहां तक सफल हुई है और कहां तक भविष्य में सफल होने की आशा है ? बिजली के उत्पादन में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और करोड़ों खर्च करने का भविष्य में प्रावधान है। अब इसके एवज में राजस्थान को कितना लाभ हुआ है, यह प्रत्यक्ष है। और इसी आधार पर आने वाले भविष्य में भी अन्दाज लगाया जा सकता है। गांधीसागर डेम से बिजली पैदा हो रही है, राणा प्रताप सागर बान्ध पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, कोटा डैम पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं और यह सब किया जा रहा है बिजली और इरिगेशन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये। अब जो बिजली का उत्पादन हुआ है वह लगभग सारे का सारा बड़े-बड़े पूंजीपति व्यापारियों को बहुत सस्ते भाव पर दी जा रही है। जिस रेट से वह दी गई है या दी जाने वाली है उससे हमारे खर्चे के मुकाबले में कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इनको देने के बाद छोटे-मोटों को वे देंगे।

मैं पूछता हूं सरकार से कि जब वे वितरण का विस्तार करेंगे गांव-गांव में कृषि के लिये बिजली देंगे तो इसके लिये भी करोड़ों खर्च करने होंगे लाइनें ले जाने में तार खींचने में और जब राजस्थान सरकार घाटे में से निकल रही है, आर्थिक संकट के बादल उस पर मंडरा रहे हैं तो आप कैसे यह कह सकते हैं, कि उस सारे उत्पादन का वितरण का जाल बिछाकर आप उपयोग कर सकेंगे ?

फिर आप वितरण भी राजनैतिक आधार पर करते हैं। कहीं पाइप लाइन लगी है, कहीं बिजली के खम्भे लगे हैं। जहां पाइप लाइन हिसाब से जानी चाहिये, जहां खम्भे लगने चाहिये, जिनको मिलना चाहिये, उनको नहीं मिलते। बिजली की खेती के काम में बहुत आवश्यकता है, उससे अधिक अन्न उत्पादन में सहायता मिलेगी, पर आप उनकी पूर्ति भी नहीं करते।

मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। इसकी तरक्की के लिये करोड़ों का प्रावधान है। आज जिस उजाड़ और बंजड़ जमीन को ठीक करके लोगों ने काबिले काश्त कर ली है उसको भी आप किस तरह की सहूलियतें या मदद आप देते हैं, इसका उदाहरण मैं बताता हूं।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के रहने वाले किसान हैं, भूमिहीन लोग हैं हरिजन लोग हैं। उन्होंने किसी तरह से वहां पड़ी उजड़ और बंजड़ जमीन को काश्त के काबिल बनाया पर आज वहां कटाव होता जा रहा है माघ नदी के कारण। करड़े और बरड़े वहां खड़े हैं लाखों बीघा जमीन पर। उस जमीन को, उस ऊबड़ और खाबड़ जमीन को पिछले दस वर्षों में इन लोगों ने काबिले काश्त बनाया। आज राजस्थान सरकार ने उनको ट्रेस-पासर्स मान लिया है। एक तरफ बात करते हैं, हम भूमिहीनों को आबाद करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहते हैं, हरिजनों को राहत देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यह भी नारा लगाते हैं कि अधिक अन्न का उत्पादन करो, सरकार उनको प्रोत्साहन देगी, पर उनको ट्रेस-पासर भी डिक्लेअर करते हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, इनके अनुसार कोटा डिविजन में पचास हजार किसान ट्रेस-पासर्स हो गये हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि १,३१,०००

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

व्यक्तियों को नोतोड़ की राहत दी गई है। पर इसमें भी घोटाला है। यह राहत भी किसको दी गई यह मैं बताता हूं। आज भी जो कटाव से बेजार हैं वे ट्रेस-पासर्स डिक्लेअर किये गये हैं। हालांकि मैं इस बात के लिये डिप्टी मिनिस्टर साहब की तारीफ करूंगा वे आये और मुझे याद आ गया है कि ३१ दिसम्बर, ६१ तक के खेतिहर लोगों को १५ एकड़ जमीन देने का वादा उन्होंने किया है। उन ट्रेस-पासर्स गिने जाने वाले लोगों को भी राहत देने की यह योजना उन्होंने बनाई है। पर आपकी इस भावना को आपके नीचे के अधिकारी वर्ग नहीं समझते। आपकी आज्ञाओं का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता। आज भी वे पैनल्टियां लोगों से वसूल कर रहे हैं।

मैं जानकारी दूं कि कोटा डिविजन में चम्बल और माघ नदी के किनारे बरड़ा और खरड़ा को ठीक करके जिन्होंने अपने खेत बनाये, और जहां नहरें नहीं पहुंच सकतीं उनको भी बेदखल किया जा रहा है।

(१२.११ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

उन भूमिहीन लोगों से जिन्होंने किसी तरह उस ऊबड़-खाबड़ जमीन को ठीक करके खेती लायक बनाया, वहां बने रहने के नाम पर पैसा मांगते हैं यह कह कर कि यह एरिया प्रोजेक्ट एरिया में शामिल हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उस एरिया में आगामी दस-बारह वर्ष तक भी नहर आपका सिंचाई विभाग नहीं ले जा सकता। फिर क्यों उसको अभी से आपने प्रोजेक्ट एरिया में शामिल किया? आप उन किसानों को राहत क्यों नहीं देना चाहते, जो भूमिहीन हैं, और जिनके बारे में राहत देने की बात डिप्टी मिनिस्टर साहब करते जरूर हैं, पर उनके अधिकारीगण नहीं मानते उनका कहना। सरकार की इस नीति का वहां के लोगों ने जोरदार विरोध किया है। साथ ही अपील की है। पाटन की पंचायत समिति ने मांग भी की है। आपको इस बारे में विचार करना चाहिये।

अब मैं सघन खेती के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने पाली में इसके लिये एरिया चुना। आप वहां लाखों रुपया इस पर खर्च करने के बाद भी असफल रहे। यह आप मान रहे हैं। अमेरिका के लोग, जिनकी आर्थिक सहायता से आप सघन खेती का प्रयोग कर रहे हैं, उनका सुझाव है कि पाली की जमीन इसके अनुकूल नहीं है। पर आप तो सारी बातें राजनैतिक दृष्टि से सोचा करते हैं। अच्छा होता आप इसके लिये कोटा को चुनते, गंगानगर को चुनते। अगर वहां आपने सेक्टर बनाया होता तो वहां के बहुत से किसान जिनके पास काफी अच्छे खेत हैं और खेती के बहुत अच्छे साधन हैं पाली से बहुत अच्छे साधन हैं, उन किसानों को उन तौर तरीकों की ट्रेनिंग मिलती। वे इन तौर तरीकों को जानकर उनका उपयोग करते और इस तरह आपका अधिक अन्न उपजाओ और सघन खेती का उद्देश्य सफल होता।

आपने एग्रीकल्चर के कई फार्म खोल रखे हैं। आप एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देते हैं। ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग खोल रखी है। ८० प्रतिशत शिक्षा इनको इस बात की दी जाती

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

है कि खेती का काम किस तरह से किया जा सकता है। लाखों रुपया आपने इन ग्राम सेवकों की इस तरह की ट्रेनिंग पर खर्च किये हैं, पर आज उनको पंचायतों का सचिव बनाने जा रहे हैं और इस तरह से उनकी लाखों रुपया खर्च करके दी गई ट्रेनिंग बेकार होने जा रही है। तो इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान सरकार अपने तमाम योजनाओं में बुरी तरह से फेल रही है। आप वे सिद्धान्त और लक्ष्य तो बहुत ऊंचे बनाकर चलते हैं पर कार्यरूप में जब उनको परिणित होते देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में करोड़ों रुपया इन स्कीमों पर बेकार जा रहा है। तो, सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के मंत्रिमंडल का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आप चौथी योजनाओं न बनाकर मुकम्मिल योजनायें बनायें और जितना पैसा खर्च करना है उसके सही आधार को लेकर चलें तो आपका अर्थ भी सिद्ध हो सकता है।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, मैं मजदूरों की स्थिति के बारे म कहना चाहूंगा। इस बजट में मजदूरों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मजदूरों के लिये उनके मकानों की व्यवस्था के लिये और अन्य कामों के लिये भारत सरकार से आज लाखों और करोड़ों रुपये मिलते हैं, वह हर साल लैप्स हो जाते हैं और श्रम मंत्रालय इस बारे में बिल्कुल अकर्मण्य है कि वह मजदूरों को जो राहत मिलनी चाहिये वह भी उनको नहीं दिला सकता। इसी प्रकार से पिछड़ी हुई उन जातियों के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और उन पैसों का सही उपयोग नहीं होता।

इसी प्रकार से विकास के नाम पर जो पंचायतों में आप करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा कल ही मैंने बताया था कि पंचायतों की मार्फत रकमें जाती हैं और उनको वोटों का हथकण्डा बनाया जाता है। १९५९-६० की रकम उनकी जेबों में रखी हुई है और निर्माण कार्य वहां पर हो नहीं पाते हैं। आज जिला परिषदों में क्या दूसरी सभी जगह पर राजनैतिक आधारों पर सोचा जाता है चाहे उससे सदुपयोग हो या दुरुपयोग। आपने सही आधार पर कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि पंचायतें गलती करती हैं उनको आप दण्ड दें।

तो, सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार की दीवालिया नीति होती जा रही है और वह इसलिये होती जा रही है कि आपको कर्ज के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। आज हर एक चीज में मिलावट है। दवाइयों में आप मिलावट को नहीं रोक पाये हैं। फूड एक्ट के तहत जो मिलावट होती है उसमें आप अधिक से अधिक खर्च करने जा रहे हैं पर आप कामयाब नहीं हो पाये हैं। जेलों की रोकथाम के लिये करोड़ों रुपये खर्च करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि जो फूड एक्ट के द्वारा आज लोगों को इस तरह से लूटा जा रहा है—इसके लिए मैं बूंदी जिले के बारे में कहना चाहूंगा। बूंदी जिले में एक फुड इन्सपेक्टर है। वहां पर हर एक दुकानदार को लाइसेन्स कराने के लिए बूंदी हैडक्वार्टर्स पर जाना पड़ता है और वह इन्सपेक्टर साहब वहां नहीं मिलते। दौरे में निकल जाते हैं और

Page No. 84

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जब किसी विना लाइसेन्स वाले को पकड़ते हैं तो बुरी तरह से उनको दण्ड दिया जाता है।

इसी प्रकार से मैं बन्दूकों के लाइसेन्स के बारे में कहना चाहूंगा। आप कम से कम इस बात की तो देख रेख रखें कि हमारे यहां कितने आर्म्स हैं। एक लाइसेन्स को लेने में जहां ८ आना लगता था वहां आज लाइसेन्स के लिये १०, १५ और २०-२० रुपय खर्च करना पड़ता है और जो भी बिना लाइसेन्स के पकड़ा जाय तो वह बुरी तरह से मुकदमों में फंसा रहता है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के ऊपर एक चार्ज है और वह चार्ज यह है कि संकटकाल के जमाने में जब कि एक एक पैसे की रक्षा करनी चाहिए इस दिशा में आप अकर्मण्य हैं। आज भी आप उद्घाटन, भाषण और दूना चाटने में इतने तल्लीन हैं कि आप सब भूल गए कि चीन का हमला हुआ था उस समय हमने क्या क्या वायदे किये थे। आपने होम गार्डस् के नाम पर लाखों रुपयों का बजट में प्रावधान रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय कितने होम गार्डस् सक्रिय हैं? आपने राइफल्स के ट्रेनिंग सेण्टर कायम किये और विधान सभा के सदस्यों को, हमें भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की। क्या आप बता सकते हैं कि कितने आदमी ऐसे हैं कि जो राइफल की ट्रेनिंग लेकर आज दुश्मनों से लड़ने के काबिल हो गये हैं? हर एक ग्राम पंचायत में दलपतियों को लाईन में पुलिस लाइन्स में खड़ा करवा दिया। आपने थोड़ासा राइफल पकड़ना सिखा दिया, थोड़ी सी चांदमारी करनी सिखा दी। आज वह बेकार बैठे हैं। आप कहते हैं कि आपने ५० लाख वालण्टियर तैयार कर दिये। मैं कहूंगा कि यह हमारे राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है। राजस्थान सरकार न तो इस मामले में स्वावलम्बी है, न वह स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है और न आत्म रक्षा ही कर सकती है।

सभापति महोदय, मुझे पहले बोलने का मौका नहीं दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिन फौजी भाइयों को आप जमीन देना चाहते हैं, जिनके बच्चों को और बेवा औरतों को राहत देना चाहते हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप उनके पेट पालने की तो क्या आज उनका अस्तित्व लुट रहा है। उनकी भी आप रक्षा नहीं कर सकते। देवली के अन्दर एक फौजी की पत्नि के साथ में वहां के अधिकारी ने जिस प्रकार से बलात्कार किया। क्या राजस्थान सरकार के लिए यह शोभा का विषय है? अच्छा होता आज मंत्रि-मंडल इस विषय को लेकर इस्तिफा दे देता कि हमारे फौजी भाई जो कि भारत माता की लाज की रक्षा के लिए भूख और प्यास को त्याग कर और सब तरह की परेशानियों को झेल कर आज हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और हम उनकी पत्नियों की इज्जत को नहीं बचा सकते तो धिक्कार है। इसको एक गंभीर विषय मानना चाहिए और मैं जानता हूं माननीय उप-मंत्रीजी खुद जानते हैं और श्री माणिक्यलाल वर्मा ने खुद लिखा है और कई कांग्रेसी सदस्यों ने लिख कर दिया है, लेकिन अफसोस बादाम बाई और नन्दूबाई के साथ बलात्कार हुआ तो उनको वहां से गायब कर दिया गया। तीन दिन तक गायब रखा और जब उनके चालान करने की कोशिश की गयी तो टोंक में जाकर जमानत करा दी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जब कि मालपुरा में केस चल रहा था । उसको बचाने के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार लोग आगे पीछे फिरने लगे । ऐसी नीतियां हैं हमारी सरकार की ! ऐसी गलत नीतियों के कारण राजस्थान सरकार बच नहीं सकती ।

आज कोटा डिवीजन में जिस प्रकार की डकैतियां हो रही हैं, जिस प्रकार के अपहरण हो रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि वहां जितने भी अपहरण हुए आपकी पुलिस कितनों को बचा कर लाई और आप डाकुओं की समस्या को हल करने के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और आज ऐसे एस. पी और डी. एस. पी. हैं जो कि जंगलों में रंग-रेलियां कर रहे हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह जंगलों में जाते हैं, वहां पर बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं और शराब उड़ती है और नाच गाने होते हैं । वह डाकुओं को पकड़ने नहीं बल्कि रंगरेलियां मचाने के लिए जाते हैं । हमारे मुख्य मंत्री जी सदन में इस बात का दावा करते हैं कि हम सफल राजनैतिक रहे हैं । लेकिन आज राजस्थान की जनता में इनकी इज्जत समाप्त हो गयी है और कांग्रेस के आदर्शों के ऊपर कांग्रेस में बैठने वालों के लिए एक प्रकार से बड़ा भारी कलंक है ।

सभापति महोदय, खास तौर से मैं बूंदी जिले के बारे में बताऊंगा कि आज उसके साथ में कितनी उपेक्षा का वर्ताव किया जा रहा है । एक मंत्री महोदय— निर्माण मंत्री महोदय पंचायत समिति का उद्घाटन करने गये थे । आप यह देखें कि आज करोड़ों रुपया भवनों में खर्च किया जा रहा है । इनसे खाली उद्घाटन करवा लीजिए और कुछ नहीं होता । वहां पर उनका उद्घाटन भाषण इस प्रकार का था जैसे कांग्रेस का बहुत बड़ा प्लेटफार्म हो । वह जनता को संतोष देने लगे कि आपके यहां खुशहाली टैक्स लगने वाला था लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया और हमें उसको हटाना पड़ा । आप जब यह टैक्स लगाना चाहते थे और उसे ठीक नहीं समझा तो हटा दिया गया । लेकिन इस प्रकार से एक प्लेटफार्म पर और वह भी सरकारी प्लेटफार्म पर इस बात का प्रचार करते हैं । खुशहाली टैक्स आपने अपनी मर्जी से नहीं हटाया है । कोटा जिले के बारे में बताऊं कि जिन जिलों में आपने खुशहाली टैक्स लगाया था आपका दम नहीं था कि वहां पर आप टैक्स लाते, क्योंकि आप जानते हैं उनके ऊपर पहले ही आपने सरचाज लगा दिया तो खुशहाली टैक्स कैसे लगा सकते थे ।

आज हजारों पेड़ किस प्रकार से कट रहे हैं और दूसरी तरफ नये जंगल बढाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं । आज जिस प्रकार से सघन जंगल काटे जा रहे हैं करोड़ों रुपया जंगलों में बर्बाद किया जा रहा है और इतना रुपया खर्च करने के बाद भी आप कामयाब नहीं हुए हैं । जंगलों में रहने वाले लोग इतने परेशान हैं कि उनको एक लकड़ी नही मिलती अगर लकडी की जरुरत पड़ती है तो १० मील दूर के ऊपर जाकर लकड़ियां बताई जाती हैं ।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इसी प्रकार से जो किसानों पर सरचार्ज लगाया जा रहा है । सरचार्ज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इसके बारे में जागृत हो रही है और वे किसान आने वाले समय में सरचार्ज नहीं देंगे । इसके लिये बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, और आप देखेंगे कि आपने हठधर्मी की तो वह दिन भी आयेगा तो लाखों किसान आपकी जेलों में होंगे और आपके जुल्मों का मुकाबला करेंगे । और ऐसी तैयारी है और वह तैयारी चल रही है । आप इस बात को सोच लें गंभीरता से कि विधान सभा में भाषण देकर जो बात प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसान परेशान है ।

आपने कोटा डिवीजन के अन्दर नहरें निकाली हैं । सभापति महोदय, नहरों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो गया और सीपेज के कारण अब आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा । आज वह आपके सामने एक समस्या है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहरें निकलने के बाद में केशोरायपाटन में ५ लाख रेवेन्यू बीघा जमीन थी उसमें से केवल अभी तक ४० हजार बीघा में ही सिंचाई कर सके हैं । बाकी की जमीन के किसान सीपेज के कारण परेशान हैं । नहरों पर पुलियाएं नहीं बनने के कारण किसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, अपनी फसल को खेत से खलिहान तक नहीं ला सकता है । वह उसको मंडियों में नहीं लेजा सकता है । इस प्रकार से किसानों के सामने काफी परेशानियां विद्यमान हैं । सीपेज की समस्या की रोक नहीं होगी तो सभापति महोदय, आज जिन क्षेत्रों में नहरें आ गई हैं वहां पर ऊस फूटनी प्रारंभ हो गई है । इससे भूमि के बिगड़ने का खतरा बढ़ रहा है, और इस प्रकार से हम राजस्थान में जो कृषि का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी किसानों को संतोष नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं बैठना चाहूंगा एक मिनिट में ही ।

पर मैं यह कहना चाहूंगा कि बूंदी जिले में सिर्फ एक अस्पताल है बूंदी में । सभापति महोदय, आज उस अस्पताल में बूंदी रियासत के जमाने में जो उसका बजट था उससे कम बजट बताया जाता है । एक भी एक्स-रे की मशीन बूंदी जिले की तीन लाख की जनता के लिए नहीं है । क्या यह शर्म की बात नहीं है ? पुराने बेड्स हैं वे सारे टूटे हुए हैं, गद्दे फटे हुए हैं, बीमार बरामदे में रहते हैं । सब मिनिस्टर वहां होकर निकल जाते हैं । उसकी हालत को देखिए तो बाहर जंगल बढ़ रहा है । वहां पर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है । मुझे अफसोस है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण, नेताओं की लड़ाई के कारण, बूंदी जिले की उपेक्षा हो रही है ।

सड़कों की दुर्दशा को देखिए तो, सभापति महोदय, बजट में प्रावधान रखते हैं, यह मेरी शिकायत नहीं है । गत वर्ष भी प्रावधान रखा है सड़कों के लिए । प्रावधान रखने के बाद फिर वह खर्च क्यों नहीं किया जाता है ? वह बजट क्यों लैप्स होता है ? वह बजट दूसरी जगह क्यों चला जाता है ? इस प्रकार से वहां की जनता के साथ में

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सौतेला व्यवहार करने के कारण क्या हैं ? सभापति महोदय, एक तरफ बजट में प्राव-धान रख कर ज्यादा खर्चा बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे तरीके से खर्च किया जाता है तो यह मेरी शिकायत है कि इस प्रकार से आप नहीं करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : (श्री शर्मा के खड़े रहने पर) Order please !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसी आशा और विश्वास के साथ में कि राजस्थान सरकार सही नीति कायम करे ताकि जनता का कुछ विकास हो सके, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): चेयरमेन महोदय, आज सदन के सामने जो ६४-६५ का बजट प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री महोदय द्वारा उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं । वित्त मंत्री महोदय ने जो-बजट प्रस्तुत किया है वह बजट स्वागत योग्य है । यह इस बात से भी जाहिर होता है कि सदन में जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं किसी ने भी अभी तक बजट के आंकड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिलाया है । बहुत से सदस्यों ने अपनी दिक्कतें बतलाई । किसी ने शिक्षा की दिक्कत बतलाई, किसी ने रेवेन्यू की दिक्कतें बतलाई, किसी ने पुलिस की दिक्कतों की तरफ ध्यान आक-र्षित किया है । यह ध्यान जब हमारे गवर्नर साहब की स्पीच हुई थी उस समय भी आक-र्षित किया था । तो यह जो बजट के आंकड़े हैं, जो टैक्स लगाये गये हैं, बजट की जो अनुमानित व्यय और आमद है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिलाना, इस बात से साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बजट में जो टैक्सेज हैं, बजट के जो आंकड़ें हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं । उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इसी सदन के अन्दर बहुत से माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कांग्रेस का समाजवाद क्या है ? कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन ने समाजवाद का कौनसा रास्ता पेश किया है ? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपको कांग्रेस का समाजवाद, भुवनेश्वर का समाजवाद देखना है तो टैक्सेज की तरफ आप ध्यान दें और यह देखें कि कांग्रेस किस तरह से देश में समाजवाद लाती है कांग्रेस की अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार की है और उस अर्थ-व्यवस्था में किस प्रकार से काम करना चाहती है । और वह भी ध्यान में आपका दिलाना चाहता हूं कि आपने पहली दफा इस बात को कहा था और यह कहा था कि किन लोगों पर टैक्सेज लगने चाहिए । इधर की तरफ बैठने वाले लोगों ने और उधर की तरफ बैठने वाले लोगों ने पिछले सदन की मीटिंग में कहा था कि टैक्सेज जो हैं वह ऐसे लोगों पर लगाना चाहिए जो लोग टैक्स के भार को वहन कर सकें । मुझे बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने उस तरफ ध्यान दिया और जो नये टैक्सेज लगाये हैं उनमें ज्यादातर उन लोगों पर टैक्सेज का भार जाता है जो लोग टैक्सेज वहन कर सकते हैं, जो लोग टैक्सेज का बोझ उठा सकते हैं । उस तरफ वित्त मंत्री महोदय का ध्यान भी गया है । मुझे इस

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बात की बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने इसमें यह किया है । मैं यह भी जानता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बात की भी कोशिश करते हैं एक तरफ और इस बात को कहते हैं कि टैक्सेज नहीं रखने चाहियें और दूसरी तरफ वे इस बात को भी कहते हैं कि अमुक-अमुक काम हमारी कॉन्स्टीटुएन्सी में, हमारे इलाके में, हमारे जिले में नहीं हुए हैं । इस बात को भी रखते हैं । प्रजातन्त्र के अन्दर-टैक्सेज हैं उनको लगाने की आवश्यकता है और अपने यह जो दृष्टिकोण अपनाया है, आपने यह जो दिया है इससे हमें खुश होना चाहिए, और हम यह महसूस करते हैं कि इसके द्वारा हमारे प्रान्त ने जो हिन्दुस्तान को एक लीड दिया है कि इस तरह के टैक्सेज लगा रहे हैं जिनकी कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी । हम आगे भी इसी तरह से हमारी अर्थ-व्यवस्था को हमारे देश के अन्दर समाजवाद के ढांचे को आगे बढ़ायेंगे और इससे हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वह आगे बढ़ेगी ।

अगर बुढ़ापे की पेन्शन की तरफ ध्यान दिया गया है तो वह इतना बड़ा कदम है कि इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी होगी । वित्त मंत्री महोदय से मैं बुढ़ापे की पेन्शन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो बुढ़ापे की पेन्शन की है तो ६५ वर्ष की तरफ ही आपने निगाह दौड़ाई है । एक तरफ जब आप ५७ वर्ष के कर्मचारी, ५८ साल के मुलाजिम के लिए यह सोचते हैं कि वह काम नहीं कर सकता है और दूसरी तरफ ६५ साल का सवाल है और हमारी औसतन जो आयु है लोगों की वह ६५ वर्ष तक बहुत कम लोग जिन्दा रहते हैं । ६० साल के बाद गांव के लोगों में इस प्रकार की व्यवस्था होती चली आ रही है कि वे काम नहीं कर सकते हैं । यह पेन्शन उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि किसी के आश्रित नहीं हैं । आश्रित नहीं होते हैं और ६० साल की उम्र में इतने जईफ हो जाते हैं कि ६५ की जगह ६० साल की उम्र कर दी जाय, तो मैं समझता हूं कि उसमें और भी चार चांद लग जायेंगे ।

दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं । शिक्षा के लिए आपने जो भी प्रगति की है राजस्थान में जो भी प्रगति की है वह बहुत ही सराहनीय है और इतनी अधिक सराहनीय है कि उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता । और यदि गवर्नर के भाषण में उसको देखें तो कितना पैसा बजट में शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है और शिक्षा के लिए कितने स्कूल, कितने प्राइमरी स्कूल, कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले हैं, लेकिन इन सब के खोलने के बावजूद भी जब हमने प्रजातन्त्र में औरतों और मर्दों को बराबर के अधिकार दिये हैं, यदि उसके अन्दर हमने अपनी बहनों और माताओं को अशिक्षित रखा तो हम जो देश के अन्दर सुधार की प्रणाली डालना चाहते हैं तो जो आपने अपने बजट भाषण में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह की रकम रखी है उस को बढ़ा कर रखते तो बहुत ही अच्छा होता । तो इस बारे में लड़कियों की शिक्षा में हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है उसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिये ।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

शिक्षा विभाग के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्सपेक्टर साहब राष्ट्रद्रोही हैं, वे शायद गलत समझे होंगे । इन्सपेक्टर साहब राष्ट्रद्रोही नहीं हैं बल्कि शिक्षा के अधिकारियों में एक तरह के फैशन के बात का सवाल हो गया है और वे सोचते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से उनका आदर बढ़ता है । अलवर के अन्दर भी, एक इन्सपेक्टर साहब हैं, शिक्षा विभाग के, वे दुकान पर बैठ कर चीन की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं और दुकान पर बैठ कर जवाहरलालजी नेहरू की कार्यप्रणाली में गड़बड़ होने की बात करते हैं । शिक्षा के अधिकारियों में फैशन की बात है राष्ट्रद्रोह की बात नहीं है और वे यदि फैशन की तरफ दौड़ते हैं तो गलती नहीं करते हैं । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूं, गवर्नर महोदय का भाषण था उसमें भी सुना कि कामां पहाड़ी और घग्घर की बाढ़ ने देश को तबाह किया । कामां की बाढ़ ने जिला भरतपुर को तबाह किया । लेकिन, चेयरमेन महोदय, न रहे बांस न रहे बांसुरी, न कामां में पानी जाय और न वहां पर बाढ़ आवे । मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि मेरा अलवर जिला एक-एक बूंद पानी के लिये तरसता है और दूसरी ओर पानी अलवर से भरतपुर जाता है । इसके बजाय तो यह काम क्यों नहीं किया जाय कि अलवर जिले में हम चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिये और वहां पानी मुहैया करने के लिये एक बांध बना दिया जाय ताकि यह जो दिक्कत है कामां में बाढ़ आने की वह दिक्कत दूर हो जाय और मेरे जिले को पानी मिल जाय.......

श्री मजलिसखां (कामां) : कामां में बाढ़ अलवर के पानी से नहीं आती है। वह यू. पी. के पानी से आती है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी तो जांच करवाई जा सकती है कि वह बाढ़ किस पानी से आती है । अलवर और भरतपुर में राजाओं के समय में संधि हुई थी । वहां का जयसमन्द बांध टूट गया था और पानी भरतपुर के गांवों में गया । हमारे यहां के राजा के पास पैसा नहीं था इसलिये उसके बदले में आधा पानी भरतपुर रियासत को देना पड़ा था । जिस तरह से पहले संधि हुई थी वही कायम है, हालांकि रियासतें खत्म हो गई । जब हम कृषि से उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, बाढ़ को रोकना चाहते हैं तो क्यों नहीं वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिये बांध बनाना चाहिये ।

दूसरी बाढ़ आती है- घग्घर का पानी आता है उससे । वे कहते हैं कि पंजाब से घग्घर का पानी आता है । यदि इस पानी को राजस्थान में रोकने की व्यवस्था करके कुछ जिलों में जैसे चूरू जिला है, बीकानेर जिला है, नागौर जिला है जहां पर पानी का अभाव रहता है तो इस पानी को इन जिलों में पहुंचाया जा सके तो बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों के लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं । यदि सरकार इस तरफ ध्यान दे तो कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत का उद्घाटन करने के लिये मंत्री जाते

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देते हैं । सदन में बैठ कर यदि कहीं डकैती होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बदनाम करते हैं या कोई अधिकारी कुछ गलती करता है तो भी कांग्रेस के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं । यदि एक मंत्री कहीं जाता है तो कौनसी बात हो गई ? सदन में बैठ कर इस तरह की बात सोचते हैं । माननीय सदस्य सदन में कांग्रेसी सदस्यों पर छींटा-कशी करते हैं जो सदन में जवाब नहीं दे सकते । बुराई की बातें तो आपके मुंह से बहुत जल्दी निकलती हैं लेकिन जहां भलाई की बात आती है वहां आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता । यह बजट समाजवाद को इंगित करता है उसके बारे में एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकला । केवल कांग्रेस को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा । कांग्रेस ने समाजवादी बजट प्रस्तुत किया है । मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वह पार्टी नहीं है जो दूसरों के द्वारा चलाई जाती हो या दूसरों के इशारे पर चलती हो ।.....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : समाजवाद के बजट में जागीरदारों को मुआवजा नहीं होता ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यदि रूस से सहायता नहीं आवे तो कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में टिकने नहीं पावे । रूस की मशीनरी, टूल्स बाजार में जाते हैं उनसे आपकी पार्टी को कितनी एड मिलती है उसका कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है फिर भी आप कांग्रेस पार्टी पर लांछन लगाना चाहते हैं ।

श्री हरिराम चौहान : आप तो रूस और चीन की बात करने लगे मैं तो बजट की बात करता हूं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ आपको ध्यान देना होगा, इस तरफ देखना होगा । आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है । उस उद्देश्य की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं ? हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हम यदि संसार की ओर देखें तो वहां भी यह संकट है । हमारे यह संकट है और हमारे मुल्क का संकट तभी दूर हो सकता है जब हम कृषि का उत्पादन हमारे यहां बढ़ावें ।

मैं वित्त मन्त्री जी को यह विश्वास दिलाऊंगा कि जिस काली छाया में आपने यह बजट प्रस्तुत किया है उस समय आपने कहा है कि ईश्वर रूठ गया है आपने कहा है कि इन्द्रदेव ने नींद ले ली है, परमात्मा रूठ गया है, उसी तरह से मैं यह कहूंगा कि आपकी कलम भी शायद रूठ गई है । बिजली के लिये प्रोविजन बहुत बड़ा इस बजट में होना चाहिये था क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जिले में और तरह से सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते मुहैय्या नहीं होते, प्राप्त नहीं हो सकते उनके लिये एक ही साधन है बिजली का। और यदि बिजली अलवर जहां से मैं आया हूं यदि वहां पर बिजली मिल गई या उपलब्ध हो गई तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अनाज की दिक्कत आज हम महसूस कर रहे हैं वह नहीं रहेगी। अलवर और भरतपुर ये दो जिले ही आपको इतना अनाज दे देंगे कि अनाज की कोई दिक्कत नहीं आयेगी और अमेरिका से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा ।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में मैं, चेयरमैन महोदय, वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कटौती प्रस्ताव में भी कहा है कि मेरे ज़िले में शीत की लहर आने से ऐसी हालत हो गई कि सरसों का नामों-निशान नहीं रहा। चने की भी बहुत बुरी हालत है। इस दुर्भिक्ष से राहत दिलाने के लिये बजट में और ज्यादा प्रोविज़न रखते तो ज्यादा अच्छा होता। इस साल ऐसी दिक्क़त आई है जैसी जिसे हम दोस्त कहते थे चाइना को उसने दोस्त पर हमला करके उसे दिक्क़त में डाल दिया, उसी तरह भगवान ने शीत लहर को भेज कर दिक्क़त करदी। इस दिक्क़त से बचने के लिये अलवर में भी सहायता कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये जिससे लोग जो भुखमरी और ग़रीबी के कारण मर रहे हैं उनसे उनको राहत मिल सके। मैं इन शब्दों के साथ यह कहना चाहता हूं कि आपने जो समाजवादी बजट प्रस्तुत किया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन पिछले साल आपने लैण्ड रेवेन्यू सरचार्ज लगाया था उस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं······

श्री सभापति : १ मिनिट में समाप्त कीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : लैण्ड रेवेन्यू के लिये जो ५०) छूट रखी थी उसको आपके अधिकारियों ने मान्यता नहीं दी। उन्होंने इसमें गड़बड़ी की। मैं रेवेन्यू कायदा बताना चाहता हूं, स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यदि किसी खातेदार के चार भाई हैं, राम, मोहन, सोहन और लाल। इनके चार बंट हैं तो ५०) में से हरेक के हिस्से १२।।) रुपये पड़ते हैं लेकिन यदि ५१) रुपये हो गये तो उन सब को पूरे पर देना पड़ेगा। आठ हिस्सेदार हैं तो आठों को देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी ग़लती है जो आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी द्वारा स्पष्टीकरण करते समय रह गई है। उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है वह ग़लत है। आपने बहुत दरियादिली से बजट बनाने में काम लिया है, मैं कहता हूं कि ५०) की जगह ७५) रुपये या १००) रुपये इसमें और करदें तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो जायगा। बहुत बड़े-बड़े ज़मींदार या खातेदार हैं उनको लैण्ड रेवेन्यू देनी पड़े तो दिक्क़त नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा): माननीय सभापति जी, वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो बूढ़ों को पेन्शन देने के सम्बन्ध में घोषणा की और जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि ६५ साल के बूढ़ों को पेन्शन होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अपनी राय देना चाहता हूं, बूढ़ों की अवस्था के लिये पेन्शन देने की घोषणा वित्त मन्त्री महोदय ने की है, वह मैं गलत मानता हूं, क्योंकि ६५ साल, ७० साल और ८० साल जैसे बूढ़े तो हमारे वित्त मन्त्री और दा साहब जैसे ही ज़िन्दा रह सकते हैं जिनकी घर की स्थिति ठीक है, जिनको खाने-पीने को अच्छा मिलता है और जो आराम में रहते हैं। लेकिन ग़रीब मजदूर और किसानों के पास तो न साधन हैं और न उन के आगे पीछे कोई पूछने वाला होता है और न वे खाने-पीने वाले हैं, वे ६० साल तक ज़िन्दा नहीं रह सकते···

श्री **बालकृष्ण कॉल** : मालूम होता है कि बांसवाड़ा में ग्राम मुहावरे में 'खाना-पीना' बोलते हैं?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : 'पीने' में ग़लत बात मालूम होती है। दा साहब ऐसा नहीं करते हैं।

श्री **विट्ठल** : तो मैं कहूंगा .....

श्री **हरिराम चौहान** : ये पीने वाले होंगे।

श्री **विट्ठल** : पीने वाले तो सब जगह हैं। और जगह नहीं तो यहां पर ज्यादा पीने वाले होंगे।

तो जो उम्र के लिये रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि जो सरकारी नौकरों के लिये ५८ साल की उम्र से पेंशन की बात रखी है, उसी के अनुसार बुड्ढों के लिये भी ५५ साल होनी चाहिये जिससे वह दस-बारह साल सरकार से फ़ायदा उठा सकें। वैसे भी पेंशन खाने वाले दस-बारह साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रह सकते। इसलिये पेंशन पाने की उम्र ६५ साल के बजाय ५५ होना ज़रूरी है और अगर ५५ न मानें तो ६० होना जरूरी है। यह मेरी राय है इसमें।

दूसरी बात जो बजट में बताई है वह है कि ग़रीबों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है और पूंजीपतियों पर टैक्स लगाया है। जैसे प्लाट वग़ैरह की बात बताई। मैं कहूंगा, वित्त मन्त्री जी ने प्लाटों वग़ैरह पर टैक्स लगा कर ग़रीबों पर टैक्स नहीं लगाया है यह मैं मानता हूं लेकिन ग़रीबों पर टैक्स पहिले से ही ज्यादा है। वह जितना टैक्सों से जकड़ा हुआ है उतना आज भी पूंजीपति टैक्स से जकड़ा हुआ नहीं है। ग़रीबों पर तो पचासों टैक्स पहले से ही लगे हुए हैं। जितने आज टैक्स हैं, चाहे सेल्स टैक्स हों चाहे आबकारी टैक्स हों, चाहे सरचार्ज हों, चाहे इन्कम टैक्स हो, सभी किसानों के ऊपर पड़ते हैं, सभी मजदूरों के ऊपर पड़ते हैं, और जो पूंजीपति पर टैक्स लगाते हैं वह भी ग़रीबों से वसूल कर लिया जाता है—यह वही बात है। इसलिये मैं कहूंगा कि वित्त मन्त्रीजी से कि वे एक कलम से कोई टैक्स ख़त्म करदें चाहे सेल्स टैक्स ख़त्म करदें या सरचार्ज को माफ़ करदें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप ग़रीबों के लिये कुछ ध्यान नहीं देते। यह ग़लत बात है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाये हैं और ग़रीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगाये हैं-यह ग़लत बात है। मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल इस बात को कि ग़रीबों के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, नहीं। अमीरों के ऊपर टैक्स लगाते तो अमीर ज्यादा अमीर नहीं बनते जाते और ग़रीबों पर कम टैक्स होता तो ग़रीब इतने ग़रीब कभी नहीं होते। ग़रीब आज भी अधिक ग़रीब हैं। इस सोलह साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने ग़रीबों को और ज्यादा ग़रीब बना दिया है। ग़रीबों के ऊपर जो तरीक़े से बोझ पड़ रहा है। ऐसी हालत होगई है कि किसान मर जाय तो बच्चों के बच्चे भी उसके कर्ज़ को नहीं भर सकते। इतने कर्ज़ का भार किसानों के बच्चों पर आज पड़ रहा है जो कि आज से सोलह साल पहले नहीं था। आज कह रहे हैं कि ग़रीबों को ऊपर लाना है आप कह रहे हैं कि समाजवाद ला रहे हैं। क्या समाजवाद लायेंगे बताइये मुझे? यह चीज़ तब तक रहेगी जब तक कि आप भ्रष्टाचार को नहीं मिटायेंगे। ग़रीबों के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा रहे हैं, वह नहीं

Page No. 93

(श्री विट्ठल)

मिटायें, अनाज का भाव नहीं बांधेंगे तब तक गरीबों के लिए सहूलियत नहीं हो सकती। आप चाहे ऊपर ऊपर कुछ भी करदें कागज में–यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन उससे होना-जाना कुछ नहीं है। आप विकास में इतना खर्च करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह पैसा गांव वालों के उपयोग में नहीं आता है।

दूसरी बात जो आपको अर्ज की वह भावों में जो वृद्धि हो रही है, अनाज के भावों की वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिये मैं कहूंगा। सरकार कहती है कि वह दुकानें खोल रही है। लेकिन उससे क्या होगा ? जिस तरह शक्कर का हाल हो रहा है उसी तरह अनाज का हाल होने वाला है। आज शक्कर के भाव पहले के भावों से ऊंचे हैं। आप जो शक्कर कोटे से देते हैं वह शक्कर ब्लैक में जाती है और वह गरीबों को नहीं मिलती। या तो गरीबब्लैक से लेते हैं या···

श्री बालकृष्ण कॉल : माननीय सदस्य कुछ सुझाव दें कि आप इसके बजाय क्या चाहते हैं जिससे सहूलियत रहेगी ?

श्री हरिराम चौहान : सुझाव साथ-साथ दिया है।

श्री बालकृष्ण कॉल : आपकी आइडियोलॉजी डिफरेन्ट हो सकती है। जिस आइडियोलॉजी को मानते है उसके अनुसार क्या होना चाहिये ?

श्री सभापति : Order please आप जारी रखें।

श्री विट्ठल : भावों के विषय में मैंने कहा उसके लिये सुझाव मेरा यह है कि किसानों के खलिहान से अनाज आता है, ठीक है इस साल नहीं पका, कुछ जल गया इसलिये अनाज का भाव कुछ बिगड़ा है। लेकिन गये साल फ़सल नहीं बिगड़ी थी, वह पकी थी और खलिहान से अनाज आया था। तो जब किसानों के खलिहान से अनाज आये तो उसके भाव बांध दें, चाहे आठ रुपया मन हो, चाहे दस रुपया मन हो-उसकी सब चीज़ों को देखते हुए भाव बांध दें, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसानों के भाव गिरे हुए हों·······

एक माननीय सदस्य : अभी जो चल रहा है उससे किसानों को क्या नुकसान है।

श्री विट्ठल : सुनिये। आगे क्यों भाव नहीं बढ़ेंगे ? यह जो सवाल है वह मैं बता दूंगा।

श्री बालकृष्ण कॉल : बताइये, बताइये।

श्री विट्ठल : तो किसानों के खलिहान से अनाज आ जाता है, उस वक्त भाव बांध दें। उसके बाद एक रुपये मन के पीछे के हिसाब से साल भर तक के लिये, जब कि अनाज दुबारा नहीं आजाय व्यापारियों के लिये भाव बांध दें और उसके लिए क़ानून बनादें, तो मैं समझता हूं कि भाव ठीक रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि व्यापारी पहले किसान से सस्ता अनाज ले लेता है, फिर बाद में जाकर, अगर दस रुपया मन के हिसाब से लिया है तो १६, १७ रुपये में बेचता है। इसलिये सरकार साल भर के लिये अनाज के भाव नहीं बांधेगी तब तक भावों के अन्दर परिवर्तन

(श्री विट्ठल)

को नहीं रोक सकती। और जिस प्रकार शक्कर का ब्लैक हो रहा है, उसी तरह दुकानों को खोलने से अनाज का भी होगा। किसी को अनाज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। वह खोटा रजिस्टर बता देंगे डीलर लोग। यह बात तय है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है।

थोड़ासा मैं आपको स्वास्थ्य के विषय में कहूंगा। आज हमारी सरकार की तरफ से जितना पैसा खर्च किया जाता है दवाइयों में, उतना पैसा सही उपयोग में, ग़रीबों के नहीं आता है। अस्पतालों में जितनी दवाइयां दी जाती हैं, उतनी दवाइयां मरीज़ों को नहीं दी जाती हैं। इनका ब्लैक होता है-यह मैं नहीं कहूंगा। लेकिन क्या होता है कि कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो उसे मामूली दवाइयां दी जाती हैं। फिर चिट्ठी लिख देते हैं कि यह दवा बाजार से ले आओ। ठीक है, अगर पैसा वाला होगा तो वह बाज़ार से लाकर दवा करालेगा। लेकिन जो ग़रीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वह अगर भर्ती हुआ उसको अच्छी दवा अस्पताल से नहीं मिले और कहा जाय कि बाज़ार में मिलेगी, बाज़ार से दवा लाओ तो वह कैसे जिन्दा रहेगा?

श्री सभापति: आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री विट्ठल : इसलिये जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाय। मेरा निवेदन है कि जहां भी अस्पताल हैं उनमें बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं बांसवाड़ा अस्पताल के लिए कहूंगा कि बांसवाड़ा अस्पताल में कोई मरीज भर्ती होने जाय तो मैं डाक्टर के लिए तो नहीं कहूंगा लेकिन कम्पाउन्डर्स का इतना वतीरा बिगड़ गया है कि कोई मरीज़ भर्ती होना चाहे, वह जब तक दस-पांच रुपये की रिश्वत नहीं दे तब तक टाइम पर उसे दवाइयां नहीं दी जाती हैं और उसको टाइम से सम्भाला नहीं जाता है। यह वतीरा

(१.०० म. प.)

बांसवाड़ा ज़िले में हो रहा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं चीफ़ मिनिस्टर से कहूंगा कि अपने किसी आदमी से इसकी जांच करालें कि वहां वतीरा चल रहा है या नहीं। हर साल चलता रहता है और मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस वतीरे को उठाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अतः मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : सभापति महोदय, मैंने बजट भाषण को सुना और अलग-अलग दृष्टिकोण से इस पर मनन किया। और इसको मनन करने के बाद मेरे दिमाग में अलग अलग विचार आये लेकिन ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) लेकिन आपके दिमाग पर बहुत भारी असर पड़ा।

श्री रविशंकर याज्ञिक : इसका असर तो आप पर पड़ा है। मैं आने वाले बजट पर कुछ मुद्दे विरोधी दल के नेता महोदय ने रखे उसके बारे में भी कहूंगा। उन्होंने आंकड़े बताये। उन्होंने शब्दों का जाल

(रविशंकर याज्ञिक)

और आंकड़ों का जाल दिया और यह बताने की कोशिश की कि इस सरकारने जब से यह शासन में आई है, जब से जैसा उत्थान या विकास करना चाहिये नहीं कर सकी। मुझे उनके विचारों पर हंसी भी आती है और दुःख भी होता है। उनकी स्थिति एक ऐसे आदमी की स्थिति है जो पढ़ा लिखा है और मेथेमेटिक्स का ज्ञाता है और वह गांव के पार जाना चाहता है। गांव में नदी है उसे पार करके जाना चाहता है। नदी में बहुत गहरा पानी है, वह कहता है कि सारी नदी का पानी एक एक फुट पर नाप लो। उस नदी के पानी को एक-एक फुट पर नाप कर एवरेज निकालता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक फुट पर तो एक फुट पानी ही होगा।

श्री रविशंकर याज्ञिक : आप शान्त रहिये। वह सारी नदी के पानी को नपा कर एवरेज निकालता है और कहता है कि कमर तक पानी बहता है। चलो नदी पार कर लेंगे मगर वह डूब जाता है। तो जिस तरह से अपने विचार उन्होंने रखे वे ऐसे ही मैथेमेटिशियन की तरह के विचार हैं। उनको सिर्फ़ आंकड़ों का ही ज्ञान है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन महोदय ने ऐसी बात कही उनको वस्तु स्थिति क्या है उसका ज्ञान नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूं—आज से २० वर्षों से गांव में घूमता हूं। यदि मैं यह कहूं कि आज से २० वर्ष पहले गांव की क्या हालत थी और आज क्या हालत है? तो मैं यह कहूंगा कि वहां की हालत आज बिल्कुल बदल गई है। आज सैंकड़ों और हजारों किसानों ने राजस्थान में एक ठंडी सांस ली है। उनके ऊपर सामन्तशाही, राजाशाही और पूंजीवाद का अत्याचार था, वह खत्म हुआ और आज जो किसान है देश का गरीब आदमी है वह भी नई दृष्टिकोण से सोचता है। इन १५ वर्षों में क्या-क्या गांवों में परिवर्तन हुए हैं उनको जिन महाशय ने ये बातें कहीं, मैं यह कहूंगा कि सच्चे तौर से वे गांव में घूमें नहीं और अगर घूमते तो उनको पता चलता कि राजस्थान में इन पिछले १५ वर्षों में कितने सुधार हुए हैं। आप किसी भी फ़ील्ड में जाइये आपको हर फ़ील्ड में सुधार मिलेगा टीनेन्सी एक्ट को ही लीजिये हमारी राजस्थान ही सबसे पहली स्टेट है जहां टीनेन्सी लॉज़ बने, जागीरदार समाप्त हुए और जोत की अधिकतम सीमा पर सीलिंग आया और हल जोतने वालों को अपने अधिकार मिले। जबकि मैं आपको २० वर्षों पहले के किसान की हालत सुनाऊं। पहले के किसान की हालत और अबकी हालत में बहुत फ़र्क है।

आज से २० वर्षों पहले किसान सामन्तशाही के अत्याचारों से पीड़ित था। उसके पास पैसा नहीं था। वह जो कमाता था वह सामन्तों के पास चला जाता था। उसके पास रहने के लिये मकान नहीं था—खाने को पूरा अन्न व पहिनने को कपड़ा नहीं था। वह बिल्कुल नंगा रहता था। मगर आज मैं उनसे कहूंगा कि वे मेरे साथ चलें—आपको मालूम होगा कि आज किसानों के अच्छे पक्के मकान बने हुए हैं और वे उनमें आराम से रहते हैं। टीन की चद्दरें और पत्थर की पट्टियें उनके मकानों पर लगी हुई हैं। आज ऐसे किसान हैं जिनकी खुदकी हैसियत है।

इसी तरह आप किसी भी क्षेत्र में जाइये

(श्री रवि शंकर याज्ञिक)

आज से २० वर्ष पहले का राजस्थान और अब आज के राजस्थान में आपको बहुत अन्तर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र को ही लीजिये-जहां गांव में पहले एक स्कूल नहीं था वहां आज आपको एक-एक तहसील में १००-१०० स्कूलें मिलेंगी और हायर सेकन्डरी भी ४-५ मिलेंगीं। आज गांवों में जगह-जगह सड़कें और कुए बने हुए हैं। आज राज्य सरकार ने सिंचाई व पानी के प्रबन्ध के लिये जगह-जगह बांध बनवाये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि उन्होंने आंकड़ों का जो जाल यहां रखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वे गांवों में घूमें नहीं और अगर वे गांवों में घूमते तो ये बातें जो मैंने कहीं हैं, उनको देखने को मिलतीं।

श्री बिट्ठल : आपसे ज्यादा हम गांवों में घूमते हैं।

श्री रविशंकर याज्ञिक : आप बहुत कम गांवों में घूमते होंगे।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रविशंकर याज्ञिक : लेकिन इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कहनी हैं।

सबसे पहले प्रश्न मेरे सामने आता है वह यह है कि जब सरकार शहर और गांवों की तरफ़ देखती है तो उस समय उस की निगाह अलग हो जाती है। इससे मुझे बड़ा दुःख होता है। जब गांवों में या किसी आदिवासी क्षेत्र में स्कूल खोलने की बात आती है। तो सरकार कहती है कि आप स्कूल के लिये बिल्डिंग दें। लेकिन जब शहरों में स्कूल खोलने होते हैं तो हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये ५-५ लाख रुपये मिल जाते हैं। तो मेरी शिकायत है कि इस तरह का रवैया सरकार का गांवों और शहरों के प्रति है उसको बन्द कर दिया जाए, क्योंकि ८० प्रतिशत राजस्थान की जनता गांवों में रहती है और उसके बल पर हम यहां बैठे हैं। इसलिये हमारा फर्ज़ है कि जो सरकार का भिन्न दृष्टिकोण है उसको बन्द कर लिया जाएगा और गांवों के प्रति जो मौजूदा रुख है उसको ठीक करें।

इसी तरह जहां तक बिजली का सवाल है। सरकार ने नियम बनायें हैं कि जहां पर आबादी ५००० से ज्यादा होगी उसको पहले बिजली दी जावेगी। हम यह चाहते हैं कि गांवों की उन्नति हो और हमारा यह सिद्धान्त है कि गांव आगे बढ़ें और शहरों में बढ़ती हुई पॉपूलेशन रुके। लेकिन हम इसी तरह से फ़र्स्ट प्रिफ़रेन्स शहरों को देते रहे और गांवों को बाद में प्रिफ़रेन्स देंगे तो हमारे गांव उन्नति नहीं कर पावेंगे। इसलिए इन छोटे-छोटे गांवों में बिजली दें, स्कूलें खोलें, और शहरों के बनिस्बत गांवों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें ताकि गांव की पिछड़ी हुई जनता आगे आ सके।

सभापति महोदय, अब मैं बजट के मुद्दों पर आता हूं। जब मैंने बजट पर सोचा, मेरे सामने दो विचार आये। एक तो बजट पेश हुआ उसमें कोई नये टैक्स नहीं और आम जनता को जब नये टैक्स नहीं होते तो ख़ुशी होती है कि चलो टैक्स से तो बरी हुए। लेकिन जब हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि हम जहां थे वहीं हैं····

एक माननीय सदस्य : और वहीं तो कहां जाते ?

श्री **रविशंकर याज्ञिक** : आप शान्ति रखिये। प्रश्न यह है कि इस बजट में टैक्स नहीं है। हम टैक्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जो चीज़ है वह यह है कि जनता टैक्स से दुःखी नहीं है। वह दुःख इस बात का है कि आज जो प्रशासन के अन्दर ढिलाई है और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है उससे जनता परेशान है। आप वाजिब टैक्स लगाइये, उससे इतनी जनता परेशान नहीं होती। मैं आपको इसके लिये एक उदाहरण दूं। हम दो होटलों में जाते हैं, एक होटल में जाने का १) रु० लेते है और दूसरे होटल में ३) रु० लेते हैं ३) रु० लेने वाला अच्छा खाना देता है और १) रु० लेने वाला होटल १२ आने का भी खाना नहीं देता तो लोग ३) रु० खुशी के साथ देकर खाना खाना पसन्द करेंगे। हम वाजिब टैक्स देने में कोई नाराज नहीं, राज़ी हैं पर टैक्स देने के साथ ही साथ यह चाहते हैं कि जो हम टैक्स दें, उसको अच्छे कामों में खर्च किया जाय, उसका अच्छा उपयोग हो और उसका रिटर्न हमें अच्छा मिले। पर आज यह बात नहीं दिखाई देती। प्रशासन में ढिलाई आगई है। मैं उदाहरण दूं शिवगंज म्युनिसिपैलिटी है सिरोही ज़िले में वहां की रेवेन्यू भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिये रेवेन्यू विभाग में मिसल भेजी, पता नहीं वह मिसल कैसे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट के पास चली गई और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी श्री अग्रवाल हैं, उनकी टेबिल पर पांच-छः महीने पड़ी रही। मैंने मिनिस्टर साहब से निवेदन किया तो वह मिसिल वापिस आई पर न मालूम वह मिसल वापिस फिर वहां चली गई। यह ढिलाई हमें दूर करनी पड़ेगी। हम जनता को अच्छा सुशासन दें, इसके लिये हम वचनबद्ध हैं, वह हमें जनता को देना पड़ेगा।

भ्रष्टाचार बहुत चलता है, इसके लिये मैं अभी नहीं कहूंगा पर एक बात कहूंगा कि आज जनता इसलिये दुःखी है कि आज जहां-जहां भी जनता के आदमी जाते हैं · ·

श्री **सभापति** : जल्दी खत्म करदें।

श्री **रविशंकर याज्ञिक** : मैं अभी पांच मिनिट में समाप्त करता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां-जहां भी आज जनता का आदमी जाता है उसे हर जगह सामना करना पड़ता है ऐसे भ्रष्ट लोगों का। उससे जनता परेशान है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई सक्रिय कदम उठाया जाय कि जनता इस परेशानी से बच सके।

इसके अलावा इस बचत में राहत दी है, हम सबसे बड़ी राहत यह चाहते हैं कि भू-राजस्व जो सरचार्ज गत वर्ष लगाया गया था उसको महरबानी करके वित्त मन्त्री महोदय वापिस लेलें। इसका कारण यह है कि जो गत वर्ष लगाये करों से होने वाली आमदनी के एस्टीमेट सरकार ने लगाये थे उससे ५ करोड़ की ज्यादा आमदनी हुई है, तो मेरा यह निवेदन है कि महरबानी कर के यह जो लगान पर सरचार्ज का टैक्स गत वर्ष लगाया है आपने, इसको वापिस लेलें। मैंने गत वर्ष भी इसका विरोध किया था · · ·

श्री **सभापति** : आप एक मिनिट में समाप्त करदें।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** : ये वाक़ई गावों में घूमते है, इनको सब बातों का पता है इनको वहां के हालात रखने दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **योगेन्द्रनाथ** हांडा : इन्होंने काम की एक ही बात कही है। और सभापति महोदय आपने घंटी लगादी।

श्री **रविशंकर याज्ञिक** : ५०) रु० और इससे ऊपर जो लगान देता है उस पर सरचार्ज है पर ५०) रु० से कम जिसका लगान है उन लोगों से भी सरचार्ज वसूल कर लिया गया है····

(व्यवधान)

इसलिये मेरी यह प्रार्थना है सरकार से कि जो ज्यादा सरचार्ज इन लोगों से नाजायज तौर पर वसूल किया है वह उन लोगों को फ़ौरन वापिस दिलाया जाय और यह जो सरचार्ज लगाया गया है उसे वापिस किया जाय।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** : आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं क्या कि ५० रु० से कम लगान पर भी सरचार्ज वसूल किया गया है ?

श्री **सभापति** : आप भाषण जारी रखें।

श्री **रविशंकर याज्ञिक** : सिरोही जिले में इस तरह से ५०) रु० से कम लगान पर भी सरचार्ज वसूल किया गया है। मैंने मिनिस्टर साहब से भी अर्ज किया है और उनसे यह भी कहा है कि कि जो यह ज्यादा सरचार्ज लिया है वह वापिस दें।

जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को राहत दी है, ओल्ड एज पेन्शन वगैरह, जयपुर के कर्मचारियों को ज्यादा भत्ता है, इसके लिये सरकार जरूर धन्यवाद की पात्र है।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **सभापति** : श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, १९६४-६५ का जो बजट सदन के सम्मुख रखा गया है, वह एक घाटे का ही बजट नहीं है, अपितु कांग्रेस के भुवनेश्वर में लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के हेतु पारित किये गये प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिये उठाया गया पहला क़दम भी है। इसके लिये मैं वित्त मन्त्री महोदय का स्वागत करती हूं, तथा इस के लिये बधाई देती हूं। परन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस बजट-भाषण का पढ़ना और सुनना सदन के माननीय सदस्यों का एक विशेषाधिकार था और उस विशेषाधिकार का माननीय वित्त मन्त्री जी ने हनन किया है।

(विराम)

इसके लिये ज्यादा अच्छा होता····

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : हिन्दुस्तानी को क्या आप अच्छा नहीं समझतीं ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी आप विघ्न पैदा न करें। मुझे बोलने दें।

इसके लिये यदि माननीय वित्त मन्त्री जो बजट में पांच दस हजार रुपयों का प्रावधान इस सदन के माननीय सदस्यों को उर्दू पढ़ाने के लिए कर देते तो मेरी समझ में ठीक रहता। क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं

(श्रीमती सुमित्रा)

कि मुझे भी थोड़ी बहुत उर्दू की जानकारी है, पर मैं भी ऐसा महसूस कर रही थी बजट भाषण में बहुत से ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ बहुत से लोगों को पूछा पर वे नहीं बता सके शायद उनका अर्थ माननीय वित्त मन्त्री ही बता सकते हैं। यदि माननीय वित्त मन्त्रीजी महोदय राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपना बजट अभिभाषण देते तो सदन के लोग उसकी काफ़ी सराहना करते, किन्तु मैं तो इन परिस्थितियों में भी माननीय वित्त मन्त्री महोदय को दाद देती हूं कि जिन्होंने बजट जैसे शुष्क और नीरस विषय को भी उर्दू भाषा में तर्जुमा कर के उर्दू के भावमय शब्दों से जो सरसता प्रदान की है जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर "चंचल मानसून दग़ा दे गई" "दयालु भगवान कुछ देर के लिये सो गये"। इस तरह काफ़ी कोशिश की है इस बजट भाषण को सरस बनाने की किन्तु किस हद तक सरस बना पाये हैं इसका तो माननीय सदस्य ही निर्णय करेंगे।

सभापति महोदय, १९६४-६५ के बजट में जो नये टैक्स लगाये गये हैं वे बहुत मुन्सिफ़ाना ढंग से लगाये गये हैं, इसके लिये भी मैं वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

शहरी क्षेत्र के अन्दर खाली पड़ी हुई भूमि पर जो टैक्स लगाया गया है और साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी, जमीन के तबादले पर विकास फ़ीस, और १० मोटर गाड़ियों के मालिक को, जो छूट थी उसको अब मन्ज़ूर नहीं किया गया, बिक्री कर और इस तरह के और टैक्स जो उन्होंने लगाये हैं। उसका बोझ सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनकी टैक्स अदा करने की हैसियत है। लेकिन मैं यह भी मानती हूं कि पिछले १२ वर्ष में राजस्थान ने आशातीत प्रगति की है। सन् १९५२ में राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान का बजट १८ करोड़ का था। आज प्लान और नान-प्लान दोनों मिलाकर इस वर्ष का बजट ११२ करो का हो गया। तो यह इस बात का सबूत है और इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमने इस समय के अन्दर काफी प्रगति की है। बिजली का न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि सारे प्रान्त का नक्शा ही बदल गया है। सड़कों के जाल ने आवागमन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। जहां पहले जयपुर से झुंझुनू पहुंचने में १०-१२ घंटे लगा करते थे आज डामर रोड होने से तीन घंटे में आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। उद्योगों का विस्तार। हुआ है। पर केपीटा इन्कम भी बढ़ी है लोगों को रोज़गार भी मिला है। परन्तु केवल इसी वर्ष के बजट में नहीं बल्कि पिछलेर भी ३-४ वर्षों के बजटों में जिस प्रका हमारी आय और व्यय का लेखाजोखा रहा है उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के कामों में व्यय अनुपात नहीं बैठता है, समानता नहीं बरती गई है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिये और विकास के लिये एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक असमानता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक बार पुनः याद दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान में ७६ प्रतिशत लोग किसान हैं जो गांवों में रहते हैं और बचे हुए २४ प्रतिश लोग ऐसे हैं जो खेती नहीं करते हैं, अर्थात् शहरी हैं या जो और कोई धंधा करते हैं। इन ७६ प्रतिशत लोगों की आय ४६ प्रतिशत है और २४ प्रति-

(श्रीमती सुमित्रा)

शत लोगों की आय ५४ प्रतिशत है। ये आंकड़े तो माननीय वित्त मन्त्री को भी या हैं। १३ प्रतिशत हमारी आय है वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ से है और सिर्फ़ एक प्रतिशत लोगों की जो आमदनी है या उनका जो रोज़गार है वह हैवी इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है। मैं वित्त मन्त्री से पूछना चाहती हूं कि इन भारी उद्योगों के लिये राज्य सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है वह कौन हैं? वह सिर्फ़ दो या तीन फ़र्म हैं जैसे बिरला पोद्दार और कामानी जिनके लिए करोड़ों, रुपये सरकार खर्च कर रही है। मुझे इस बात से, उनकी धनाढ्यता से कोई ईर्ष्या नहीं है वे चाहें तो दस बंगले रखें। एक में अपना सर रखें दूसरे में अपना पांव रखें। परन्तु मुझे नाराजगी और दुःख है इस बात का कि जो ७६ प्रतिशत लोग हैं उन लोगों को हमारे माननीय वित्त मन्त्री सामाजिक न्याय क्यों नहीं देते?

माननीय सभापति महोदय, हमारे पिछले वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने किसानों पर सरचार्ज लगाया था। जिस किसान को ५० रुपये लगान देना पड़ता है उस किसान पर सवा ६ प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाया गया था, एक अतिरिक्त बोझ उन पर डाला गया था यह कह कर कि यह सिर्फ संकटकालीन स्थिति तक ही रखेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगी कि अब भी मौका है। वह इस श्रेय को ले सकते हैं यदि किसानों पर सरचार्ज लगाया हुआ है वापस ले लें तो राजस्थान की ग्रामीण किसान जनता को सरकार में आस्था भी होगी कि वह किसी हद तक सामाजिक न्याय यहां की सरकार से पा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने बहुत कम समय लिया है। यह मेरे साथ न्याय नहीं होगा। आप बार-बार इन्टरप्ट करते हैं। मुझे बाधा पड़ती है।

श्री सभापति : आप पांच मिनट में समाप्त करिए।

श्रीमती सुमित्रा : वित्त मंत्रीजी अकाल राहत कार्यों पर खर्च का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना कहकर मौन हो गए कि माननीय सदस्यों को जानकारी दे दी भी गई है तथा और दे दी जायगी। म उनसे पूछना चाहती हूं कि इन अकाल की परिस्थितियों का कोई स्थाई हल इस लंबे समय के बावजूद भी हमारी सरकार क्यों नहीं निकाल पाई? पहले मैं जिस जिल से आती हूं उसकी बात कहती हूं। उस एरिय में इस वर्ष १७५ गांव अकाल ग्रस्त थे उस पर राहत कार्यों के लिए सिर्फ २५ हज़ार रुपये मन्जूर किए गए थे। लेकिन जब हमारी असेम्बली का सेशन शुरू हुआ और इस संबंध में मैंने प्रश्न पूछे तो मेरा प्रश्न जिस तारीख को था उससे पहली तारीख से यह मन्जूरी हो गई कि १,६५,००० रुपये मन्जूर कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ भी सही किसी वजह से सही, कम से कम इतना काम तो उन्होंने किया। मैं यह कहना चाहती थी कि आखिर चंचल मानसून ने हमें धोखा दिया है, इंदर भगवान तो सो जाते हैं, तो इस समस्या का हम कोई स्थाई हल क्यों नहीं निकालते हैं? किसान का बेटा नेफा और लद्दाख में देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात है। बेचारा किसान सर्दी गर्मी में सारे समाज के लिए

(श्रीमती सुमित्रा)

मेहनत करता रहता है। उसे अपनी जिन्दगी का एक मात्र सहारा अपने जानवरों को लेकर, मातृभूमि को छोड़कर हर साल दूसरे प्रान्तों जैसे मालव, और पंजाब में जाना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोचती है? आप उनको हुक्म दे देते हैं दूसरे प्रान्तों में चले जावो। इस बारे में कोई नहीं सोचता है कि अपना घर-बार छोड़ने में कितना दर्द होता है। एक तरफ पानी की समस्या है। जहां तक घग्घर का सवाल है पिछले ४ सालों में राज्य सरकार ने १ करोड़ से अधिक रकम इस समस्या के समाधान में लगाई लेकिन यदि पंजाब की सरकार की तरह हमारी सरकार में भी दम होता तो मुझे इस बात की परसनल जानकारी है कि पिछले साल सिर्फ ७ दिन के लिए चीफ इंजीनीयर ने राजस्थान केनाल में लगे फाटकों को बन्द कर दिया तो पंजाब में त्राहि-त्राहि मच गई थी अट केन्द्र में जा पहुंचे थे। इसी तरह हम भी कह सकते हैं इस बात को जोरदार शब्दों में, कि या तो अपना पानी अपने पास रखो हम अपने प्रांत में घुसने नहीं देंगे। एक तरफ जब हमारी फसलें पानी के अभाव में सूखती हैं पंजाब हमें पानी नही देता है। दूसरी ओर जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती तो हमें तबाह करने के लिए अपना अतिरिक्त पानी हमारी सीमा में डाल देते हैं। यह जो घग्घर है वह राजस्थान के लिए यदि तबाही का कारण बना हुआ है तो यही घग्घर बांध बनने पर हमारी जिन्दगी का सागर भी बन सकती है। इसके साथ-साथ में वित्त मंत्री को एक बात और भी याद दिलाना चाहती हूं कि पांच प्रांतों की कोशिश से जमुना पर जो किशाऊ डैम बन रहा है, उसमें राजस्थान सरकार का भी हिस्सा है और राजस्थान सरकार की मन्शा भी है कि उस पानी का इस्तेमाल अलवर या भरतपुर जिलों में किया जाय जो वहां से नजदीक भी पड़ते हैं। लेकिन मैं अपना सुझाव रखना चाहती हूं।....

श्री सभापति : सदन का समय समाप्त हो चुका है।

श्रीमती सुमित्रा : अभी एक मिनट और है। मैं जमुना के किशाऊ डैम की बात कह रही थी कि उस डैम के निर्माण में ५ राज्यों का हिस्सा है। उस किशाऊ डैम से लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा सीकर, झुंझुनू, नागौर, चुरू जैसे जिलों को हम हरा-भरा बना सकते हैं। इससे न केवल हमारे प्रान्त में अन्न का उत्पादन ही बढ़ेगा बल्कि हम उन लोगों की भी सेवा कर सकेंगे जो देश की सेवा के लिए नेफा, और लद्दाख में बैठे मौत से मुकाबला कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि राजस्थान के सीकर, झुंझुनू नागौर और चूरू जिले ही हैं जहां से फौज में जाने वालों की नफरी सबसे ज्यादा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० १.३० बजे बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९६४ के म० पू० ८.०० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, दिनांक १० मार्च, १९६४)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

छात्रावास पर व्यय—बांसवाड़

बिजली के बिलों में हिन्दी भाषा का प्रयोग

कुए व मकान बनाने हेतु सहायता जिला कोटा

सिकराय–ऊंकाली सड़क

[illegible] स्कूल में कमरों की कमी

[illegible]–[illegible]वदर रूट पर बसें

जयपुर–दूदू मार्ग पर अतिरिक्त बसें

छोटे गांवों को बिजली

ट्रेक्टर मालिकों से रोड परमिट, फिटनेस सर्टीफिकेट व टोकन की मांग–जिला गंगानगर

माध्यमिक पाठशाला भवन–ग्राम बांकली

दौसा से लालसोट बिजली की सप्लाई

इन्डस्ट्रियल एस्टेट जयपुर में बिजली की दर

लाखेरी में अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था

जुगलजोड़ी प्राईमरी स्कूल, पुरानी बस्ती, जयपुर

बी० एड० ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा

सड़कों की मरम्मत–जिला सवाईमाधोपुर

रोडवेज की बस सर्विस जिला बांसवाड़ा

तहसील मादरा के ग्रामों की बिजली

बूंदी रेस्ट हाउस में कमरे का निर्माण

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३६

ग्रामों में खेती के लिए बिजली

नगरपालिकाओं में विद्युत विभाग की बकाया

हाई स्कूल, निवाई

स्तम्भ

अध्यापकों की बकाया

पब्लिसिटी इक्विपमेन्ट तथा अन्य सामान खरीदने हेतु एडवान्स

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय

आदिवासियों एवं हरिजनों के कल्याणार्थ कार्य—तहसील सिकराय

देवस्थान की बकाया रकम

राष्ट्रीयकृत रूट्स से प्रभावित प्राईवेट बस ऑपरेटर्स

रोडवेज की बसों से आय व बसों का टैक्नीकल चैकिंग

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ४६

श्री मोती लाल चौधरी, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ७ मार्च, १९६४ से दिनांक ३१ मार्च, १९६४ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) श्री मथुरादास माथुर, योजना मंत्री ने नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १४ (८) नियुक्ति (ए)।४।५९ दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ को सदन की मेज पर रखा जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेग्यूलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं।

(ख) श्री मथुरादास माथुर, योजना मंत्री, ने गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के ३० जून, १९६२ को समाप्त होने

वाले वर्ष से संबंधित डाइरेक्टरों की ५० रिपोर्ट एवं तत्संबंधी लेखे का विवरण सदन की मेज पर रखा।

आय-व्यय, १९६४-६५

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

आय-व्यय (बजट), १९६४-६५ पर आज भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहा।

बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९६४ की

कार्य-सूची

आय-व्यय, १९६४-६५ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

परिशिष्ट

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १२४ का उत्तर देखिये)

List of articles received from the National Small Industries Corporation Ltd., New Delhi, from Training Institutes of Udaipur and Jaisalmer.

S. No. 1	Invoice No. & Date 2	Letter No. under which issued 3	Amount Rs. 4
1.	SIC/H/Acctts. BK-54, dt. 28-2-61	SIC/Acctt./177. dt. 3-4-61	5299.35
2.	-do- 53 -do-	-do- ,,	9698.40
3.	-do- 56 30-3-61	-do- 22-4-61	7146.08
4.	-do- 57 -do-	-do-	7761.67
5.	-do- 62 -do-	-do-	554.12
6.	-do- 11 31-5-61	-do- 22-7-61	554.12
7.	-do- 19 31-8-61	-do- 7-9-61 / 12-2-62	1770.19
8.	-do- 23 30-9-61	-do- 11-10-61 / 12-2-62	1770.19
9.	-do- 25 31-10-61	-do- 23-11-61 / 12-2-62	322.00
10.	-do- 26 -do-	-do-	322.00
11.	-do- 28 31-10-61	-do-	1798.39
12.	-do- 29 30-11-61	-do- 23-12-61 / 12-2-62	1798.39
13.	-do- 30 -do-	-do-	1124.11
14.	-do- 31 -do-	-do-	1124.11
15.	-do- 36 31-12-61	-do- 12-1-62 / 12-2-62	552.79

परिशिष्ट

1	2		3			4
16.	SIC/H/Acctts. B.K.	39	31.12-61	SIC/Acctts.	177.	1072.51
17.	-do-	41	31-1-62	-do-	17-2-62	1072.51
18.	-do-	46	28-2-62	-do-	29-3-62	5397.04
19.	-do-	5	31-7-62	-do-	7-11-62	5397.04
20.	-do-	23	31-8-62	-do-	7-11-62	2472.78
21.	-do-	24	-do-	-do-		558.79
22.	-do-	43	31-1-63			2472.78
23.	-do-	52	28-2-63	-do-		1713.26
					TOTAL:—	61668.62

शुद्धि-पत्र*

(कार्य-विवरण दिनांक १० मार्च, १९६४)

म सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
[illegible]	९	यातायात विमाग	यातायात–विमाग
,,	१६	(बांवासडा)	(बांसवाड़ा)
[illegible]	१	(लूनकरनसर)	(लूणकरणसर)
[illegible]	अन्तिम से ३	**बिश्नाई**	**बिश्नोई**
९	शीर्ष	—	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
,,	२६	**उत्तर**	—
,,	२७	बसे आबू रोड	बसें आबू रोड
,,	२९	राष्ट्रीयक्त	राष्ट्रीयकृत
,,	३०	हनादररेवदर व	अनादर रेवदर व
२३	शीर्ष	—	(श्री श्रवण लाल)
३०	२३	**श्री हरीप्रसाद**	**श्री हरिप्रसाद**
३९	शीर्ष	(,,)	(,, ,, ,,)
४१	,,	—	(शिक्षा मंत्री)
४३	,,	,,	शिक्षा मंत्री
४५	,,	(श्रीहरिप्रसाद शर्मा)	(श्री समाज कल्याण मंत्री)
४७-४८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
४९	शीर्ष	(श्री नत्थीसिंह)	(श्री यातायात मंत्री)
,,	अन्तिम से ६	फन्क्शन्स	फन्क्शन्स)
५८	५-६	Order please order ! yes you go at	Order please ! Order !! yes, you go on.
६२	११ के नीचे	९.०० म. पू.	(९.०० म. पू.)
७९	शीर्षक	१० मार्च,–६४	१० मार्च, ६४–
८९	,,	मार्च	१० मार्च
१२३	,,	१०, मार्च ६४	१० मार्च, ६४–
१२६	१५	१२	१२६
१२९	शीर्ष	(श्री रघूनाथ	(श्री रघुनाथ
१३९	,,	१० मार्च,–६४	१० मार्च, ६४–
१४३	अन्तिम से ११	**सालोवियय**	**सालं:दिया**
१८७	शीर्षक	६५ मार्च ६४	–१० मार्च, ६४–
२०१	शीर्षक	आ-यव्ययक	आय-व्ययक
२०२	अन्तिम से ४	तदन्तर	तदनन्तर
२०३	१	–ब्रासवाड़	–ब्रांसवाड़ा ।
२०४	१८	**पत्र**	**पत्र** ४९
२०५	१	की ५०	की
,,	३	रखा ।	रखा । ५०
,,	६	वाद-विवाद	वाद-विवाद ५०
२०७	शीर्षक	**परिशिष्ट**	**परिशिष्ट १**

*विस्तृत शद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ का उत्तर जो बाद में प्राप्त हुआ

१. राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुल ७७ छात्रावास हैं जिसमें से ७ छात्राओं के लिये है। इन छात्रावासों की जिलेवार सूची सदन की मेज रख दी गई है।

२. व्यय सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)